षष्ठम् माला, खंड 6, अंक 44, बुधवार, 3 अगस्त, 1977/12 श्रावण, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. VI, No. 44, Wednesday, August 3, 1977/Sravana 12, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED
VERSION OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : *Four Rupees*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 44, बुधवार, 3 अगस्त, 1977/12 श्रावण, 1899 (शक)

No. 44, Wednesday, August 3, 1977/Sravana 12, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या 749, 751, 752 और 754 से 758	*Starred Questions Nos. 749, 751, 752 and 754 to 758	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 29	Short Notice Question No. 29	19—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	21—141
तारांकित प्रश्न संख्या 750, 753 और 759 से 772	Starred Questions Nos. 750, 753 and 759 to 772	
अतारांकित प्रश्न संख्या 5890 से 5982 और 5984 से 6089	Unstarred Questions Nos. 5890 to 5982 and 5984 to 6089	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	141—146
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	147
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	147—153
हथकरघा कपड़े के जमा हो जाने से उत्पन्न होने वाली कथित गंभीर स्थिति	Reported serious situation arising out of accumulation of handloom cloth	
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri Prasannbhai Mehta	147
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	147
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	154
5 वां प्रतिवेद प्रस्तुत	Fifth Report presented	154

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Mamber indicated that the question was actually asked on the fioor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइन के निर्माण के के लिए वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन करने बारे में वक्तव्य	Statement Re. Change in the Financial Arrangements for the construction of Shahdara-Saharanpur Railway Line	393 154
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	154
नियम 377 के अधीन मामले--	Matters under Rule 377—	154—156
(एक) लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से सम्बद्ध परामर्शदात्री परिषद् की बैठक	(i) Meeting of Advisory Council Associating with the Administrator of Lakshadweep	
(दो) उत्तर-प्रदेश में गंगा और घाघरा का जल-स्तर बढ़ जाने, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बाढ़	(ii) Rising of rivers Ganga and Ghagra in U. P. and Floods in West Bengal, Bihar, Delhi, Haryana and Rajasthan.	
(तीन) मंगलौर सिटी और मंगलौर ताल्लुक में हाल की बाढ़ों से हुई तबाही।	(iii) Havoc caused by recent floods in Mangalore City and Mangalore Taluk.	
(चार) विभिन्न राज्यों की पटसन मिलों में बड़े पैमाने पर छंटनी, बंद, अवैध तालाबन्दी, जबरण छुट्टी से उत्पन्न गंभीर स्थिति	(iv) Serious situation arising out of the large retrenchment, closures, Illegal lockouts, lay offs in Jute Mills in various States.	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 20वीं, 21 वीं तथा 22 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion *re.* Twentieth, Twenty-first and Twenty Second Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	156—161
श्री वी० तुलसीराम	Sh. V. Tulsiram	156
श्री हरि शंकर महाली	Shri Harishankar Mahale	157
श्री हुकम राम	Shri Hukam Ram	157
श्री डी० जी० गवई	Shri D.G. Gawai	158
श्री रूप नाथ सिंह यादव	Shri Roop Nath Singh Yadava	159
श्री पी० ए० सगमा	Shri P. A. Sangma	160
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	160
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन (1974) के बारे में प्रस्ताव	Motion *re.* Report (1974) of Commission of Enquiry into the Disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose—	161—168
श्री समर गुह	Sh. Samar Guha	161
श्री शशंकाशेखर सान्याल	Sh. Sasankasekhar Sanyal	168

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 3 अगस्त, 1977/12 श्रावण, 1899 (शक)

Wednesday, August 3, 1977/*Sravana* 12, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

"शोले" फिल्म का लंदन को निर्यात

*749. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1975 के मध्य में श्री सिप्पी ने "शोले" फिल्म के 12 प्रिंटों को लंदन निर्यात करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुमति माँगी थी क्योंकि उसने ब्रिटेन और यूरोप में उक्त फिल्म के प्रदर्शन के लिए पिकाडली में किसी फर्म के साथ करार पर हस्ताक्षर किये थे;

(ख) क्या जांच करने पर यह पाया गया था कि ऐसे नाम की कोई फर्म जिसको यह फिल्म निर्यात करने की अनुमति मांगी गई थी पिकाडली में नहीं थी और न उस नाम की कोई फर्म विद्यमान है; और

(ग) क्या इसके बावजूद तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री ने उक्त फिल्म का निर्यात करने की अनुमति दी थी और यदि हां, तो इंगलैण्ड तथा यूरोप के किन सिनेमा घरों में उक्त फिल्म का प्रदर्शन किया गया तथा उससे कितनी धनराशि अर्जित हुई तथा यह राशि किसके नाम पर और किस लेखे में जमा की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) मैसर्स सिप्पी फिल्म से 'शोले' नामक उनकी फिल्म के 70 मि० मी० में 12 प्रिन्ट लन्दन में तैयार करने के लिए अग्रिम आयात लाइसेंस के लिए जनवरी, 1975 में प्राप्त प्रार्थना-पत्र को कुछ शर्तों के अधीन आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक को सिफारिश के साथ भेज दिया गया था। मैसर्स सिप्पी फिल्मस के यह बताने पर कि उन्होंने इस फिल्म के निर्यात अधिकार 25 लाख रुपये में मैसर्स पिन्नाकल पिक्चर्स, लंदन को बेच दिए हैं, अनुमति दे दी गई।

(ख) बाद में इंडियन हाई कमीशन, लन्दन ने सरकार को सूचित किया कि वे मैसर्स पिन्नाकल पिक्चर्स के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक से इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया।

(ग) बाद में श्री जी० पी० सिप्पी द्वारा मैसर्स पिन्नाकल पिक्चर्स की स्थिति के बारे में दी गई जानकारी को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया और आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक से उन्हें पहले भेजे गए पत्र पर कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा गया।

किन सिनेमाघरों ने इस फिल्म को इंग्लैंड और यूरोप में दिखाया तथा उससे कितनी धनराशि अर्जित हुई तथा वह राशि किस लेखे में जमा करवाई गई, इनके बारे में मंत्रालय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म का निर्यात पूर्ण-बिक्रय आधार पर था।

SHRI YADVENDRA DUTT : The hon. Minister has just stated that outright export sale was to the tune of Rs. 25 lakhs. May I know whether this amount was repatriated to India or it was deposited with the Swiss Bank or Luxumburg Bank ? Has he got any information ? If no information is available will he submit a report before the House after conducting an enquiry ?

SHRI L. K. ADVANI : That amount of Rs. 25 lakhs has been repatriated but I have no information in regard to the other income incurred if any from this amount.

SHRI YADVENDRA DUTT : The second part of my question was whether the amount of income has been deposited with the Swiss Bank or the Luxumburg Bank. Will he submit a report before the House after the enquiry ?

SHRI L. K. ADVANI : I have no information but enquiry is going on into the case.

SHRI YADVENDRA DUTT : The Secretary of the Department enquired on telex from our High Commission the name of Cinema House to whom this picture was sold, it was found that there is no such Cinema House or the distributor neither in England nor in Europe. Whether it is a fact that the then Minister issued licence on the basis of his own informatoin ?

SHRI L. K. ADVANI : It is correct that the Indian High Commissioner informed that they have not been able to get any information about this firm. Then the producer met the then Minister and furnished particulars of that firm. The then Minister issued the following orders :

"जी० पी० सिप्पी 'इम्पा' बम्बई के प्रधान हैं और उन्होंने जो जानकारी संयुक्त सचिव को दी है उस पर मैं निर्भर कर सकता हूं। सिप्पी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिन्नेकल पिक्चर्स एन० वी० घुलानी (सेंट मार्टिन) के पूर्ण स्वामित्वाधीन एक सहकारी कम्पनी है। मुख्य कम्पनी के निदेशक अमुक हैं। बैंक में भी उनका अच्छा खाता है। वह इज्जतदार और शरीफ आदमी हैं और उनका लेन-देन संतोषजनक है। अतः मैसर्स पिन्नेकल पिक्चर्स, लन्दन पर विश्वास किया जा सकता है। मैसर्स सिप्पी फिल्मस के इस सौदे से देश को 25 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

मैसर्स सिप्पी फिल्म से लगाई गई किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

अतः इस मामले में मैसर्स सिप्पी फिल्मस को आवश्यक अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।"

SHRI RAMANAND TIWARI : May I know the conditions which were attached while sending his application to the Controller ?

SHRI L. K. ADVANI : I can tell you about that or if you wish I may lay then on the Table of the House.

"(1) आयात लाइसेंस के मूल्य पर 27% की दर से निर्यात शुल्क लेकर 2.5 लाख रुपये का अग्रिम आयात लाइसेंस दिया जायेगा।

(2) रिलीज प्रिंट केवल मैसर्स टैक्नीकल लि० लन्दन की लेबोरेटरी से ही तैयार कराये जायेंगे और लेबोरेटरी में परिवर्तन इस मंत्रालय की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(3) ब्रिटेन में निगेटिव पहुंचने की तारीख से एक महीने की उचित अवधि के भीतर अपेक्षित संख्या में प्रिंट लेकर समस्त निगेटिव सामग्री को पुनः आयात किया जायगा। यदि किसी कारणवश अधिक अवधि के लिए प्रिंट सामग्री को रखा जाना हो तो पूर्व अनुमति लेनी होगी।

(4) ब्रिटेन में सामग्री रखे जाने के दौरान सुरक्षा तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अनधिकृत प्रिंट न लिये जायें, निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहियें :—

(5) भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व पुनः आयातित 70 मि० मि० प्रिंट को केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणित कराना होगा।

(6) समुद्रपार वितरण के लिए फिल्म के प्रिंट का निर्यात तभी किया जायेगा जब कि भारत में उसके सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रमाणित कर दिया गया हो।"

SHRI SURENDRA VIKRAM : Whether the Indian High Commissioner had confirmed that the firm whose address was given did not exist ?

SHRI L. K. ADVANI : It was natural for the High Commissioner to accept it when the details were furnished by the then Minister.

SHRI SURENDRA VIKRAM : I want to know if the High Commissioner had confirmed it or not.

SHRI L. K. ADVANI : There was no need of confirmation by the High Commissioner when once the Government of India accepts and certifies that certain firm was there.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : It is not of much importance if the firm exists or not. We have to see whether the foreign exchange that was to be repatriated had been received or not ? If it was received whether the same it was through cheque or by Bank Draft and with which the same was deposited !

SHRI L. K. ADVANI : I have already replied to that. The export obligations have been fulfilled. The amount of Rs. 25 lakhs has been repatriated but we have no information about the export earnings, in foreign exchange or otherwise.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : What is the name of that foreign currency ?

SHRI L. K. ADVANI : It was repatriated in foreign exchange.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Whether it was in pounds or in dollars ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि पाउंड में पैसा आया या डालरों में। लेकिन यह दृढ़ मुद्रा में था।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, Mr. Sippy is a close friend of Mr. Shukla and Film Sholay is full of sex and violence. May I know the contents of the note written by the Joint Secretary to the Minister after receiving a reply from the Commissioner.

Secondly what are the terms of reference of the enquiry which is going to be conducted and when the orders were issued for conducting an enquiry ?

SHRI L. K. ADVANI : We have already discussed the contents of this film. At present we are concerned only with its export. No specific enquiry was ordered. But the Government came to know of it only when Das Committee was appointed and it enquired into all the bunglings. It finds a mention in the white paper also.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What is about Jt. Secretary's note, to whom the addressed it and what was the note submitted by the Ministry ?

श्री एल० के० अडवानी : यह द्वितीय सचिव (व्यापार) की ओर से है । मैं सम्बद्ध अंश पढ़ रहा हूं ।

"चलचित्र जगत में हमारी जांच से पता चला कि 'पिन्नेकल पिक्चर्स, लन्दन' के नाम से वितरकों की किसी संस्था के बारे में जानकारी नहीं है ।

हमारी ओर से जांच करने वालों ने कहा है कि सम्भव है श्री जी० पी० सिप्पी के भाई या किसी अन्य निकट सम्बन्धी ने कोई नई संस्था चलाई हो । यह विदित हो कि श्री जी० पी० सिप्पी के बेटे लन्दन में दो-तीन होटल पहले से ही चला रहे हैं और सम्भवतया अपने पिता द्वारा निर्मित चलचित्रों की लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए वे फिल्म वितरण क्षेत्र में भी आ गये हों ।

पिन्नेकल पिक्चर्स, लन्दन और भारत के सिप्पी फिल्मस के नीचे पारिवारिक सम्बन्धों के कारण लगता है कि यह सौदा, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपा गया है, सन्देह से परे नहीं है ।"

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने जांच कराई है ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : औपचारिक रूप से जांच नहीं कराई गई । समस्त मामले का अध्ययन किया जा रहा है ।

SHRI BALBIR SINGH : Will you conduct an enquiry into the relationship between Shri Sanjay Gandhi, Shri Shukla and the Sippy Films ? They were also partners. Will you submit a report to the House after conducting an enquiry so that action may be taken against them ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : यह कार्यवाही हेतु सुझाव है ।

श्री के० लकप्पा : श्री सिप्पी हमारे बेहतरीन फिल्म बनाने वालों में से हैं । मैं जानना चाहता हूं कि विदेशों में उनकी फिल्म शोले को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किये गये तथा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई । इस फिल्म में भारतीय समाज पर अच्छा व्यंग्य था । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि लन्दन में इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए क्या किया गया, कितने छविगृहों में वह प्रदर्शित हुई और कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : विदेशी मुद्रा का जवाब मैं दे चुका हूं । दूसरे प्रश्न के लिए मुझे अलग सूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सूचना चाहिये ।

श्री के० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि उससे कितना कर प्राप्त हुआ । उससे 50 करोड़ रु० तो कर से ही भारत सरकार को मिल गये । उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हे सूचना चाहिये ।

श्री के० लकप्पा : सूचना किस लिए ?

श्री वसंत साठे : यह सीधा प्रश्न है कि शोले फिल्म से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : .....*

अध्यक्ष महोदय : इन्हें कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा । मंत्री जी ने कहा है कि यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

SHRI SHEO NARAIN : Sir, May I know from the Minister of Information and Broadcasting about the action taken against the authorities who issued the licence for export when there was no existence of any such firm.

***श्री अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं ।

श्री के० लकप्पा : .....

अध्यक्ष महोदय : इन्हें कार्य वाही में शामिल नहीं किया जायेगा । आप प्रश्न की अलग सूचना दें । अगर आप चर्चा करना चाहें तो मेरे कक्ष में आ सकते हैं ।

SHRI L. K. ADVANI : He has raised the question of action against authorities, I had clearly said that the Minister's opinion was decisive.

तारांकित प्रश्न संख्या 751 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : इस से पूर्व कि मैं प्रश्न संख्या 751@ के लिए अनुमति दूं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न से सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध अपराध सम्बन्धी कोई जांच चल रही है या कोई दंडनीय मामला है ।

---

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया ।

@बेलबद कोयला खान के महा प्रबन्धक के कार्यालय में मजदूरों की मृत्यु

***751. श्री रोबिन सेन**
श्री ज्योतिर्मय बसु } क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन बेलबद कोयला खान के हुर्मा बोनरी और गोरा खोइरा मजदूरों को बेलबद कोयला खान के कार्यालय में प्रबन्धक, श्री अग्रवाल, अन्य अधिकारियों और चपरासियों द्वारा 26 अप्रैल, 1977 को यातना दी गई थी ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप हुर्मा बोनरी की कार्यालय में मृत्यु हो गई और गोना खोइरा की आसनसोल अस्पताल में मृत्यु हो गई थी ;

(ग) क्या जमूरिया पुलिस की सांठ गांठ से प्रबन्धक ने अपने खिलाफ मामले को दबाने का प्रयास किया जबकि अन्य अधिकारियों और चपरासियों को फंसा दिया ;

(घ) क्या गोना खोइरा की पत्नी ने श्री अग्रवाल और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का श्री अग्रवाल और इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अन्य लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने और स्वर्गीय हुर्मा बोनरी और गोना खोइरा की पत्नियों को कोई मुआवजा देने का विचार है ?

(क्रमशः पृ० 6 पर)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे विचार से विवरण से यह स्पष्ट है कि सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध सम्बन्धी कोई मामला नहीं और न ही कोई दंडनीय मामला लम्बित है । विवरण में कहा है कि पुलिस ने धारा------के अन्तर्गत मामला दर्ज किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई दंडनीय जांच चल रही है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : जांच चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : तब मैं प्रश्न के लिये अनुमति नहीं देता ।

श्री दीनेश भट्टाचार्य : आप एक बार प्रश्न गृहीत करके उसके लिए मना नहीं कर सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन है कि विवरण में स्पष्ट लिखा है कि पुलिस ने अमुक धारा के अन्तर्गत वह मामला दर्ज कर लिया है जिसमें दो चपरासी और एक सुरक्षिगण को गिरफ्तार किया गया है । मामला चपरासियों और सुरक्षिगण के विरुद्ध है । लेि न प्रबन्धक के खिलाफ कार्यवाही क्यों की जा रही है ? मेरा प्रश्न प्रबन्धक के बारे में है । मैंने चपरासी के बारे में कुछ नहीं कहा ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ङ) प्राप्त सूचना के अनुसार 28 अप्रैल (26 अप्रैल नहीं) 1977 की रात को हुर्मा बौरी और गौना खोइरा सहित पांच व्यक्तियों को जिन पर चोरी और कोयला गायब करने का संदेह था, कुछ लोगों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में बेलबद कोलियरी के परिसर में बुरी तरह पीटा कोलियरी के दो अधिकारियों अर्थात् श्री ए० के० चटर्जी, सहायक कोलियरी प्रबंधक और श्री पी० के० तिवारी इंजीनियर, दो चपरासियों और एक सुरक्षागार्ड पर यह आरोप है कि उन्होंने भी मारने में भाग लिया किन्तु बेलबद कोलियरी के प्रबंधक श्री अग्रवाल घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे । पीटे गए पांच व्यक्तियों में से एक अर्थात् श्री हुर्मा बौरी सुबह मृत पाया गया। मृतक को अन्य चार व्यक्तियों के साथ सुबह पुलिस थाना जमूरिया भेजा गया । बाद में एक अन्य व्यक्ति श्री धेनो खोइरा 5-5-1977 को अस्पताल में मर गया ।

सम्बद्ध एरिया के महा प्रबंधक ने भी जांच प्रारम्भ की तथा इस घटना से संबंध दो अधिकारियों सहित पांचों कर्मचारियों को आरोप पत्र देकर मुअत्तिल कर दिया गया है।

प्राप्त सूचना के अनुसार गोना खोइरा की पत्नी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, यह मामला काम के समय हुई दुर्घटना का नहीं है और इसीलिए मृत व्यक्ति का परिवार किसी मुआवाजे का कानूनन हकदार नहीं है । फिर भी, सहानुभूति के आधार पर ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० ने दोनों मृतक व्यक्तियों की विधवाओं को रोजगार दे दिया है ताकि उनके परिवार की आजीविका में कोई बाधा न हो।

(क्रमशः पृष्ठ 7 पर)

अध्यक्ष महोदय : यदि मामला एक बार दर्ज हो जाये तो आप प्रश्न पूछ कर पूर्वाग्रह-पूर्ण कार्य कर रहे हैं । इसलिये मैं उसके लिए अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब तो सभा कार्यवाही ही करना बंद कर देगी । आप मेरा प्रश्न सुनिये । यदि कोई आपत्ति हो तो .....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप देखिये मेरा अनुपूरक प्रश्न क्या है । मैंने विवरण पढ़ा है ताकि पता चले कि मामला प्रबन्धक के विरुद्ध नहीं है । यह तो चौकीदार और सुरक्षिगण के विरुद्ध है । इस लिए मेरे प्रश्न से जांच पर प्रभाव नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय : जिसे भी शिकायत हो वह जांच करने वालों के सामने उसे रख सकता है । इसलिए हमें जांच के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, पहले आप मेरा अनुपूरक प्रश्न सुन लीजिए फिर विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मामले के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहता । आप उसकी चिन्ता क्यों करते हैं? उस पर हम आपके कक्ष में विचार-विमर्श कर सकते हैं और हम यह चाहेंगे कि आप यह सुनिश्चित करें कि कार्यवाही उचित ढंग से चले।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को कल तक स्थगित करता हूं । आप इस बारे में मेरे कक्ष में विचार विमर्श कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आप के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

बेरोजगारी की समस्या के बारे में उद्योग और सरकार के बीच वार्ता

*752. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकालने हेतु उद्योग और सरकार के बीच सार्थक वार्ता हेतु बैठक बुलाई है;

सरकार निश्चय ही इस घटना की निन्दा करती है और इस बात का भरसक प्रयत्न कर रही है कि वास्तविकता का पता चले और सभी अपराधियों को दण्ड मिले।

पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/341/342/325/304 के अन्तर्गत एक मामला पहले ही दर्ज कर लिया है जिसमें उपर्युक्त दो चपरासी और एक सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए हैं। श्री ए० के० चटर्जी और श्री पी० के० तिवारी की गिरफ्तारी के लिए भी वारंट जारी किए गए थे किन्तु इन लोगों ने क्रमश: कलकत्ता उच्च न्यायालय और स्थानीय परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जमानत करा ली थी । अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि प्रबंधक ने अपने खिलाफ मामले को दबा देना चाहा और अन्य अधिकारियों और चपरासियों को फंसा दिया । पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है।

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग ने उनके आह्वान को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडीज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उटता।

श्री के० ए० राजन : समाचार में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि तत्कालीन उद्योग मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि वह बेरोजगारी के प्रश्न पर उद्योग से बातचीत करेंगे । अब माननीय मंत्री कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई । मैं नहीं जानता कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है ? क्या उनकी राय है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उद्योग से बातचीत करने की जरूरत नहीं है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रोजगार अथवा बेरोजगारी, मेरी राय में ऐसे प्रश्न हैं, जिनके बारे में उद्योग से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता ऐसी नीति की है जिससे बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके । यह प्रश्न केवल उद्योग से सम्बन्धित नहीं है । हमारी 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । ग्रामों में अधिक बेरोजगारी है । इस लिए रोजगार की एक समेकित नीति की आवश्यकता है, जो बेरोजगारी को समाप्त कर सके। इस समस्या का सम्बन्ध समूची सरकार से है । हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।

श्री के० ए० राजन : चूंकि हम प्रायः यह सुनते है कि उद्योगों में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता तथा कुछ उद्योगों में रोजगार के अवसर नहीं दिये जाते, क्या मंत्री महोदय इन मामलों को सम्बन्धित उद्योगों से उठायेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कई उद्योगों में क्षमता से बहुत कम काम किया जाता है इसके कई कारण हैं । आवश्यकता से अधिक क्षमता का प्रश्न है । बिजली की समस्या है। क्रम शक्ति का प्रश्न है । कुछ उद्योग अपनी पूरी क्षमता से इस लिए काम नहीं है रहे हैं कि बाजार में उन के उत्पादों की मांग नहीं है । इसके कई कारण हैं । हम लगातर इस प्रश्न पर मंत्रालय स्तर पर तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ विचार करते रहते हैं । मुझे ज्ञात नहीं है कि कोई ऐसा मामला है जिस में जानबूझ कर पूरी क्षमता का इस्तेमाल न किया गया हो । यदि माननीय सदस्य को जानकारी देते हैं तो मैं जांच करूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या यह सच है कि कुछ समय से गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि की दर में कमी हो रही है और यदि हां, तो मंत्री महोदय इस बारे म जांच करायेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार की गति धीमी हुई है । स्पष्ट शब्दों में, मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न को किसी बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है । अपेक्षित यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था हो और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों। समूची औद्योगिक नीति को सुचारू बनाने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि हम सब इस बात को जानते हैं।

SHRI LALJI BHAI : The unemployment problem in the country is assuming more alarming proportions. I had a question regarding desk scheme, yesterday as well as to-day. Today also the question will not perhaps be covered. I want to know from the hon. Minister, when unemployment is on the increase, what Government is going to do about this desk scheme. The Government has declared to eradicate unemployment within 10 years. Whereas this desk scheme will result in more unemployment. The Government have recently appointed a Committee to go into the question of desk scheme. I want to know whether the desk scheme will be kept in abeyance, unless the report of the Committee is received or if not the reasons therefor ?

SHRI GEORGE FERNANDES : So far as the policies are concerned, it has been made clear in the House many a times. That we are contemplating to adopt such industrial policy which may result in development of cottage and small scale industries and eradication of unemployment. So far as the particular scheme mentioned by him is concerned, I need a separate notice for that.

श्री सौगत राय : : इस वर्ष बजट प्रस्तावों में सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र को कई प्रोत्साहन दिये हैं । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी वित्तीय नीति लागू करने की सोच रही है जिस में रोजगार के आधार पर कि किस उद्योग में कितने व्यक्ति हैं अथवा होंगे, कोई प्रोत्साहन दिये जायेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It was stated in the election manifesto with all emphasis that unemployment would be solved within 10 years, and in case it was not done unemployment dolls would be given. The Janta Government has been returned to power by the people mainly on this account. A majority of the private sector industries have been decelerating resulting in adverse affect an employment opportunities. I want to know whether Government have prepared any such scheme which may result in more employment to more people and development of cottage and small scale industries and if so the time by which the scheme will be brought before the people ?

Tomatos and peas are produced in villages and the industries based on such products can be established in villages. Is there any such plan ?

SHRI GEORGE FERNANDES : I have already said that unemployment problem can not be solved only by industrial policy. The agricultural sector is also involved there in and we have to create more employment opportunities in that sector. So far as industrial policy is concerned. I have already stated that we are trying to introduce such a policy which may result in the development of small scale and cottage industries. So far as the institutions in this regard are concerned, there are certain institutions within and outside the Ministry which are helping in solving unemployment problem.

डा० कर्ण सिंह : यह सच है कि बेरोजगारी की समस्या के लिए एक व्यापक एवं बहु-उद्देशीय नीति की आवश्यकता है । माननीय मंत्री ने भी कहा है कि कृषि क्षेत्र से बहुत अधिक लोगों को रोजगार मिलता है । परन्तु मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उद्योग से बातचीत जारी रखने की बात को अस्वीकार कर दिया है । 30 प्रतिशत रोजगार उद्योग से मिलता है और यह रोजगार उस क्षेत्र में प्राप्त होता है, जहां कि शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है । मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय न केवल उद्योग से अपितु सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में, श्रमिकों से भी लगातार बातचीत करते रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी रोजगार नीतियां राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हैं और इनसे बेरोजगारी कम हो रही है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सरकार सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों तथा श्रमिकों से लगातार विचार-विमर्श करती रहती है।

श्री ए० के० राय : कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने सभा को बताया था कि यदि आवश्यक हुआ तो कारखानों का प्रबन्ध राज्यों को नहीं अपितु श्रमिकों को सौंपा जायेगा । मैं आप को बताना चाहता हूं कि धनबाद भारत की औद्योगिक पट्टी है और वहां तीन महीने के अन्दर 10,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं क्या मंत्री महोदय उन कारखानों का अधिग्रहण करके श्रमिक संघों से बातचीत करेंगे कि बेरोजगारी की समस्या को किस प्रकार हल किया जाये ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह एक सुझाव है । मैं इस पर विचार करूंगा।

SHRI RAM KANWAR BERWA : The Chief Minister of Punjab has issued a statement that educated rural youngmen would be given interest free loans in order to set up their industries.

The villagers have no knowledge about the facilities of loans for setting up small industries. So I want to know whether instructions will be issued by the Centre to the States to open offices at Tehsil and Panchayat level in order to educate the people about small scale industries ?

SHRI GEORGE FERNANDES : So far as the question of loans is concerned, this subject comes under the Ministry of Finance. But so far as the question of imparting information and training to unemployed youngmen who want to set up small scale industries, we have made enough arrangements which are being strengthened further.

श्री हरिकेश बहादुर : सरकार द्वारा अनेक प्रयास किय जाने के बावजूद भी पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सका है । क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग खोले जा रहे हैं, ताकि वहां, विशेषक पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी को कम किया जा सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमारी नीति का मुख्य प्रयास यह है कि लघु और कुटीर उद्योग, पिछड़े क्षेत्रों में खोले जायें ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

*754 **श्री पी० वी० जी० राजू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एक "अखिल भारतीय शिक्षा सेवा" का विकास करने और उसे बनाने के बारे में पुनः विचार करना चाहती है ?

गृह मंत्री श्री (चरण सिंह) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री पी० वी० जी० राजू : मैंने यह प्रश्न 18 जुलाई को शिक्षा मंत्री से पूछा था । इस लिए मुझे शिक्षा मंत्री तथा गृह मंत्री दोनों से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये । वर्ष 1963-64 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था कि जब तक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा नहीं होगी, हम समान शैक्षिक नीति नहीं अपना सकेंगे । हम ने इस उद्देश्य के लिये त्रिभाषी सूत्र अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा स्वीकार कर लिया है । अखिल

भारतीय शिक्षा सेवा के द्वारा आसाम के व्यक्ति के लिए गुजरात में तथा गुजरात के व्यक्ति के लिए आसाम में पढ़ाना संभव होगा । समूचे देश में समान शैक्षिक नीति अपनाने से देश में भावात्मक एकता स्थापित की जा सकेगी । इस लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का विकास करने के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जाये, ताकि देश में भावात्मक एकता स्थापित की जा सके । सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव दिया है।

श्री चरण सिंह : यह प्रश्न नहीं, सुझाव है।

श्री पी० वी० जी० राज : देश की भावात्मक एकता समान शिक्षा नीति से स्थापित की जा सकती है तथा उस के द्वारा त्रिभाषा सूत्र को भी पूर्णतया क्रियान्वित किया जा सकता है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या त्रिभाषा सूत्र को क्रियान्वित करने के लिए वह अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? सरकार की इस बारे में क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : फिर, उन्होंने एक सुझाव दिया है।

श्री वायलार रवि : हम त्रिभाषा सूत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते है। (**व्यवधान**) :

अध्यक्ष महोदय : त्रिभाषा सूत्र प्रश्न में शामिल नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यद्यपि मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, फ़िर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद 30 वर्षों में ऐसा कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय में आया है जिसके द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा सेवा को फिर से उसी प्रकार लागू किया जाए जैसे कि वह स्वतंत्रता से पहले थी ? दूसरे क्या इस संम्बंध में गृह मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय से परामर्श किया था ?

श्री चरण सिंह : केन्द्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना करने के प्रश्न पर कोई 10 वर्ष पहले विचार किया गया था। विभिन्न राज्य सरकारों से मिले उत्तरों पर, विचार करने के बाद 1968 में इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया । उसके बाद सरकार के सामने विचार के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया । सरकार इस प्रश्न को पुनः नहीं उठाना चाहती । माननीय सदस्य के सुझावों पर अवश्य विचार किया जाएगा । परन्तु वे मात्र सुझाव ही हैं। सरकार कोई वादा नहीं करती।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या विभिन्न राज्य सरकारें और शिक्षा मंत्रालय ऐसी अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के विरुद्ध थी ?

श्री चरण सिंह : कुछ राज्य सरकारें इसके पक्ष में थीं और शेष विरुद्ध। शिक्षा मंत्रालय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री एन० श्री कान्तन नायर : अधिक से अधिक मंत्रालयों/विभागों को अखिल भारतीय सेवाओं के अन्तर्गत लाने से राज्यों की स्वतंत्रता अपने आप ही कम हो जाएगी । इस दृष्टि से क्या सरकार अखिल भारतीय सेवाओं में और वृद्धि नहीं करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

रेल-मार्गों, जल-मार्गों तथा सड़क-मार्गों का अधिक प्रभावी उपयोग करने के लिए योजना

755. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल मार्गों, जल-मार्गों तथा सड़क-मार्गों का अधिक प्रभावी उपयोग करने के उद्देश्य से एक समेकित एवम् समन्वित योजना बनाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है।

(ख) इस दिशा में रेलवे ने, जो परिवहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) में उल्लेखानुसार कोई योजना नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग) परिवहन के प्रत्येक साधन का और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एक राष्ट्रीय समाकलित और समन्वित नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

उपभोक्ताओं की कुशल और संतोषजनक सेवा की व्यवस्था करने और यातायात के संवर्द्धन के लिए रेलवे ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) प्रत्येक रेलवे में स्थापित मार्केटिंग और बिक्री संगठन के माध्यम से उद्योग और व्यापार के साथ घनिष्ट सम्पर्क रखना।

(2) बिना किसी मार्गस्थ माल की धरा उठाई के समाकलित रेल-एवं-सड़क सेवा प्रदान करने की दृष्टि से कन्टेनर सेवा को शुरु करना और विस्तार करना।

(3) छोटे-छोटे व्यापारियों को वैगन लदान दर (कम दरों) का लाभ दिलाने के लिए थोड़ा-थोड़ा माल एकत्र करने के लिए भाड़ा प्रेषक सेवाओं को शुरू करना और विस्तार करना।

(4) विशेष दो स्थानों के बीच, जिनमें मार्गस्थ समय की गारंटी होती है, तुरन्त पारगमन सेवा शुरू करना और विस्तार करना।

(5) महत्वपूर्ण शहरों में जगह-जगह जाकर माल इकट्ठा करना और सुपुर्द करने का कार्य करना, और

(6) यात्री सेवाओं के क्षेत्र में तालमेल बिठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य सड़क परिवहन निगमों में रेलवे का वित्तीय भागीदार बनना।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : समेकित परिवहन नीति के प्रश्न पर लम्बे समय से चर्चा हो रही है । आज मंत्री महोदय कहते हैं कि इस पर विचार हो रहा है, यदि कल पूछूं तो उत्तर होगा इस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । इसके बाद सम्भवतः इस पर तेजी से विचार हो सकता है । विकास से लगता है कि रेलवे ने कुछ कार्यवाई की है । परन्तु साथ ही यह समझ में नहीं आता कि समेकित परिवहन नीति के अन्तर्गत रेलवे लम्बी दूरी के यातायात को अपने हाथ में क्यों कर ले सकती है और कम दूरी के यातायात को सड़क परिवहन को दिया जा सकता है तथा ऐसा कर वे देश के प्रत्येक भाग को उचित और संतोषजनक माल ढुलाई और यात्री सुविधाएं दे सकते हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार ने इस व्यवस्था को किस सीमा तक लागू किया है ?

श्री मोरारजी दसाई : मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस व्यवस्था को करने में इतने महीने नहीं लगेंगे, जितने पहले वर्ष लगे हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है तथा सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफ़ारिशों की किस सीमा तक जाँच की है और उन्हें स्वीकार किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : अन्तर्देशीय जल परिवहन अभी देश में उल्लेखनीय रूप का नहीं है । नहरों की व्यापक योजना पर विचार करने पर यह हो सकता है । यह एक बड़ी योजना है और इस पर विचार हो रहा है । इस योजना की सम्भाव्यता पर विचार हो रहा है । उसके पास होने पर एक उचित जल परिवहन पद्धति स्थापित हो सकेगी । समिति के प्रतिवेदन में अधिक कुछ नहीं दिया गया है ।

SHRI YAGYA DUTT SHARMA : Whether Government is aware that road transport is generally used for goods traffic. But the trucks are frequently intercepted and checked by the police and this reduces their speed. Whether Government will evolve a country inside scheme for giving facilities to road transport ?

SHRI MORARJI DESAI : The road users commit many mistakes and indulge in overloadings. If they mend themselves, these people will also come on right path.

डा० हेनरी आस्टिन : क्या प्रधान मंत्री देश के तीन ओर पानी से घिरे तट पर तटीय जहाजरानी सेवा की सम्भाव्यता का अत्यधिक उपयोग किए जाने का गहराई से अध्ययन करेंगे ? तटीय जहाजरानी का उपयोग हम और गहन रूप में कर सकते हैं । उदाहरणतः बंगाल से केरल रेल के रास्ते में अनेकों कठिनाइयां हैं जबकि अधिक तटीय जहाज रानी सेवा होने पर इनसे बचा जा सकता है । क्या प्रधान मंत्री इस ओर एक समेकित और पूरक परिवहन नीति की दृष्टि से विचार करेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई : इस पर विचार हो रहा है । कोयले की समुद्र द्वारा ढुलाई किए जाने की व्यवस्था की जा चुकी है । परन्तु समुद्री परिवहन रेल से अधिक मंहगा हो जाएगा । इस पर भी विचार करना है । दोनों का उचित विकास करना है, इसी कारण इस पर बड़ी सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है ।

SHRI O. P. TYAGI : The trucks operating on long distance have to pay taxes and octroi duty at several places in different states. This incauses the freight changes. Whether Government will make some arrangement to avoid this handicap ?

SHRI MORARJI DESAI : This is the justification of the states and that cannot be curtailed. We can only request them and that we will try to do.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस पर विचार हो रहा है । वास्तविकता यह है कि इस पर लम्बे समय से विचार हो रहा है । सड़क परिवहन निगम को रेलवे प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपया दे रही है तथा अब तक रेल और सड़क परिवहन में समन्वय स्थापित करने के लिए इस निगम को 45 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। इन योजनाओं को अब तक किस प्रकार चलाया गया है तथा क्या वे अब इस पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिए रेल और परिवहन और जहाजरानी मंत्रालयों की एक समिति बनाएंगे जिससे अच्छे परिणाम निकल सकें, और नमक की खपत वाले क्षेत्रों में नमक सस्ते मूल्य पर पहुंच सके ?

श्री मोरारजी देशाई : यह समन्वय माननीय सदस्य यदि पहले करते तो अच्छा था । हमें अभी कुछ समय लगेगा पर उतना नहीं जितना उन्होंने लिया है ।

डेस्क आफिसर योजना

*756. **श्री लालजी भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में डेस्क आफ़िसर योजना कब से लागू की गई है ;

(ख) क्या इस योजना के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय में एसिस्टेंटों, अपर डिवीजन क्लर्कों, लोअर डिवीजन क्लर्कों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर ठप्प हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) डेस्क अधिकारी प्रणाली लागू करने को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हुए सरकार के निर्णय को 18 जनवरी, 1973 को सभी मंत्रालयों को भेज दिया गया था । मंत्रालय ने चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च, 1973 को जारी किए गए मार्ग निर्देशकों के आधार पर परिवर्तन के लिए उपयुक्त पाए गए अपने कुछ अनुभागों को डेस्क अधिकारी प्रणाली में बदलना आरम्भ कर दिया । परिवर्तन की प्रक्रिया अभी चल रही है ।

(ख) चूंकि अनुभाग अधिकारी के स्तर के डेस्क अधिकारियों के पदों की संख्या बढ़ गई है इसलिए सहायकों के पदोन्नति के अवसर अधिक हो गए हैं । योजना के लागू होने स्वरूप सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों की संख्या में कमी आ जाएगी । इसलिए उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों के पदोन्नति के अवसर कुछ हद तक कम हो गए हैं । जहां तक श्रेणी IV का सम्बन्ध है डेस्क अधिकारी प्रणाली का अब तक उनकी पदोन्नति के अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य श्रेणी IV के कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या उनके लिए अवर श्रेणी ग्रेड में आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हो रही है ।

(ग) उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में गतिरोध को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) सहायक ग्रेड में सीधी भर्त्ती को जिसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाना था, स्थायी उपाय के रूप में घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(ii) उच्च श्रेणी लिपिकों की सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए लागू की गई सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कि वरिष्ठ उच्च श्रेणी लिपिकों को सहायक के ग्रेड में 50 प्रतिशत पदोन्नति के कोटे में पदोन्नत किया जा सके ।

(iii) उच्च श्रेणी लपिकों के ग्रेड में अवर श्रेणी लिपिकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के कोटे को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है और विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आरक्षित कोटे को उसी कारण से 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है

(iv) आशुलिपिक ग्रेड घ के सभी पद अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति के लिए आरक्षित हैं और उन्हें आशुलिपि में सेवा कालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे आशुलिपिक सेवा में जा सकें ।

(v) जो सेवारत अवर श्रेणी लिपिक तथा उच्च श्रेणी लिपिक शैक्षिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त हैं और जिनकी सेवा अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर निरन्तर तथा नियमित रूप से 3 वर्ष से कम की नहीं है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सहायक ग्रेड की खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक की आयु सीमा में रियायत दी गई है ।

(vi) विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष तक कर दिया गया है जिससे कि पुराने लोग भी विभागीय परीक्षा को कोटे की रिक्तियों में पदोन्नति के लिए प्रतियोगिता कर सकें ।

(vii) मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारियों पर तुलनात्मक गैर-संवर्गीय पदों के लिए विचार करें ।

SHRI LALJI BHAI : Mr. Speaker, Sir, I do not understand the contents in the statement laid on the Table of the House. The Desk Scheme was started during emergency. First of all it was introduced in the 15 of the 78 departments in the Ministry of Railways. As a result of this the persons working in the lower categories of posts in these 15 departments have been becoming unemployed and the number of such unemployed persons is increasing day by day. A committee was appointed to go into this problem. I want to know, whether this scheme will be kept in abeyance till the receipt of the report of the committee, if not, the reasons therfor ?

SHRI CHARAN SINGH : This scheme has no impact on unemployment. It has impact only on the prospects and opportunities of promotions in the case of L.D.C.'s and U.D.C's. who are affected of this scheme. In order to mitigate this complain and relieve the stagnation in the matter of promotions in the grade of U.D.C. and L.D.C. Few steps have been taken enumerated in the statement I have laid on the Table of the House. Apart from these measures, Government have appointed a review committee which is looking into all these questions.

The contention of the hon. Member that this scheme is being implemented in the smaller departments of the Government is not correct. At present this scheme is working in 35 departments including Finance Department. If the Department of Finance is considered to be small or unimportant, it is a separate matter. Even the bigger departments have been covered in this scheme.

SHRI LALJI BHAI : My question is whether this Desk-scheme will be kept in abeyance till the report of the committee is received.

SHRI CHARAN SINGH : I have already said that this scheme will not have any impact on employment. The grievances of the persons is that it will affect the prospects of promotions.

श्री के० ए० राजन : मंत्री महोदय ने बताया है कि इस योजना के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर और जरियों पर ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी कम हो जायेंगे । चूंकि सरकार इस मामले की जांच कराने के लिए अध्ययन दल स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है क्या मंत्री महोदय वर्तमान योजना को स्थगित करेंगे ?

श्री चरण सिंह : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि रोजगार के अवसरों पर प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है । कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों पर ही प्रभाव पड़ रहा है । कुछ कर्मचारियों की यही शिकायत है । इस प्रश्न पर पहले भी ध्यान दिया जा चुका है और अब भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है ।

रांची में वेस्ट तुमाग कोयला खान में तीन खनिकों की मृत्यु

*757. **श्री निहार लास्कर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में वेस्ट तुमाग कोयला खान में काम करने वाले तीन खनिकों की 3 जुलाई, 1977 को मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण थे और उनके परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या खान के मैनेजर को निलम्बित कर दिया गया है; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पहली जुलाई, 1977 को रात लगभग 8.30 बजे वेस्ट तुमाग कोयला खान में हुई दुर्घटना में तीन खनिक घातक रूप से घायल हुए थे ।

(ख) यह दुर्घटना छत से लगभग 3 मी० × 2.5 मी० × 0.3 मी० आकार का पत्थर उस समय गिरने के कारण हुई जब तीनों खनिक अन्य लोगों के साथ कोयले की लदान करने में लगे हुए थे । कामगार मुआवजा अधिनियम के अनुसार मुआवजे के रूप में 64,200/- रुपए मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए मुआवजा आयुक्त के पास जमा कर दिए गए हैं । कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन इस भुगतान के अतिरिक्त मृतकों में से प्रत्येक के परिवार को 500/- रुपए, दुर्घटना के तत्काल बाद, मृतकों के अन्तिम संस्कार आदि तथा अन्य मदों पर खर्च के लिए तदर्थ आधार पर दिए गए।

(ग) खान प्रबंधक को 2-7-77 से 18-7-77 तक मुअत्तिल रखा गया।

(घ) संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा तथा मुख्य खनन इंजीनियर, सेन्ट्रल कोलफ़ील्ड्स लि० राँची द्वारा जाच की गई है । किन्तु उनकी रिपोर्टें अभी आनी हैं।

श्री निहार लास्कर : उन्होंने विवरण में पूरा ब्यौरा दे दिया है । और अब मैं, केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा क्या दिया गया मुआवजा कामगार मुआवजा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आँका गया है ? दूसरे, क्या आप मुआवजे की राशि बढ़ायेंगे ?

श्री पी० रामचन्द्रन : अधिनियम के अनुसार ही मुआवजे की राशि आंकी गई और दी गई है। जब तक अधिनियम में संशोधन नहीं किया जायेगा मैं नहीं समझता कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जा सकती है।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध चल रहे मामलों का वापस लिया जाना

*758. **श्री वसन्त साठे**
श्री वयालार रवि } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान मुख्य मंत्री, श्री प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले पंजाब में राष्ट्रपति शासन के दौरान वापस ले लिए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके खिलाफ़ ये मामले उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए नियुक्त किये गये जांच आयोग की सिफारिशों के आधार पर दर्ज किये गये थे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) श्री प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के कोई मामले अदालत से वापस नहीं लिए गए थे। छंगानी जांच आयोग, जिसकी रिपोर्ट उन पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के लिए पंजाब सरकार को भेज दी गई थी, के निष्कर्षों में से उत्पन्न तीन मामलों को राज्य पुलिस द्वारा श्री बादल के विरुद्ध दर्ज किया गया था जांच पड़ताल पूरी करने पर निदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जांच से प्रकट तथ्यों और साक्ष्यों के अनुसार, इन सभी तीनों मामलों में अदालत द्वारा विचारण के लिए दाण्डिक अपराध का कोई मामला नहीं बनता और उसने मामलों को रद्द किए जाने की सिफ़ारिश की। राज्य सतर्कता ब्यूरो के निदेशक के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने तीनों मामलों में रिपोर्टों के रद्द किए जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

श्री वसंत साठे : इस उत्तर से सरकार के रवैये और कठोरता की पूर्ण रूप से कलई खुल गई है। पुलिस ने छंगानी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में पहले ही शिकायत दर्ज कर दी थी। और छंगानी आयोग की रिपोर्ट की धारा 1 (ग) के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला है कि इसे श्री बादल ने यह स्वीकार किया है कि उसने एक विधायक श्री बामदेव, और अपने भाई श्री गुरदास सिंह बादल और अपने स्वशुर को एक एक ट्रैक्टर अलाट किया है। सतर्कता ब्यूरो कहता है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है और ये मामले वापस लिए जाते हैं (व्यवधान)। मोगा नगर पालिका के अन्तगत, यह कहा गया है :

> "अन्त में यद्यपि श्री बादल ने फ़र्म से कोई अनुग्रह लिया हो या न लिया हो लेकिन पक्षपात, अधिकार के दुरुपयोग, और अवैध एवं मनमाने आदेश जारी करने का आरोप सिद्ध हो गया है ——————————

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की नीति है कि पुलिस द्वारा न्यायालय में मामले दर्ज किए जाने के बाद भी ऐसे प्रसिद्ध मामलों के सम्बन्ध में जैसा कि हमारे मित्र श्री जार्ज फ़र्नान्डीज का मामला है, बाद में सतर्कता ब्यूरो यह निर्णय करेगा कि क्या यह मामला बनता है अथवा नहीं और सरकार उन मामलों को वापस ले लेगी ?

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार ने मामले वापस ले लिए हैं।

श्री वसन्त साठे : ये तो राष्ट्रपति शासन के दौरान वापस लिए गए हैं।

श्री चरण सिंह : खेद है माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर समझने का कष्ट नहीं किया है । मामले न्यायालय में दर्ज नहीं किए गए थे । केवल एफ़० आई० आर० ही दर्ज की गई थी । इतना ही अन्तर है । ये मामले जांच के लिए राज्य सरकार के सतर्कता ब्यूरो के पास भेजे गए थे । सतर्कता ब्यूरो ने यह रिपोर्ट दी थी कि आरोप निराधार हैं। और इसीलिए मामले अदालत में दर्ज नहीं किए गए । अतः मामलों के न्यायालय से वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वसन्त साठे : इसका यह तात्पर्य हुआ कि जिस न्यायालय का यह अधिकार क्षेत्र है उसे इस कार्य से रोका जा सकता है । राज्य के सतर्कता ब्यूरो को अब यह सिद्ध करना होगा कि छंगानी आयोग गलत था । फ़िर क्या ऐसी प्रथा चालू हो जायेगी कि आयोग द्वारा रिपोर्ट और निष्कर्ष दिए जाने के बाद तथा आपराधिक तथ्यों के आधार पर न्यायालय में मामला या एफ़० आई० आर० दर्ज किए जाने के बाद भी इस मामले पर न्यायालय निर्णय नहीं देगा बल्कि सतर्कता ब्यूरो ही अपना निर्णय देगा ? क्या यही आपकी प्रक्रिया है ?

श्री चरण सिंह : अब मैं विस्तार से कुछ कहना चाहूंगा । श्री बादल के विरुद्ध केवल 12 आरोप लगाये गये थे । उनमें से एक तो 1976 में श्री जैल सिंह द्वारा ही निराधार पाया गया था फ़िर 11 आरोपों में से 7 आरोप कानूनी परामर्शी की सलाह पर नितान्त निराधार समझे गये थे ।

विधि परामर्शी की राय यह थी कि इन आरोपों में कोई सार नही है । बाकी चार आरोपों में से तीन के सम्बन्ध में पुलिस में मामले दर्ज है। ये मामले सतर्कता आयोग को जांच के लिये सौंप दिये गये और आयोग की भी यही राय है कि इन आरोपों में कोई सार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न को लेते हैं । श्री ओम प्रकाश त्यागी

श्री ए० सी० जार्ज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न पूछे जाने के बाद जिस सदस्य के नाम प्रश्न है, क्या उसे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ?

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN (Bhatinda) : On a point of order, Sir. Why had the previous commission refused to conduct the enquiry ?

(Interruptions)

श्री सौगत राय : वह कैसे बोल सकते हैं ? श्री रवि का नाम प्रश्न में है ————

अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त होने के बाद प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री वयालार रवि: मेरा एक प्रक्रिया का प्रश्न है । भविष्य में, समय समाप्त होने के बाद, क्या प्रश्न में दर्ज अगले सदस्य का नाम पुकारा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय: नहीं पुकारा जायेगा ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

PACKETS AND PAMPHLETS FOUND IN KARIMGANJ SUB-DIVISION IN CACHAR DISTRICT OF ASSAM

SNQ NO. 29. SHRI OM PRAKASH TYAGI
SHRI K. LAKKAPPA
SHRI DHANNA SINGH GULSHAN
SHRI SURENDRA BIKRAM
DR. VASANT KUMAR PANDIT
: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the news report that packets containing dhoties, lungis and pamphlets were found in Fakir Bazar, Panighat and Onadari in Karimganj sub-division in Cachar District of Assam, is correct; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । समाचार सही है । असम के कछार जिले में करीमगंज सबडिवीजन के कुछ गावों में 2 व 3 जुलाई, 1977 को तोलिया, अण्डरवियर, खाने की चीजों तथा चीनी भाषा के इस्तिहारों के पैकेट पाये गये थे । ऐसे ही मामले पहले भी ध्यान में आये थे और जांच करने पर यह मालूम हुआ कि साहित्य तथा चीजें चीन में लोगों में वितरित करने के लिये थी । ऐसी चीजें सामान्यत: बैलूनो द्वारा भेजी जाती हैं जो किसी समय विपरीत हवा के कारण भटक कर हमारे क्षेत्र में आ जाती हैं ।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : May I know the contents and the press line of the pamphlets ? Have Government ascertained the facts from Taiwan Government ?

SHRI CHARAN SINGH : We did not think it proper to ascertain anything from the Traiwan Government. Perhaps we are not having diplomatic relations with that Government.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I wanted to know the matter and the press-line of the pamphlets.

SHRI CHARAN SINGH : I have no information in this regard. I will again make enquiries and lay the information on the Table of the House.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : May I know whether the contents of the packets dropped were distributed by the people amongst themselves on the same wage deposited with the Government ?

SHRI CHARAN SINGH : It is not a very serious matter. Such literature is generally sent by the Taiwan Government to the Chinese Mainland by balloons which sometimes rights and land into our territory on account of shifting round currents. We are not concerned with that. However, of the Hon'ble Member wants, I shall make further enquiries.

श्री के० लकप्पा : उत्तर-पूर्व क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र है । इस सीमा-क्षेत्र में पिछले चार महीनों से चीनियों की गतिविधियाँ बढ रही हैं । क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में चीन की तोड़-फोड़ की गतिविधियाँ बढ रही हैं ? ये आवश्यक वस्तुएं वहाँ इसलिये गिराई गई हैं क्योंकि सरकार ने उस क्षेत्र में ये वस्तुएं रियायती दरों पर सप्लाई नहीं की हैं और उन क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक समस्यायें हैं ।

वहाँ पर ये गतिविधियाँ बढ रही हैं और हमारी सीमा की सुरक्षा अन्तर्ग्रस्त है । माननीय गृह मंत्री इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या उन्हें तोड़-फोड़ की गतिविधियों की कोई सूचना मिली है ? उन क्षेत्रों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री देने के बारे में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों की बातों का कोई उत्तर देने की जरूरत है। मैं उन्हें बता दूं कि जो लुंगियाँ वहाँ मिलीं उनमें कोई बम नहीं थे ।

श्री के० लकप्पा : मैंने पूछा है कि क्या उन क्षेत्रों में कोई तोड़-फ़ोड़ की गतिविधियाँ चल रही हैं ?

श्री चरण सिंह : नहीं, श्रीमान्, ऐसी कोई गतिविधि नहीं चल रही है ।

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : May I know who dropped these pamphlets and other items and whether some foreign power had a hand in the dropping of these things ?

SHRI CHARAN SINGH : I have already replied to the question of the Hon'ble Member. These items were dropped by wind currents.

SHRI SURENDRA VIKRAM : Have the Government made enquiries from China to ascertain of these balloons drifted into our territory accidently or these were sent with some motive ?

SHRI CHARAN SINGH : The balloons had been sent by the Taiwan Government and the Chinese Mainland had nothing to do with it. I have already given details of the goods found. The question of securing of the country is not involved in it.

डा० वसन्त कुमार पण्डित : पिछली घटनाओं में जब गुब्बारे मिले थे तो उनमें जो पुस्तिकायें मिली थीं, क्या उनका अनुवाद कराया गया था और यदि हां तो उनमें क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ?

डा० वसन्त कुमार पण्डित : पिछले मामलों में क्या जांच की गई थी ? उनमें क्या पाया गया ? इस मामले में लूंगी और धोती मिली है लेकिन सरकार ने उन्हें अन्डरवीयर और 'वस्त्र' कहा है ऐसा लगता है कि ये वस्त्र भारतियों के लिये थे, चीनियों के लिये नहीं

श्री चरण सिंह : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त करूंगा और उसे सभा-पटल पर रख दूंगा ।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : क्या यह सम्भव है कि मेनलैंड में उड़ाया गया गुब्बारा करीमनगर में आकर गिर जाये ? अतः माननीय गृह मंत्री इस बात का भी पता लगायें कि क्या यह चीन की मेनलैंड से उड़ाया गया था या कहीं और से ?

अध्यक्ष महोदय : उनका जबाब था कि यह ताईवान से था ।

SHRI H. L. PATWANI : Congress rulers had posted some of their agents in Karimganj area. These agents are maligning the present Government. Will the Hon'ble Member ascertain whether it is the work of those Congress agents ?

SHRI CHARAN SINGH : My Hon'ble friends, sitting opposite are in a better position to reply to this question.

श्री के० मालन्ना : माननीय गृह मंत्री ने आपति और वाह्य आपात स्थिति के निरसन की बात कही थी । उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में कई घटनायें हो गई हैं। इन क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय: इस बात का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : The Hon'ble Home Minister stated that it is not a serious matter. How can he say that it is not a serious matter when he has not gone through the contents of the pamphlets dropped there ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होने कह दिया है कि वह एक विवरण सभा पटल पर रख देंगे ।

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Unless you go through the contacts of the pamphlets how can you say that it is not a serious matter ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वनों पर आधारित उद्योगों सम्बंधी संगठन

*750. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में मुख्यत: वनों पर आधारित उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई संगठन है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा संगठन बनाने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) वनों पर आधारित उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकारी क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर का कोई संगठन नहीं है। किन्तु, कई राज्य सरकारों ने वनों पर आधारित कच्चे माल का विकास तथा उपयोग करने हेतु वन विकास निगम स्थापित किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

FREE MEDICAL FACILITIES FOR FREEDOM FIGHTER PENSIONERS

*753. SHRI YUVRAJ : With the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have asked the State and Union Territory Governments to make arrangements for providing medical care free of charge to freedom fighter pensioners; and

(b) if so, from what date they will get this facility ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) Yes, Sir. In November, 1974, State Governments and Union Territory Administrations were requested to consider the question of providing comprehensive medical aid to freedom fighters and their dependents, particularly, those receiving pensions from the Central or State Governments. It was further suggested in December, 1975 that free medical aid to provided to the freedom fighters and their dependents without imposing any condition of income or any other matter. No specific date from which the facilities should be made available was indicated.

राज्यों में टेलीविजन उपग्रह सेवा की उपयोगिता के बारे में सर्वेक्षण

*759. **श्री जी० वाई० कृष्णन**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों में जहां टेलीविजन उपग्रह सेवा आरम्भ कर दी गई है उसकी उपयोगिता के बारे में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ख) क्या उक्त सेवा की अवधि और क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के स्पेश एप्लीकेशन सेंटर को उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग ("साइट") का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) यह निर्णय लिया गया था कि "साइट" की समाप्ति पर, "साइट" के अन्तर्गत आने वाले 6 राज्यों के लगभग 40 प्रतिशत गावों में दूरदर्शन सेवा जारी रखी जाए। इस प्रयोजन के लिए, 6 स्थलीय ट्रांसमीटरों, आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद में), बिहार (मुजफ्फरपुर में), कर्नाटक (गुलबर्ग में), मध्य प्रदेश (रायपुर में), उड़ीसा (सम्बलपुर में) और राजस्थान (जयपुर में) में एक एक, की व्यवस्था की गई है। रायपुर और जयपुर के ट्रांसमीटर पहले ही चालू हो चुके हैं। शेष 4 ट्रांसमीटरों के इस वर्ष के अन्त से पहले चालू होने की उम्मीद है।

कनोत्रा द्वीप के निकट अमरीकी मत्स्य ग्रहण पोत का डूबते हुये पाया जाना

*760. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 जुलाई, 1977 को एक अमरीकी मत्स्य ग्रहण पोत को कमोत्रा द्वीप के निकट जहां भारतीय नौसेना का छोटा सैनिक अड्डा है, डूबते हुये पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशी मत्स्य ग्रहण पोत अक्सर अन्दमान निकोबार द्वीप समूह के तटों के निकट आते हैं और क्या सरकार को इसके पीछे किसी अन्य उद्देश्य के छिपे होने की आशंका है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने पोत जब्त किये गये और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह की हमारी क्षेत्रीय जल सीमा में कभी-कभी विदेशी मत्स्य ग्रहण पोत दिखाई पड़ते हैं। यह पाया गया है कि ये अधिकांशतः किसी छिपे उद्देश्य के बिना मुसीबत में हमारी जल सीमा में प्रवेश करते हैं।

(घ) गत तीन वर्षों में दो विदेशी मत्स्य ग्रहण पोत पकड़े गये हैं और जब्त कर लिए गये हैं। इन पोतों में से एक को जब्त करने के बारे में एक याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

आपात स्थिति के दौरान दूरदर्शन में बनाये गये उच्च पद

*761. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान दूरदर्शन में कई उच्च पद बनाये गये थे;

(ख) क्या इसके साथ ही नये ढांचे के गठन की बात कहकर पदोन्नति के लिए स्टाफ़ आर्टिस्टों के वर्ग की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई थी;

(ग) क्या दूरदर्शन की कतिपय नियमित श्रेणियों को ही खपाने के लिए कुछ उच्च पद बनाये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी): (क) से (घ) दूरदर्शन के 1 अप्रैल, 1976 से आकाशवाणी से अलग होने पर, दूरदर्शन महानिदेशालय एक स्वतन्त्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मुख्यालय के कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के अनेक पद बनाने पड़े। कुछ पद केन्द्रीय खरीद और भंडार कार्यालय, वाणिज्यिक सेवा, विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों और "साइट" उत्तरवर्ती कार्यक्रम के लिए भी बनाए गए।

दूरदर्शन केन्द्रों के लिए कोई मानक स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित नहीं था। अतः आपात स्थिति से पहले और उसके दौरान जो पद मंजूर किये गये थे वे तदर्थ आधार पर थे। वित्त मंत्रालय की स्टाफ़ निरीक्षण यूनिट ने अब दूरदर्शन केन्द्रों के लिए स्टाफिंग पैटर्न बना लिया है जो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसको कार्यान्वित करने की कार्रवाई चल रही है।

यह सही नहीं है कि पदोन्नति के लिए स्टाफ़ आर्टिस्टों के दावे की बिल्कुल उपेक्षा की गई थी। पदोन्नति के अपर्याप्त अवसरों को देखते हुए, स्टाफ़ निरीक्षण यूनिट ने सिफ़ारिश की है कि जिन श्रेणियों में पदोन्नति के कम अवसर हैं, उनमें सेलेक्शन ग्रेड चालू किया जाए। इसको स्वीकृत स्टाफ़िंग पैटर्न को कार्यान्वित करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

आकाशवाणी से युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण

*662. **श्री पी० जी० मावलंकर :** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी से युववाणी नाम से प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों का समय-समय पर मूल्यांकन करती है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और कब; और

(ग) इस मूल्यांकन से क्या मुख्य निष्कर्ष निकले तथा इसके परिणामस्वरूप क्या परिवर्तन और सुधार किए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी का श्रोता अनुसंधान एकक इन और अन्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, इन सर्वेक्षणों को करने के लिए प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार करता है, किसी निश्चित आवधिकता के अनुसार नहीं।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

विभिन्न केन्द्रों पर 'युववाणी' के लिए किए गए विभिन्न अध्ययों के मुख्य निष्कर्षों से यह पता चला कि :

(1) विभिन्न स्थानों पर 'युववाणी' कार्यक्रमों को सुनने वालों की संख्या अच्छी थी और इसके औसतन 34 प्रतिशत श्रोता इसको नियमित और बहुधा सुनते थे।

(2) 'युववाणी' कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में युवकों के अतिरिक्त ज्ञान हासिल करने और अन्य युवकों के विचार जानने में सहायता मिली है। दूसरी ओर, शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन और उनके भाग लेने तथा मुक्त रूप से विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें एक उपयुक्त यंत्र उपलब्ध करने के रूप में इस कार्यक्रम के लिए उनकी बड़ी आशाएं सीमित हद तक ही पूरी की गई।

(3) इस कार्यक्रम के मनोरंजन पक्ष के बारे में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए। अहमदाबाद, दिल्ली और कलकत्ता जैसे कुछ स्थानों पर, अधिकांश श्रोताओं ने इन कार्यक्रमों को मनोरंजनपूर्ण पाया, जबकि मद्रास और बंगलौर जैसे स्थानों पर कम संख्या में श्रोताओं ने इनको ऐसा पाया।

(4) कुल मिलाकर, श्रोतागण इस कार्यक्रम को जारी रखने के पक्ष में थे ।

जहां तक मूल्यांकन के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप कार्यक्रमों में किए गए परिवर्तनों और सुधारों का सम्बन्ध है, निष्कर्षों से 'युववाणी' कार्यक्रम में कोई बड़ा परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, समय समय पर प्राप्त सुझावों को भावी कार्यक्रम बनाते समय ध्यान में रखा जाता है बशर्ते कि वे सम्भव हों।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ इंडिया के कार्यालयों का स्थानान्तरण

763. **श्री जी० एम० वनतवाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ़ इण्डिया के कार्यालय दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हैं, तो कार्यालय किस तारीख को स्थानान्तरित किये गये और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1974 तथा 1975 में तत्कालीन उद्योग मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कार्यालय स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों की जाच कराने का है जिनमें ये कार्यालय स्थानान्तरित किये गये?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के निम्नलिखित प्रभागों को दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित किया गया है :—

1. परियोजना कार्यान्वयन एवं इन्जीनियरी प्रभाग
2. क्रय प्रभाग
3. विक्रय प्रभाग
4. वित्त एवं लेखा प्रभाग।

(ख) स्थानान्तरण अप्रैल से जून, 1976 के महीनों में किया। सरकार की आय नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा अर्धसरकारी संगठनों (सरकारी उपक्रमों सहित) के कोई भी नए कार्यालय सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना दिल्ली में संस्थापित नहीं किए जा सकते; हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की स्थापना के प्रारम्भ में भी सरकार ने यह निर्णय किया था कि यद्यपि निर्माणावस्था में निगम दिल्ली में होगा किन्तु बाद में इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली (इसके पड़ोस से) के अलावा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के निदेशक मण्डल ने निगम के प्रधान कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थापना स्थल के प्रश्न पर फरवरी, 1975 में विचार किया था । उसके निम्नलिखित कारकों पर विचार किया गया था :—

(1) निगम की प्रमुख परियोजनाएं जैसे नागालैंड परियोजना और नौगांव तथा कछार परियोजनाओं पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में काम शुरू किया जा रहा था।

(2) आवश्यक उपकरण और मशीन उत्पादन और इंजीनियरी उद्योग भी जिन पर मशीन उत्पादन और हिन्दुस्तानी पेपर कारपोरेशन को ढांचा निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए निर्भर करना पड़ता है कलकत्ता क्षेत्र में स्थित हैं।

(3) नौगांव, कछार और नागालैण्ड पेपर मिल्स के समग्र उत्पादों का विपणन केन्द्र कलकत्ता होगा और बिक्री को इस क्षेत्र में संकेन्द्रित करना अनिवार्य था ।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में बोर्ड ने फरवरी, 1975 में निर्णय किया कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के प्रधान कार्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित करना लाभप्रद होगा। निदेशक मण्डल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था जिसने ऊपर उल्लिखित कारकों सहित अन्य सभी संगत कारकों पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कुछ प्रमुख प्रभागों को कलकत्ता स्थानान्तरित कर दिया जाये। निगम का निदेशक मण्डल बाकी प्रभागों को भी स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर समय आने पर निर्णय करेगा।

(ग) जी, नहीं। तत्कालीन उद्योग मंत्री ने केवल यह बताया था कि मामला विचाराधीन था।

(घ) चूंकि निर्णय सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के हित को ध्यान में रख कर किया गया था अतः किसी जांच का सवाल ही नहीं पैदा होता।

भट्ठी तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग

*764. **श्री प्रद्युमन बाल :** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों द्वारा भट्ठी तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने सम्बन्धी प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग किये जाने के मामले में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तेल के स्थान पर कोयले का शीघ्र प्रयोग करने के बारे में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कोयले के उत्पादन में वृद्धि तथा रेल संचलन सुविधाओं के आसानी से प्राप्त होने की वजह से कपड़ा उद्योग में भट्ठी तेल की जगह कोयले का प्रयोग करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। 1975–76 में चार मिलों ने भट्ठी तेल की जगह कोयले का प्रयोग शुरू किया था और 1976–77 में मिलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है।

(ख) भट्ठी तेल की जगह कोयले का प्रयोग करने की प्रगति कुछ धीमी ही रही है जिसके कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) वायुमण्डलीय प्रदूषण से सम्बन्धित कानून।

(ii) वर्तमान प्रणाली को मेकेनिकल फार्यरिंग प्रणाली में बदलने तथा वायु प्रदूषण को स्वीकार्य स्तर तक रखने के लिए धूल एकत्रीकरण साधन लगाने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता।

(iii) आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित उपकरणों तथा नए कोयला प्रदाहक ब्वायलरों के मिलने में अधिक देर लगना।

(iv) घने क्षेत्रों की कपड़ा मिलों में कोयला जमा करने के लिए स्थान की कमी।

(v) फालतू "एल० एस० एच० एस०" के उपयोग के लिए रास्ता निकालने की आवश्यकता जो विशेष रूप से पश्चिमी भारत में अनुभव की जाती है।

(ग) भट्ठी तेल की जगह कोयले का प्रयोग करने में आई बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कोयला विभाग के अनुरोध पर वायु प्रदूषण के स्वीकार्य स्तर की जांच करने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया है।

(2) भट्ठी तेल की जगह कोयले का प्रयोग शुरू करने में कितना धन लगेगा उसके आँकड़े एकत्र कर लिए गए हैं तथा वित्तीय संस्थातनों से इस मामले पर बातचीत चल रही है ताकि ऐसे एककों के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके जो कोयले का उपयोग शुरू करने के इच्छुक हों।

(3) कोयला जमा करने की समस्या को हल करने के लिए कपड़ा मिलों के नजदीक समुचित कोयला भण्डार चलाने के लिए एक स्कीम बनाई गई है।

(4) ऐसी इंजीनियरी फर्मों की तलाश की जा रही है जो तेल से प्रज्ज्वलित होने वाले ब्वायलरों को कोयला प्रज्ज्वलित बनाने का काम "टर्न-की" आधार पर कर सकें।

आसाम मे उद्योगों के विकास के लिए सर्वेक्षण

*765. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पिछड़े हुए और आदिवासी क्षेत्रों (मैदानी और पहाड़ी) में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) क्या उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस और आशय पत्र जारी करने के बारे में राज्य सरकार ने कोई सिफारिश भेजी हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां। आसाम के क्षेत्रों में औद्योगिक विभव सम्बन्धी सर्वेक्षण विभिन्न संगठनों तथा, लघु उद्योग विकास संगठन, इन्डस्ट्रियल विकास बैंक आफ इंडिया, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम आदि द्वारा किए गए हैं।

(ख) आसाम में 1970 से 1977 (जून) तक पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने लाइसेंस तथा आशयपत्र जारी करने हेतु 68 मामलों में सिफारिश की थी।

BHOPAL-NAGPUR NATIONAL HIGHWAY

*766. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state the time by which the work of Bhopal-Nagpur National Highway, which was approved by Government, would be completed ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : A part of the road is included in an existing National Highway while the rest is a State Highway. No direct National Highway between Nagpur and Bhopal has been sanctioned.

तमिलनाडु में होगानक्कल तथा बिलुगुण्डा पन-बिजली परियोजनायें

*767. **श्री पी० वी० पेरियासामी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में बिजली की सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए होगानक्कल और बिलुगुण्डा परियोजनायें आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : होगानक्कल जल विद्युत् परियोजना को संशोधित परियोजना रिपोर्ट 1964 में तमिलनाडु बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई थी। चूंकि जल की उपलब्धता, लाभों और लागत के बंटवारे, इत्यादि सम्बन्धी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच के अन्तर्राज्यीय मामले निहित थे और इनका सन्तोषजनक समाधान नहीं हुआ था, अतः परियोजना को तकनीकी जांच का कार्य नहीं किया जा सका। बिलुगुण्डा जल विद्युत् परियोजना के सम्बन्ध में कोई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुई है।

दक्षिणी क्षेत्र में इस समय निर्माणाधीन विभिन्न जल और ताप-विद्युत् परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर तमिलनाडु सहित इस क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाएगी।

काली नदी पन-बिजली परियोजना

*768. **श्री के० मालन्ना** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काली नदी पन-बिजली परियोजना कब पूरी होनी है;

(ख) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए कुवैत से वित्तीय सहायता मांगी जा रही है; और

(ग) इस परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) काली नदी जल-विद्युत् परियोजना में 910 मेगावाट ($6 \times 135 + 2 \times 50$ मेगावाट) उत्पादन क्षमता की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है। कार्य की वर्तमान प्रगति को देखते हुए, 135 मेगावाट की पहली यूनिट के अक्तूबर, 1978 तक तथा दूसरी यूनिट के मार्च, 1979 तक चालू होने की संभावना है।

(ख) और (ग) : इस परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपये के बराबर राशि के ऋण के लिए अरब आर्थिक विकास कुवैत निधि के साथ एक ऋण-करार हुआ था।

इस परियोजना को राज्य योजना के अंग के रूप में निष्पादित किया जा रहा है और 1977–78 की वार्षिक योजना में इस परियोजना के लिए 41 करोड़ रुपए का परिव्यय नियत किया गया है।

श्री संजय गांधी पर कथित हमले के बारे में जांच पड़ताल

*769. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह मंत्री श्री संजय गांधी पर कथित हमले की जांच-पड़ताल के बारे में 15 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 522 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री संजय गांधी पर 14 मार्च, 1977 को किये गये कथित हमले के बारे में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोठारी समिति की सिफारिश

*770. **श्री टी० बालकृष्णैया** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य श्रेणी एक ही केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के बारे में कोठारी समिति की योजना प्राप्त हो गई है; और

(ख) उसकी सिफारिशें क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कोठारी समिति की मुख्य सिफारिशों का भावार्थ, 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1976 की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग की 26वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 9 में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां 21 जून, 1977 को सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

स्वदेसी अणु शक्ति रिएक्टर

*771. **डा० मरली मनोहर जोशी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ण रूप से स्वदेशी अणु शक्ति रिएक्टर के विकास का कोई प्रस्ताव विचाराधनी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, विशेषकर विद्युत् उत्पादन के सम्बन्ध में, एक उचित अणु शक्ति प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार की नीति यह है कि परमाणु विद्युत् रिएक्टरों के निर्माण में अधिकतम स्वदेशी सामग्री और संघटकों का इस्तेमाल किया जाए।

(ख) सरकार ने परमाणु विद्युत् रिएक्टरों के निर्माण के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रकार की सामग्री तथा संघटक देश में ही बनाने की क्षमता का विकास करने के लिए कदम उठाये हैं। इस काम में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों का सहयोग सफलतापूर्वक कर लिया गया है। कुछ विशिष्ट प्रकार की सामग्रियां और संघटक परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिटों में तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) इस समय निर्माणाधीन ऐसे रिएक्टरों को जिनमें भारी पानी का विमंदक और शीत्लक के रूप में तथा प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिजली का उत्पादन करने के लिए, भारत में विद्यमान परिस्थितियों के अनुकूल समझा गया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य आन्दोलन

*772. **श्री कचरू लाल हेमराज जैन :** क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय सस्थांन के तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारियों ने नियमानुसार कार्य करो आन्दोलन आरम्भ किया;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप विशेषतया पुरानी दिल्ली में कई कई घंटों तक बार-बार बिजली की सप्लाई बन्द की जाती रही; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हाँ।

(ख) तकनीकी सुपरवाइजरों के ग्रेड 'क' और 'ख' के संवर्गों में प्रगतिरोध दूर करने तथा भर्ती व पदोन्नति संबंधी नियमों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए एसोसिएशन मांग करता रहा है और इस संबंध में उनकी मुख्य मांगें ये हैं :—

(1) जो निरीक्षक रु० 300–655 के ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं उन सभी को रु० 450–1000 के वेतनमान में सहायक इंजीनियरों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए या अगर पद उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें रु० 450–1000 का ग्रेड दिया जाना चाहिए।

(2) रु० 400–750 के ग्रेड के अधीक्षक (तकनीकी) के पदों के ग्रेड को बढ़ाकर ये पद रु० 450–1000 के ग्रेड में सहायक इंजीनियरों के पद कर दिए जाने चाहिए।

(3) सहायक इन्जीनियरों के स्तर पर समस्त सीधी भर्ती बन्द कर दी जानी चाहिए ।

(4) गत तीन वर्षों के दौरान सहायक इन्जीनियरों के पदों पर की गई सभी नियुक्तियां रद्द की जानी चाहिए।

(ग) इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप बिजली व्यवस्था भंग (ब्रेकडाउन) हो जाने के बाद बिजली की सप्लाई की स्थिति की बहाली में विलम्ब हुआ। इस वर्ष जुलाई के दौरान भारी वर्षा होने के कारण स्थिति और गम्भीर हो गई।

(घ) जहां तक सम्भव है बिजली की सप्लाई चालू रखना सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं । स्थिति का सिंहावलोकन करने और एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मसलों को पारस्परिक वार्तालाप तथा समझौतों के जरिए हल करने के लिए दिल्ली प्रशस प्रशासन और दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान प्रबन्ध द्वारा बातचीत की जा रही है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। समाचार पत्रों के जरिए 26-7-1977 को नोटिस जारी किया जा चुका है जिसमें तकनीकी पर्यवेक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों से अपेक्षा की गई है कि वे

48 घन्टे के भीतर फिर सामान्य कार्य चालन की स्थिति लाएं अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ADVERTISEMENTS TO INDIAN EXPRESS GROUP DURING EMERGENCY

5890. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether a policy of not giving Government advertisements to the 'Indian Express' group was adopted during the emergency; and

(b) if so, the reasons therefor and the persons responsible for that policy ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

(b) No record is available giving reasons for stoppage of advertisements to the Express Group of papers. Apparently, this was done because of political considerations. This had the approval of the then Minister of Information and Broadcasting.

SETTING UP OF ELECTRICITY PLANTS BY EXPORT-ORIENTED INDUSTRIES

5891. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether Government propose to permit certain selected export-oriented industries to set up electricity generation plants for their own use; and

(b) if so, the facts thereof and the amount of foreign exchange sanctioned for importing equipment for such plants by these industries during 1975-76 ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Industries are not normally allowed to set up captive generating plants. However, in the case of industries where process steam is required or where waste heat is available, establishment of power generation facilities in such industries based on the total energy concept is encouraged. Industries are also allowed to instal indigenous diesel generating sets as stand by.

(b) In the context of prevailing power shortage during the year 1974, the Government had decided to extend the facility for import of standby diesel generating sets to actual users who would require such standby power supply to sustain the production effort. It was also indicated that import of standby diesel sets would be permitted primarily for export oriented units in industries where the cost of power was relatively a small fraction of the total cost of production or where power interruptions or power failure would lead to a heavy loss of production in industries producing items of importance to the economy. The import applications from industrial units under this facility were entertained from December, 1974 upto 30-6-1975. No application was considered for issue of import licence after 30-6-1975. This position still continues. Imports worth approximately Rs. 19.90 crores were cleared in relation to the applications received between December, 1974 and June 1975.

मोटर टायरों का निर्यात

5892. **श्री वयालार रवि :** क्या उद्योग मंत्री टायरों के निर्माण के बारे में 13 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3328 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मोटर टायर निर्माता फ़र्मों ने कुल कितने मूल्य के टायरों का निर्माण किया; और

(ख) कुल कितने टायरों का निर्यात हुआ तथा इन फ़र्मों ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) विभिन्न आटोमोबाईल टायर कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में उत्पादित आटोमोबाइल टायरों का कुल मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन का मूल्य
	(लाख रुपयों में)
1974-75 . . .	35777.07
1975-76	36441.60
1976-77	42729.52

(ख) पिछले तीन वर्षों 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में निर्यात किए गए आटोमोबाइल टायरों की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	(1000 नगों में)	(लाख रुपये में)
1974-75 . . .	275	855.22
1975-76 .	273.4	689.12
1976-77 (अप्रैल-दिसम्बर) . . .	344.7	1222.22

दिल्ली में गले की चेन खसोटने के मामले

5893. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 मई, 1977 से अब तक दिल्ली में गले की चेन खसोटने की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) सरकार ने इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) 25 मई, 1977 से 21 जुलाई, 1977 तक की अवधि में गले से चेन खसोटने के 45 मामले हुए।

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और गश्त के लिए वायरलैस सज्जित वाहन तथा मोटरसाइकिलें लगा दी गई हैं। निगरानी कड़ी कर दी गई है और दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा बम्बई पुलिस अधिनियम के अधीन अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध रोकथाम की कार्यवाही की गई है। विश्वास पैदा करने तथा अपराध पर नियंत्रण करने में उनका सहयोग लेने के लिए विभिन्न इलाकों के नेताओं के साथ बैठकें की गई हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों की छानबीन विशेष कर्मचारियों द्वारा की जा रही हैं।

पंजाबी पुस्तकों में अपमानजनक टिप्पणियां

5894. श्री जुल्फीकारुल्ला : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखित पुस्तकों "श्री गुरु पंथ प्रकाश", जिसे पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा पुनर्मुद्रित और प्रकाशित किया गया है तथा "नागली सिख प्रबोध" जिसे सिंह सभा शताब्दी समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है—गुरुमुखी में लिखित दोनों ही पुस्तकों में—विभिन्न धर्मों, धर्माध्यक्षों और धार्मिक सम्प्रदायों के विरुद्ध निरादर-पूर्ण और अपमानजनक उल्लेख हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पुस्तकों के आगे वितरण तथा बिक्री को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को इस आशय का निर्देश देने का है कि भविष्य में ऐसे अपमानजनक उल्लेख वाली पुस्तकें प्रकाशित न करें?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखित "श्री गुरु पंथ प्रकाश" नामक पुस्तक प्रथमबार 1890 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का नवीनतम संस्करण सिंह साहेब ज्ञानी किरपाल सिंह, अमृतसर गोल्डन टैम्पल के हैड प्रीस्ट की व्याख्या के साथ 1976 में प्रकाशित किया गया है।

"नगली सिख प्रबोध" नामक पुस्तक सत्तर वर्ष से भी अधिक पहले प्रकाशित हुई थी। इसका नवीनतम संस्करण सिंह सभा शताब्दी समिति द्वारा निकाला गया है।

इन पुस्तकों में अन्य धर्मों/धर्म प्रमुखों/धार्मिक समुदायों के लिए असम्मान-पूर्ण अथवा अप्रतिष्ठाजनक उल्लेखों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब कभी कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होगी तो यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में शहीद सैनिकों की विधवाओं का पुनर्वास

5895. श्री दुर्गाचन्द : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवायें कितनी हैं; और

(ख) उनके पुनर्वास की योजना का क्या ब्यौरा है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इनके आकड़े इस प्रकार हैं :—

जिला	युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं की संख्या
1	2
बिलासपुर	44
चम्बा	16
मंडी	51
कांगड़ा	204

1	2
सिरमूर	6
किन्नौर . . .	2
ऊना . . .	50
हमीरपुर . . .	98
शिमला . . .	9
सोलन . . .	14
कुल्लू . .	3
जोड़	497

(ख) दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के परिणामस्वरूप युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों, विशेषकर युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं देने के लिए अनेक उपाय किए गए थे। एक व्यापक पुनर्वास योजना बनायी गयी जिसका महत्वपूर्ण भाग उदार पेंशन योजना थी जिसके अन्तर्गत युद्ध में मारे गए : जूनियर कमीशन प्राप्त अफ़सर/अन्य रैंक की विधवा (अथवा उनके नामजद वारिस) मृतक द्वारा मृत्यु से पहले लिए जा रहे वेतन प्राप्त करती रहेंगी। ऐसी किसी भी अफ़सर की विधवा को अफ़सर की सम्भावित सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा 7 वर्ष तक, जो भी बाद में हो, अफ़सर द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन की 3/4 राशि पेंशन के रूप में मलती रहती है। इसके पश्चात्, अफ़सर मृत्यु के समय जिस रैंक में काम करता हो उसके लिए सामान्य सेवानिवृत्ति पेंशन की दर पर विशेष परिवार-पेंशन देय होती है। विशेष पारिवारिक पेंशन की उक्त दर के साथ, 23 वर्ष की आयु तक प्रति सन्तान 100 रुपए प्रति मास सन्तान भता भी दिया जाता है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित सीमा निर्धारित है। 1971 से पूर्व के संघर्षों में हताहत सैनिकों के मामले में भी यह लाभ दिए गए हैं परन्तु इन्हें 1-2-1972 से लागू किया गया है।

मृत पति के सगे भाई से पुनर्विवाह कर लेने के पश्चात् भी विधवाएं उदार पेंशन की दर पर पेंशन पाने की हकदार बनी रहती हैं। अन्य पुनर्विवाह के मामलों में विधवाओं को साधारण पारिवारिक पेंशन के बराबर की राशि पेंशन दी जाती है और यह माना जाता है जैसे कि सैनिक सामान्य परिस्थितियों में मरा हो।

पुनर्वास के अन्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराए बिना परिवार के अधिक से अधिक दो सदस्यों तक को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रोजगार देने के लिए विचार किया जाता है;

(2) हिमाचल प्रदेश रक्षा सुरक्षा राहत निधि से कांगड़ा जिले के पालमपुर में एक सैनिक विधवा आश्रम के निर्माण की स्वीकृति दी है;

(3) इन विधवाओं और अन्य निस्सहायों को प्रशिक्षण देने के लिए 42 कटाई-सह-सिलाई और कशीदाकारी केन्द्र खोले गए हैं;

(4) प्रथम डिग्री स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।

(5) रियायती दरों पर गैर कृषि भूमि का आबंटन।

(6) मकान ऋण मंजूर करने में अग्रता।

(7) अन्य सेवान्त लाभों के अतिरिक्त मृत व्यक्ति के रैंक के अनुसार 2000/- रुपए से 5,000/- रुपए का अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया जाता है।

SUPPLY OF ELECTRICITY TO HINDUSTAN ALUMINIUM

5896. SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the power supply to the Hindustan Aluminium Corporation (HINDALCO) has been reduced from 85 megawatts to 10 megawatts; and

(b) whether the rate of power supplied to it has also been raised ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) and (b) In accordance with an order of the U.P. Government dated 2nd June 1977, the normal supply of 85 MW to HINDALCO was withdrawn but the Company was allowed to draw standby and Emergency assistance supply up to 60 MW. Against the authorities to draw up to 60 MW the Company was permitted actual drawal of 10 MW only under the Standby and Emergency Agreement. However, following the maintenance shut down of one unit of 60 MW at the Renusagar Power Station which is captive to HINDALCO, the Company has been permitted to draw 60 MW as standby power. The power tariff for Standby and Emergency supply being given to HINDALCO is higher than the normal supply rate.

DAILY INCOME AND LOSS BY DTC BUSES

5897. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the average daily income from each bus and the daily loss being suffered on account of the buses lying idle; and

(b) the measures being taken for the repair, maintenance and availbility of spare parts of the buses and the period prescribed for carrying out repairs to the buses so as to make them fit for operation ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The daily average income per bus was Rs. 377/- during June 1977. Figures of loss on account of buses held up for repairs have not been separately worked out.

(b) Arrangements are being made for quick procurement of spare parts and other materials required for the repair of the held up buses. 468 buses were held up for major repairs as on 1-7-1977. D.T.C. have been asked to ensure repair of at least 320 buses out of these by end of December 1977.

ENGLISH QUALIFICATION FOR POSTS IN I.A.F.

5898. SHRI MRITUNJAY PRASAD VARMA
DR. RAMJI SINGH } :Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the minimum qualification of English prescribed for the candidates applying for posts in I.A.F.;

(b) whether it is compulsory for a candidate to give answers to questions in English at the time of interview or he can give his answers in Hindi also if he so desires;

(c) whether any preference in appointment is given to candidates who can speak English fluently over the candidates having a good knowledge of Hindi or Urdu but unable to speak English fluently; and

(d) the way Government is doing justice by giving importance and preference to English with persons belonging to the States where Hindi is the medium of instruction even in higher studies, as a result of which their knowledge of English is poor as compared to the candidates having English as a medium of instruction ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No minimum qualification in English has been prescribed for selection/recruitment to the Air Force. Only minimum educational qualifications have been prescribed.

(b) It is not compulsory for a candidate to give answers in English at the time of interview. A candidate can answer in Hindi if he so desires.

(c) and (d) No. The emphasis in the selection/recruitment is on the candidates proficiency in mathematics, science, engineering and general knowledge, etc. and relevant to the Branch/trade to which selection/recruitment is made and not on English.

दिल्ली परिवहन निगम की रूट नं० 320 पर चलने वाली बसें

5899. श्री एस० जी० मुरुगय्यन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए रूट नं० 320 पर चलने वाली बसों को शकरपुर से केन्द्रीय सचिवालय तक प्रातः 8.15, 8.30, 9.15 और 9.30 पर चलाया जाता है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि हाल में प्रातः बसों ने अनेक ट्रिप नहीं लगाए हैं,

(ग) यदि हां, तो शकरपुर से आरम्भ होने वाले रूट नं० 320 पर बसों ने मई और जून, 1977 के दौरान कितने ट्रिप नहीं लगाए हैं; और

(घ) समय सारिणी पर अमल करने और कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों की भारी भीड़ को देखते हुए शकरपुर से एक तरफ़ा ट्रिप बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सचिवालय कम्पलैक्स में कार्य करने वालों की सुविधा के लिए शकरपुर से रूट सं० 320 पर प्रातः 08.15, 08.35, 09.15 और 09.35 बजे एक तरफ़ा फ़ेरों की व्यवस्था की गयी है।

(ख) और (ग) : सूचना नीचे दी गयी है :—

फेरों का नाम	दिन, जिनमें फेरे नहीं लगाए जा सके	
	मई, 1977	जून, 1977
08.15	2 दिन	9 दिन
08.35	2 दिन	11 दिन
09.15	2 दिन	9 दिन
09.35	1 दिन	9 दिन

(घ) स्थिति अब सुधर गई है। जुलाई, 1977 के पहले 20 दिनों में, केवल छः फेरे नहीं लगाए गए। इस समय शकरपुर से किसी अतिरिक्त स्पेशल फेरे की व्यवस्था करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि मौजूदा सेवाएं पर्याप्त समझी गयी हैं।

ANGIKA LANGUAGE IN BHAGALPUR RADIO STATION

5900. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the reasons for not giving a similar place to Angika language in the broadcasts from Bhagalpur Radio Station as is given to Maithali in Darbhanga Radio Station, when the language of Bhagalpur region is Angika;

(b) Language-wise time allotted to various languages in the total broadcasts; and

(c) the reasons for allotting less time to Bhagalpur Station than the time allotted to Darbhanga Station when Darbhanga Station was opened afterwards ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Bhagalpur station has a 10 KWMW transmitter. It covers 5 districts of Bihar, namely, Bhagalpur, Monghyr, Purnea, Saharsa and Santal Pargana, comprising a total population of 1,54,62,751 according to 1971 Census. Angika is a minor dialect and is spoken only by 4,23,502 persons, or say, about 2.7% of the total population of the coverage area of the Bhagalpur station. Darbhanga Radio station covers an area where Maithili is the predominent dialect, which is spoken by 61.21 lakh persons. Maithili has a developed literature and is recognised by the Sahitya Akademi. It is also taught in some Universities of Bihar. Hence, the question of giving a similar place to Angika from Bhagalpur Radio Station as is given to Maithili from Darbhanga Radio Station does not arise.

(b) The information is being collected from AIR Bhagalpur and will be laid on the Table of the House.

(c) The duration of transmission hours at Bhagalpur is less than that a Darbhanga by 40 minutes to 1 hour and 35 minutes. This is because Bhagalpur is only an Auxiliary Centre, whereas Darbhanga is a full-fledged Station of AIR.

DECLARATION OF 'RASATIBHARWAH' COMMUNITY AS BACKWARD CASTE

5901. SHRI CHAUDHARY MOTI BHAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Rasati Community has been declared as backward caste in several districts in Saurashtra Division of Gujarat; and

(b) whether Central Government propose to declare "Rasati-Bharwah" community as backward caste in whole of Gujarat ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) The Government of India are not maintaining any list of Backward Castes other than the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government of Gujarat also have not yet drawn up a list of Backward Castes.

क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के कारण गैर-मान्यता-प्राप्त अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नुकसान

5902. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के कारण गैर-मान्यता प्राप्त अनुसूचित जन जाति के लोगों को पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछली सरकार द्वारा बनाई गई जनजाति कल्याण योजनायें अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले जनजाति के लोगों को शामिल न करके संतोषजनक भूमिका नहीं निभा सकी हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस आशय पर विधेयक लाने का है और यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) : जन जातीय कल्याण योजनायें उन व्यक्तियों के लिये हैं जो अनुसूचित जन जातियों के रूप में घोषित किये जा चुके हैं। जब तक ऐसे व्यक्ति इस रूप में घोषित नहीं किये गये थे तो वे जन जातीय कल्याण योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। 27 जुलाई, 1977 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के लागू होने के साथ सामान्य रूप से क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को विभिन्न अनुसूचित जनजातियों के लिये राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के भीतर से हटा दिया गया है। अब अनुसूचित जनजातियों के सदस्य पूरे राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में आर्थिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के सभी लाभों के पात्र होंगे।

PRODUCTION OF GUJARATI FILMS

5903. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of Gujarati films produced during the last three years; and

(b) the steps so far taken by Government for extending help to Gujarati films ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Production of films is in the private sector and Government have no information about the number of Gujarati films produced during the last 3 years. However, 48 Gujarati films have been certified by the Central Board of Film Censors—7 in 1974, 12 in 1975, and 29 in 1976.

(b) Government have set up Film Finance Corporation to help production of good quality films. The Corporation finances by way of loans good films from all parts of India, irrespective of language. Till the end of June 1977, the Corporation has financed 5 features films and 9 documentary films in Gujarati language.

RADIO STATION IN KOTA, RAJASTHAN

5904. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Radio Station in Kota which has been developed as a major industrial town of Rajasthan and is a centre of Harousti literature and art; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) There is no proposal at present for setting up a radio station in Kota.

(b) Does not arise.

आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पुल

5905. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (धौलपुर के निकट) आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग में चम्बल नदी पर सड़क पुल की मरम्मत/पुर्ननिर्माण की प्रगति क्या है,

(ख) इसे पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, और

(ग) इसके पूरा होने पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नदी के नीचे की मिट्टी की जांच का कार्य पूरा हो गया है। धौलपुर की ओर के तीन डाट खोल दी गयी हैं। सात नई नीवों में से, 3 नीवों का कार्य पूरा हो गया है, जबकि चौथी पर कार्य पूरा होने वाला है। इस समय, बाढ़ों के कारण कार्य स्थगित कर दिया गया है, परन्तु वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही कार्य पुनः प्रारम्भ किया जाएगा। खुली नीवों 1 से 13 के नीचे और मौजूदा नीव सं० 22 के नीचे चट्टानों की भराई का काम हाथ में लिया गया है।

(ख) अगर कुछ असाधारण कठिनाइयां न आईं तो कार्य के दिसम्बर, 1978 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ग) लगभग 297.00 लाख रुपये।

प्रधानमंत्री की अमृतसर यात्रा

5906. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री हाल में रेलगाड़ी से अमृतसर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा के लिये क्या प्रबन्ध किये गये और सुरक्षा प्रबन्धकों तथा तत्सम्बन्धी लागत व्यय का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट स्टेशन डाइरेक्टर के पद के लिए चयन

5907. श्री राम प्रसाद देशमुख : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से एसिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पद के चयन के बारे में 13 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3324 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके नाम क्या हैं और स्नातक परीक्षा में पांच व्यक्तियों द्वारा कौन-कौन सा डिवीजन प्राप्त किया गया ?

(ख) क्या एसिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बी० ए० (सैकंड डिवीजन) है;

(ग) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को न्यूनतम अर्हता में छूट देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार उनके मामलों पर पुनर्विचार करना चाहेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) निम्नलिखित पांच व्यक्ति साधारण स्नातक हैं और उनके द्वारा प्राप्त श्रेणी प्रत्येक के सम्मुख दे दी गई है :-

क्रम संख्या	नाम	प्राप्त श्रेणी
1.	श्री नेत्र सिंह रावत	III
2.	श्री पी० एस० रंगचार	II
3.	श्रीमती ए० शिवरामन	I
4.	श्री बी० थम्माबिया	III
5.	श्री रतन सिंह	III

(ख) सहायक केन्द्र निदेशक के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष परीक्षा पास" है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सेना द्वारा अधिकृत क्षेत्र का किराया

5908. **श्री बलदेव सिंह जसरोथा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू डिवीजन में सेना और रक्षा कर्मचारियों के कब्जे में तहसीलवार कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) क्या सैकड़ों भूस्वामियों को कई वर्षों से किराया नहीं दिया जा रहा है तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

यदि हां, तो क्या मंत्रालय यह भुगतान करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है;

(ग) क्या भूस्वामी अधिक किराया मांग रहे हैं जिससे वे बदली हुई परिस्थिति के कारण हकदार हैं; क्या मंत्रालय इस भूमि को अर्जित करने के लिए प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है;

(घ) क्या रक्षा मंत्रालय तथा राज्यपाल भूस्वामियों को जिनकी भूमि रक्षा कार्यों के लिये अर्जित कर ली गई है किन्तु उस का मुआवजा नहीं दिया गया, मुआवजा देने के प्रश्न पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह भुगतान कब तक किया जायेगा?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जम्मू डिवीजन में कुल मिलाकर 12883 एकड़ गैरसरकारी जमीन सेना के कब्जे में है। इसका तहसीलवार ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भूमि अधिग्रहण के ऐसे 59 मामले हैं, जिनमें भाड़े की व्यवस्थाएं/अधिग्रहण प्रक्रिया को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण किराए/किराए के मुआवजे की राशि का भुगतान रोक दिया गया है। ऐसे प्रत्येक मामले का संबंध एक या

एक से अधिक व्यक्तियों से हो सकता है। इनके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपेक्षित 260 एकड़ भूमि के मुआवजे के बारे में अन्तिम निर्णय लेना शेष है। सैनिक भूमि एवं छावनी के स्थानीय प्राधिकारी इन मामलों पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं।

(ग) यह सच है कि इन जमीनों के मालिक अधिक किराया मांग रहे हैं। अधिग्रहण की गयी जमीन पर देय किराय की राशि में वृद्धि को जम्मू एवं कश्मीर आर० ए० आई० पी० अधिनियम, 1968 के अधीन नियमित किया जाना है और सक्षम सिविल प्राधिकारी उक्त अधिनियम के अधीन जब किराये के मुआवज को संशोधित करे तभी अपेक्षित भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।

भाड़े पर ली गई जमीन के मामले में भाड़े के बारे में पहले से सम्पन्न समझौते के अनुसार किराए का भुगतान किया जा रहा है। यह प्रस्ताव है कि दीर्घावधि के लिए आवश्यक सभी जमीनों को क्रमिक रूप से अधिग्रहण कर लिया जाय।

(घ) और (ङ) लगभग 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पहले ही कर लिया गया है। संगत कानूनों के अन्तर्गत बनाए गए सक्षम सिविल प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाने के तत्काल बाद इसका भुगतान कर दिया जाएगा।

दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कार्यालय

5909. श्री बी० पी० कदम : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आई० जी० के कार्यालय के लिए मकान नेहरू प्लेस नई दिल्ली में कब कराये पर लिया गया और उसके लिये प्रति मास कितना किराया अदा किया गया;

(ख) यह कार्यालय जोर बाग से नेहरू प्लेस वास्तव में किस दिन गया;

(ग) क्या जोर बाग स्थित कार्यालय के स्थान को खाली कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि विभाग के कुछ उच्च पदों वाले अधिकारी अभी भी जोर बाग कार्यालय में हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि नेहरू प्लेस में किराये पर लिये गये स्थान का बड़ा हिस्सा अभी भी अप्रयुक्त पड़ा हुआ है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) नेहरू प्लेस में किराये पर कार्यालय के लिए मकान विभिन्न तारीखों पर जब कभी फ्लैट्स उपलब्ध हुये 6-9-1976 से 1-11-1976 के बीच लिये गये। किराये पर लिये गये मकान का कुल किराया 69,204.70 रुपए प्रति माह है।

(ख) स्थानान्तरण 20-9-76 को शुरू किया गया था और नवम्बर, 1976 के मध्य तक पूरा हुआ।

(ग) और (घ) जोर बाग में एक मकान खाली कर दिया गया है। कुछेक वरिष्ठ अधिकारी तथा आवश्यक अनुभाग जोरबाग के शेष दो मकानों में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि नेहरू प्लेस में अभी तक पर्याप्त टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं।

(ङ) जोरबाग में मौजूदा वरिष्ठ अधिकारियों तथा आवश्यक अनुभागों के लिये नेहरू प्लेस में मकान तैयार हैं और जैसे ही टेलीफोन सुविधाएं प्राप्त होंगी उसको अधिकार में लिया जाएगा।

नई दिल्ली नगरपालिका के विद्युत् स्कंध के कर्मचारियों को अतिरिक्त परिलब्धियां

5910. श्री बालक राम : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली नगरपालिका के विद्युत् स्कन्ध के कर्मचारियों की ओर से इस आशय के विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के उस निर्णय को लागू किया जाए जिसमें नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा प्राप्त उस संकल्प को रद्द किया गया है जिसके द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका के विद्युत् स्कन्ध के कर्मचारियों को दिल्ली विद्युत् प्रदाय संकाय के कर्मचारियों के बराबर 66 प्रतिशत को अतिरिक्त परिलब्धियां देना बन्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा जनवरी, 1974 में पारित किए गए और अब दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वैध ठहराये गये संकल्प के अनुसार उन्हें दिल्ली विद्युत् प्रदाय संकाय के कर्मचारियों के समान बढ़े हुए वेतनमान पुन: देकर यथापूर्व स्थिति लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों के कार्य के घंटे

5911. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों को दिन के 8 बजे से रात्रि के आठ बजे तक गश्त लगाने की ड्यूटी पर रहना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह 12 घंटे की ड्यूटी किसी सरकारी आदेश के अनुसार है और यदि नहीं, तो उनसे 12 घंटे की ड्यूटी लिये जाने का क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम और मेघालय में गारो, खासी और जयन्तिया जातियां

5912. श्री पी० ए० संगमा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संशोधित रूप में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की इस विचित्रता की ओर दिलाया गया है जिसमें मेघालय की गारो, खासी और जयन्तिया जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है जबकि आसाम के ग्वालपाड़ा, कामरूप आदि जिलों में उन्हें इस प्रकार की मान्यता नहीं दी गयी है;

(ख) क्या गारो, खासी, जयन्तिया जातियों में आपस में इस भेदभावपूर्ण बर्ताव के क्या कोई स्पष्ट कारण है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उक्त संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 म आसाम तथा अन्य राज्यों में रहने वाली गारो, खासी और जयन्तिया जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 म मेघालय राज्य के बारे में अनुसूचित जातियों की सूची वैसी ही है जैसी आसाम राज्य के स्वायत्त जिलों के लिये है क्योंकि मेघालय पहले आसाम के स्वायत्त जिलों का भाग था। इन क्षेत्रों में गारो, खासी तथा जयन्तिया जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना जाता है परन्तु ये जातियां स्वायत्त जिलों को छोड़कर आसाम के लिये उसी रूप में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 संबंधी संयुक्त समिति ने सिफारिश की थी कि गारो जाति को आसाम के मैदानी क्षत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाय। खासी तथा जयन्तिया जातियों के बारे में ऐसी सिफारिश नहीं थी। गारो जाति को आसाम के मैदानी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रश्न पर, तब विचार किया जाएगा जब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के विस्तृत संशोधन के लिए विधान का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

रेलवे में अपराध

5913. श्री बशीर अहमद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में हाल ही में यात्रियों के जीवन एवं सम्पत्ति को खतरे में डालने वाली डकैतियों जैसे अपराध एक के बाद एक हुए हैं;

(ख) क्या ऐसे अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि स्थानीय पुलिस, जो राज्य के नियंत्रण में है, सहयोग नहीं देती है चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को कठिनाई होती है; और

(ग) क्या सरकार कानून और व्यवस्था को समवर्ती सूची में रखने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्। हाल ही में रेलवे में डकैती तथा लूटपाट की कुछेक घटनायें हुई हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। रेलवे में अपराधों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस तथा रेलवे अधिकारियों के बीच सहयोग है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

पोंग बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति

5914. श्री यू० एस० पाटिल : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के 1410 फुट स्तर तक के अन्तर्गत आने वाले धमता गांव के बांध के कारण ऐसे विस्थापित हुए कितने व्यक्ति हैं जिन्हें पोंग बांध प्राधिकरण द्वारा 14 अक्तूबर, 1975 को मुआवजा देना मंजूर किया गया था और बांध के कारण विस्थापित ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें वास्तव में मुआवजा मिल चुका है और कब;

(ख) क्या उन बांध विस्थापितों को जिन्हें मुआवजा मिला है, उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) धमेता गांव के 896 विस्थापित 1410 फुट स्तर तक के अन्तर्गत आए थे। इनमें से 786 विस्थापित 18-3-1974 से 30-5-1975 तक मुआवजा ले चुके हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोआ में मछुओं में हिंसात्मक झगड़े

5915. श्री एडुआर्डो फैलोरो : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ में पारस्परिक तरीकों से मछली पकड़ने वाले और मछली नौका इस्तेमाल करने वाले मछुओं के बीच कई हिंसात्मक झगड़े हुये हैं; यदि हां, तो वे कब-कब हुये और वे किस प्रकार के थे;

(ख) क्या गोआ सरकार से उनके बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं और यदि हां, तो कब और उनमें क्या कहा गया है;

(ग) क्या गोआ सरकार ने इन दो वर्गों के मछुओं के झगड़े तय करने के लिये कोई प्रस्ताव भेजे हैं; यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं और कब भेजे गये थे;

(घ) क्या गोआ सरकार ने यह समस्या हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; यदि हां, तो क्या उनसे इस समस्या का कोई दीर्घकालीन समाधान निकलता है; और

(ङ) सरकार इस मामले को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) गोवा, दमण और दीव सरकार ने सूचित किया है कि परम्परागत तरीकों से मछली पकड़ने वालों और नौकाओं की सहायता से मछली पकड़ने वाले मछुओं के बीच 15-9-76 को हिंसात्मक झगड़ा हुआ था जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। अनेक अवसरों पर मछुओं के इन दोनों दलों के बीच अहिंसात्मक झगड़े भी हुए हैं। गोवा, दमण और दीव मत्स्यपालन नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत, स्थानीय सरकार ने नदी, निवेशिकाओं, कैनालों, चश्मों तथा संघ शासित क्षेत्र के तट के साथ-साथ समुद्र में 5 फैदम की चौड़ाई में परम्परागत तरीकों से मछली पकड़ने वालों के लिए क्षेत्र निर्धारित किया है। यांत्रिक नौकाओं द्वारा इन

क्षेत्रों के भीतर मछली पकड़ना अवैध है तथापि यांत्रिक जलयान इन क्षेत्रों के भीतर कार्य करते रहते हैं तथा इस प्रकार वे परम्परागत मछुओं के जालों को तोड़ देते हैं और इसलिए झगड़े होते हैं। तथापि, गोवा, दमण और दीव सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इन घटनाओं के बारे म कोई अभ्यावेदन नहीं भेजे हैं।

(ग) से (ङ) मई, 1977 में, गोवा, दमण और दीव सरकार ने गोवा तटीय जल पर गश्त लगाने के लिए दो तेज गति की नौकाओं के साथ प्रवर्तन दस्ते का गठन करने के लिए कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा था जिसमें 6 लाख रुपये की पूँजी का व्यय और 1.55 लाख रुपये का आवर्तक व्यय है। किन्तु यांत्रिक तथा गैर-यांत्रिक क्षेत्रों के बीच हित के सामान्य टकराव को ध्यान में रखकर, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय ने विभिन्न किस्म की नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर विशषकर मछली पकड़ने की बड़ी नौकाएं, जिससे छोटी यांत्रिक नौकाओं तथा दशी नौकाओं के बीच अस्पष्ट प्रतियोगिता न हो की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है। इस समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त न होने तथा प्रवर्तन दस्ते पर होने वाले अधिक व्यय के साथ ही कोस्ट गार्ड जिसका अब गठन किया जा रहा है इस बारे में सहायता सिद्धान्तों की सम्भावना को दृष्टि में रखते हुये कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय ने गोवा, दमण तथा दीव सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

मार्च, 1977 में, प्रयोगात्मक आधार पर, गोवा, दमण और दीव सरकार ने वेलसाओं, उटीरडा, बेताल, वाथिम, बैनोलियम, फतोरडा और केवलोस्सिम के किनारों पर जहां झगड़ों की ये घटनायें हुई थीं, पांच फैदम जोन अंकित करने के लिए कुछ एक तैरने वाले पीपे लगाये। यह जाने के लिए यह किया गया था कि क्या पांच फैदम जोन निश्चित करने से गोवा, दमण और दीव के नियमों का पालन करने में कोई प्रभाव पड़ता है। इन अस्थायी उपायों के द्वारा, ऐसी घटनाओं की संख्या में कमी हुई है। परन्तु मानसून के दौरान पीपे बह गये हैं। स्थानीय सरकार हिंसाओं से निपटने के लिये तथा मछुओं के बीच झगड़े समाप्त करने के लिये एक समिति के गठन का अब प्रस्ताव कर रही है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में ड्राफ्टसमन, ट्रेसर तथा फेरों प्रिन्टरों के पद

5916. श्री भगवत दयाल शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में छह महीने से अधिक समय से ड्राफ्टसमैन ग्रेड I, ग्रेड II, ट्रेसरों और फैरो प्रिन्टरों के कितने पद खाली पड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को भरने में कितना समय लगने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) सूचना नीचे दी गई

गई है :—

	आकाशवाणी	दूरदर्शन
ड्राफ्टसमैन ग्रेड-I . .	1	1
ड्राफ्टसमैन ग्रेड-II .	2	शून्य
ट्रेसर	4	शून्य
फेरो-प्रिन्टर . . .	1	शून्य

(ख) आकाशवाणी के मामले में ड्राफ्टसमैन ग्रेड-I और ग्रेड-II के पद भरे नहीं जा सके क्योंकि इन ग्रेडों में अखिल भारतीय वरीयता सूची अभी तक तैयार नहीं हुई है। जहां तक ट्रैसरों और फैरों-प्रिन्टरों के पदों का सम्बन्ध है, रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करने की प्रक्रिया का अनुपालन करने में कुछ समय लगा।

दूरदर्शन के मामले में, ड्राफ्टसमैन ग्रेड-I का पद, इस पद के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों में असंगति होने के कारण नहीं भरा जा सका।

(ग) ट्रैसर के दो पदों और फैरो-प्रिन्टर के एक पद के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष खाली पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

मजगांव डाक्स में दंगे

5917. डा० बसन्त कुमार पंडित
श्री आर० के० महालगी
श्री पुण्डलीक हरि दानव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित मजगांव डाक्स में 14 जुलाई को, अथवा उसके आसपास कोई दंगा हुआ था;

(ख) क्या मजगांव डाक्स इम्प्लाईज यूनियन के नेताओं को कुछ समाज-विरोधी व्यक्तियों ने मजगांव डाक्स के प्रांगण में पीटा; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) मजगांव डाक्स के अहाते में 14 जुलाई 1977 को उस समय दंगों की स्थिति उत्पन्न हो गई जब डाकयार्ड लेबर यूनियन के अनेक कर्मचारियों ने एक विरोधी यूनियन अर्थात् मजगांव डाक्स इम्पलाईज यूनियन के पदाधिकारियों के यार्ड में आने का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान मार-पीट और हमले की कुछ घटनायें हुईं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। मजगांव डाक्स के प्रबन्धकों ने इसके लिए एक जांच-बोर्ड भी नियुक्त कर दिया है।

RESERVATION OF LAND FOR CAMPING BY THE ARMY

5918. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the names of places in Uttar Pradesh where land was reserved for camping ground for army;

(b) whether it is lying vacant and the purpose for which it is being utilised now;

(c) whether Government propose to allot the said land to ex-servicemen or local landless labourers on lease hold basis;

(d) the names of places where land was acquired for the rehabilitation of ex-servicemen belonging to district Bijnor of Uttar Pradesh; and

(e) whether the land acquired for the ex-servicemen of village Rasoolpur Alead in Tehsil Nageena of District Bijnor in Uttar Pradesh has not been allotted for many years and the influential persons of this village have occupied the same in an unauthorised manner and are not allowing the landless labourers of that village to till the land ?.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) A statement showing location of 105 Camping grounds in Uttar Pradesh is attached;

(b) Out of 105 camping grounds, 25 are in occupation and use by the Forces, 20 are vacant and the rest have been temporarily leased out for agricultural purposes or are under occupation of State Government or are under encroachment.

(c) Wherever feasible, areas in camping grounds which are temporarily surplus are leased to ex-servicemen and if no ex-servicemen are forthcoming, to landless poor persons for agricultural purposes. A complete review of all camping grounds has been undertaken and such of the sites which are permanently surplus will be disposed of in accordance with general orders on disposal of lands permanently surplus to Military requirements. According to these instructions, such lands are to be sold by public auction but Government consider sale by private treaty to the following in the order of priority indicated :—

(i) Other Ministries of Central Government.

(ii) State Government

(iii) Local Bodies

(iv) Educational and charitable institutions

(v) Ex-Servicemen.

(d) and (e) Defence Ministry have not acquired any land for the purpose. Acquisition was resorted to by the Government of Uttar Pradesh in AFZALGARH (District Bijnor) in 1951 and final allotments were made by them in 1967. The area also comprises land in Rasoolabad (not Rasoolpur). Some areas in the colony are reported to have been unauthorisedly occupied by some civilians and ex-servicemen. These matters are being regulated by the State Government who are actually concerned with the issues.

STATEMENT

1. Agra Dist :—
   Achhnera and Sarendhi

2. Aligarh Dist :—
   Akrabad Dhori, Salempur, Sikandra Rao, Banna Devi, Khair and Chandwas.

3. Allahabad District :—
   Pura Mufti, Baraut, Akbarpur, Sullahpur and Jhaushi.

4. Almora Dist :—
   Katarmal, Bhujan, Majhkhali and Bamshoon.

5. Badaun Dist :—
   Badaun

6. Basti Dist :—
Kalyanpur

7. Bareilly Dist :—
Fatehganj East, Alampur Jafrabad, Fatehganj West, Indjagir and Bhojipura.

8. Bijnor Dist :—
Islampur Deepa

9. Bulandshahr Dist :—
Sikandrabad

10. Dehra Dun Dist :—
Korwa, Assarori and Jamnipur

11. Etah Dist :—
Etah and Bhadwas

12. Etawah Dist :—
Jaswant Nagar, Bakewar, Ajitmal and Etawah

13. Faizabad Dist :—
Bikapur

14. Farrukhabad Dist :—
Gurshahai Ganj

15. Jalaun Dist :—
Jalaun

16. Gorakhpur Dist :—
Gagha, Shahjanwa, Nautanwa and Lehra Camp.

17. Jhansi Dist :—
Khailar, Barwa Sagar, Bangra, Amba Bai, Syawari, Kachneo, Mugarpur, Raksha, Madhorani and Barora.

18. Kanpur Dist :—
Maharajpur, Sechandi and Chaubey Pur

19. Lucknow Dist :—
Bakshi Ka Talab, Mohanlal Ganj, Lawrence Terrace and Harcharanpur Kanora.

20. Mainpuri Dist :—
Bewar, Mainpuri, Sultanganj and Bigrai

21. Mathura Dist :—
Bakarpur

22. Meerut Dist :—
Hapur, Uphera, Bhonja, Kharkhauda, Khera and Maukhas.

23. Mirzapur Dist :—
Chilh and Katka Ka Parao

24. Moradabad Dist :—
Ganesh Ghat, Kazipura, Kumrala and Rajehra

25. Muzaffarnagar Dist :—
Purkazi and Muzaffar Nagar

26. Nainital Dist :—
Khairana, Gora Parao, Ramgarh, Rudrapur Kitcha, Peora, Rest Camp Kathgodam, Ranibagh, Rathighat, Bhawali and Brewary.

27. Pauri Garhwal Dist :—
Behari Dogadda, Kotdwara, Sapper Fort, Jadla Talla and Palkot.

28. Pratapgarh Dist :—
Belaghat and Lethatara

29. Saharanpur Dist :—
Sarsawa, Mahipur and Amarpur Begumpur

30. Sitapur Dist :—
Mohalki

31. Tehri Garhwal Dist :—
Narinder Nagar

32. Unnao Dist :—
Unnao

33. Varanasi Dist :—
Bapatpur, Rohania, Alinagar, Dumua, and Sujabad.

मोटर वाहनों के कल-पुर्जों पर उत्पाद शुल्क

5919. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया आटोमोबाइल एण्ड एन्सिलिरी इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस समय अपनी क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन करने वाले उद्योगों के तैयार मोटर वाहनों के कलपुर्जों पर उत्पाद शुल्क को समाप्त करने और ईंधन लागत-व्यय में कमी करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) सरकार को आल इण्डिया आटोमोबाइल एण्ड एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन से 1977 के बजट प्रस्तावों के प्रस्तुत होने से पहले एक अभ्यावेदन मिला था जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ मोटरगाड़ी सहायक सामान पर से उत्पादन शुल्क समाप्त करने का सुझाव दिया था और इस बात का भी उल्लेख किया था कि ईंधन की अधिक कीमत उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण है, जिससे मोटर गाड़ियों के निर्माण और उपयोग में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क से सम्बन्धित प्रस्ताव पर 1977 के बजट प्रस्ताव तैयार करने से पहले विचार किया गया था। लेकिन शुल्क में राहत देना सम्भव नहीं समझा गया था।

CONSTRUCTION OF ROAD BETWEEN RATLAM AND KUSHALGARH (RAJASTHAN)

5920. SHRI HEERA BHAI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the construction work of road between Ratlam and Kushalgarh sub-division in district Banswara of Rajasthan was started;

(b) if so, when was the construction work started and whether it has been completed by now.

(c) whether a copy of the statement giving details of the total amount sanctioned for the construction of the said road, the amount spent thereon and the balance amount will be laid on the Table of the House;

(d) whether some amount was also sanctioned to make the above road a tarred one; and

(e) if so, whether the same has been tarred ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (e). It is a State road and the Rajasthan Government are, therefore, concerned in the matter.

COURSES FOR WHICH S.C. AND S.T. STUDENTS ARE SENT ABROAD

5921. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the training and educational courses for which the students of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are sent abroad and the amount of Scholarship given to them;

(b) the number of such students sent abroad on scholarships during the last three years and the amount of scholarships awarded to each of them; and

(c) the courses for which they were sent abroad and the number of students out of them who have come back to India after the completion of their courses ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a), (b) and (c) Under the National Overseas Scholarship Scheme for Scheduled Castes, Scheduled Tribes etc. students, the scholars are sent to U.K., U.S.A. and Canada for higher studies preferably in the fields of Engineering, Technology, Medicine, Agriculture and Science. The rate of Scholarship awarded per annum is £ 1300/- in U.K. and $3,000/- in U.S.A. and Canada for each candidate. In addition, the entire expenditure on the Air passage both ways, books, fees etc. is borne by the Government of India. 36 scholars were sent abroad for higher studies during the last three years under the Scheme. Out of these 36 scholars, 6 Scholars have so far come back to India after the completion of their courses and 2 have returned without completing their courses.

दिल्ली परिवहन निगम के बस रूटों का तालकटोरा रोड से चर्च रोड बदला जाना

5922. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से दिल्ली परिवहन निगम को आपात स्थिति के दौरान विभिन्न बसों के रूटों को तालकटोरा रोड से चर्च रोड करना पड़ा ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस परिवर्तन से हजारों दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का परिवर्तित रूट को फिर से तालकटोरा रोड होकर बनाने और रिकाबगंज बस स्टाप को फिर कायम करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पश्चिमी दिल्ली से आने वाली और वहां जाने वाली सेवाओं को नार्थ एवेन्यू और चर्च रोड होकर ले जाना उस योजना का ही अंग था, जो लोक सभा की आवास समिति के निर्णयों के अनुसरण में बनाई गई । योजना का मूल उद्देश्य तालकटोरा रोड़ और पं० पंत मार्ग जंकशन पर यातायात दुर्घटनाओं को कम करना, संसद भवन इस्टेट से तथा वहां तक संसद सदस्यों के सुरक्षित ढंग से आने-जाने की सुविधा प्रदान करना और संसद भवन के चारों ओर यातायात के आवा-गमन को सुधारना था ।

(ख) इस प्रकार के प्रवाह मोड़ से उक्त नियमित यात्रियों के लिए पैदल चलने की दूरी कुछ बढ़ गई है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी में यात्रा भत्ते तथा महंगाई भत्ते पर खर्च

5923. **श्री कल्याण जैन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेन्सी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत एक एजेन्सी) में यात्रा भत्ते तथा मंहगाई भत्ते पर खर्च इसके कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कुल वेतन से काफी अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

LOSS TO SCOOTERS INDIA LTD.

5924. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the extent of loss shown by the Scooters India Limited, Lucknow in its annual report for 1975-76;

(b) whether the scooters manufactured by the company are not finding market because of their inferior quality;

(c) the action being taken by Government for the increased production of Vijaya Scooters ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) During the year 1975-76, Scooters India Ltd. made a loss of Rs. 2.30 crores before depreciation and Rs. 3.28 crores after depreciation.

(b) and (c) There is a general slackness in demand for scooters other than for one particular brand. Steps are being taken by Scooters India Ltd. to improve the distribution net work. Soft loan from banks to prospective customers of scooters are also being considered. It is also true that certain complaints were received regarding the quality of scooters. Appropriate design modifications in the vehicle are also being introduced to suit the operating conditions in the country.

कोका कोला निर्यात निगम

5925. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **उद्योग** मंत्री कोका कोला निर्यात निगम के बारे में 6 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2648 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहर भेजी गई धनराशि, आयात लाइसेंस आदि 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिएं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबन्ध नकद धनराशि के आधार पर लागू होता है अथवा उपार्जित धनराशि के आधार पर ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी, हां ।

(ख) धनराशि बाहर भेजने सम्बन्धी सुविधाओं का निर्धारण नकदी के आधार पर किया जाएगा । प्रति वर्ष धनराशि बाहर भेजने तथा निर्यात मूल्यों को लेखा बद्ध करने का काय उपार्जित मूल्य के आधार पर न करके नकद धनराशि के आधार पर किया जाएगा ।

चिदम्बरम, तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियां

5926. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चिदम्बरम, तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के छात्रों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, वे अपर्याप्त हैं और वे ठीक समय पर वितरित भी नहीं की जाती हैं; और

(ख) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना भेजने के लिए कहा गया है, जो, प्राप्त होने पर, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिये कुछ मदों का आरक्षण

5927. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के लिए कुछ मदों का आरक्षण करने के बारे में क्या नीति है ;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने नए मद इसके लिए आरक्षित किए गए हैं ;

(ग) क्या आरक्षित सूची पर पहले से आरक्षित मदों को बनाए रखने और उनके आरक्षण की अवधि के बारे में पुनर्विचार करने के लिए कोई मशीनरी है और अब तक कितने मदों पर पुनर्विचार किया गया है ; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी सचिवालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए वस्तुएँ के आरक्षण की नीति से लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से जीव्य वस्तुओं के उत्पादन में विकेन्द्रीकरण प्राप्त करने तथा नए उद्यम कर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 177 वस्तुओं की पहली सूची में तीन नई वस्तुएं जोड़ी गई हैं। दो अतिरिक्त नई वस्तुओं के बारे में अधिसूचना जारी की जा रही है ।

(ग) जी, हां । लघु उद्योग विकास संगठन का उन उद्योगों का अध्ययन करने का एक कार्यक्रम है जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है। अभी तक 112 आरक्षित उद्योगों का अध्ययन पूरा कर लिया गया है । इनमें से 26 प्रतिवेदनों पर आरक्षित उद्योगों की स्थायी समिति जिसका गठन उद्योग मंत्रालय औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया है, द्वारा विचार किया जा चुका है ।

(घ) जी, नहीं ।

केन्द्रीय सरकार की सेवा में भर्ती के लिए अर्हताएं

5928. **श्री डी० अमात :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत (प्राज्ञ) में प्रवीणता परीक्षा पास करने के बाद केवल अंग्रेजी में मैट्रिक की परीक्षा पास कर दी है भारत सरकार और उसके सम्बद्ध विभागों में भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैट्रिक

परीक्षा के समकक्ष माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को उसके समकक्ष नहीं माना जाता जिसने पंजाब से हिन्दी (रतन) की प्रवीणता परीक्षा पास करने के बाद केवल अंग्रेजी की परीक्षा पास की है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय स्थिति के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसे पूर्ण मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष मानने का विचार है जिससे हिन्दी पढ़ने को प्रोत्साहन मिले और उसकी प्रतिष्ठा बढ़े ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा 1958 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जो पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत (प्राज्ञ) में प्रवीणता परीक्षा पास करने के बाद केवल अंग्रेजी में मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं, उन सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं माने जाते, जिनके लिए न्यूनतम निर्धारित अर्हता मैट्रिक्यूलेशन है । फिर भी, किसी सरकारी प्रकाशन में छपी इस आशय की किसी प्रविष्टि के कारण कि ऐसी अर्हता मैट्रिक्यूलेशन के समकक्ष है, स्पष्टत: उसके असावधानी से चलते रहने से यह सम्भव है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम के अलावा अन्य प्रकार से अपनी भर्तियां करने वाले कुछ विभागों द्वारा ऐसी अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति भर्ती कर लिए गए हों । इस गलती को सुधारने के लिए अनुदेश जारी किए जा रहे हैं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित दोनों अर्हताओं में से किसी को भी मैट्रिक्यूलेशन के समकक्ष मान्यता दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

केरल में बलियापटनम पुल का निर्माण

5929. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के जिला कन्नानूर में बलियापटनम पुल का निर्माण कार्य कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण कुछ महीने पहले कुछ समय के लिए रोक दिया गया था ; और

(ख) क्या यह 1977 में ही पूरा हो जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । कार्य के मई, 1979 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों में आरक्षण की योजना

5930. **श्री बी० के० नायर** : क्या **रक्षा** मंत्री 20 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों के आरक्षण की योजना लागू कर दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार शेष राज्य सरकारों तथा केरल, असम तथा मेघालय से भी अनुरोध करना चाहेगी कि वे ऐसी योजनाओं को अपनाएं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों की योजनाओं के मध्य असमानताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ; और

(घ) क्या एक समान मापदण्ड जो कि 20 प्रतिशत से कम न हो, लागू किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) अधिकांश राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए अपनी विभिन्न सेवाओं में पद आरक्षण करने की योजना शुरू की है । केरल, असम और मेघालय की सरकारों को इस प्रकार की योजनाएं शुरू करने के लिए राजी करने का प्रयत्न किया गया है । केरल सरकार ने इस अनुरोध को मानने में इस आधार पर अपनी असमर्थता प्रकट की है कि वहां ऐसे आरक्षण के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विद्यामान कुल आरक्षण को मिलाने से आरक्षित पदों की संख्या अधिकतम अनुज्ञेय सीमा अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है । असम सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया है और उन्हें अनुस्मारक भेजा जा रहा है । मेघालय सरकार ने यह अन्तरिम उत्तर भेजा था कि मामला अभी विचाराधीन है । उनसे अभी तक कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और उन्हें इसके बारे में फिर से लिखा जा रहा है ।

अगस्त 1976 में राज्य सरकारों को एक सुझाव भेजा गया था कि राज्य सरकार के विभागों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निम्नलिखित आरक्षण किए जाने चाहिए :—

प्रथम और द्वितीय श्रेणी . . .	5 प्रतिशत
तृतीय श्रेणी	10 प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी	20 प्रतिशत

इस सुझाव के प्रति राज्य सरकारों का उत्तर उत्साहजनक नहीं रहा है । इस तथ्य को तथा केन्द्र सरकार में भी 20 प्रतिशत का आरक्षण केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ही लागू करने की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के अधीन सभी पदों पर कम से कम 20 प्रतिशत का समान आरक्षण लागू करने का सुझाव देना सम्भव नहीं है । तथापि, वर्तमान आरक्षण में सुधार लाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ और आगे विचार किया जाएगा ।

किंग्जवे कैम्प थाना, दिल्ली में एक अध्यापक को दी गई यातनायें

5931. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किंग्जवे कैम्प थाने में पुलिस हिरासत में एक वृद्ध सेवा निवृत्त अध्यापक को इतनी यातनाएं दी गईं कि उसकी मृत्यु हो गई ;

(ख) क्या एस० डी० एम०, श्री पद्मनाभन ने जुलाई, 1976 में अपने निष्कर्ष में यह लिखा था कि यह मामला प्रथमतः हत्या का है और इस मामले में मुकदमा न चलाए जाने का कारण यह है कि इसमें दिल्ली प्रशासन के उच्च अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ग) क्या पुलिस की यातना से हुई मृत्यु का समाचार प्रमुख रूप से 23 अप्रैल, 1977 के 'इंडियन एक्सप्रेस' 26 अप्रैल, और 2 जून के दैनिक 'प्रताप' (एक उर्दू दैनिक समाचार पत्र) और 22 अप्रैल, के 'एको' के प्रातः संस्करण में प्रकाशित हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले का क्या ब्यौरा है और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ) पुलिस हिरासत में श्री हरनाम सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में एस० एच० ओ० किंग्जवे कैम्प के विरुद्ध पंजाब पुलिस नियमों की धारा

16.38 (i) (डी) के अधीन एक एस० डी० एम० द्वारा जांच कराई गई थी । बाद में, दिल्ली प्रशासन ने मामले की ओर जांच-पड़ताल करने के लिए सी० बी० आई० से अनुरोध किया । चूंकि मामला अभी जांच-पड़ताल के अधीन है इस लिए इस अवस्था में ब्योरा देना मामले के हित में नहीं होगा । यह सही है कि इस मामले के सम्बन्ध में कुछ समाचार प्रकाशित हुए थे ।

मोटर गाड़ियों की सप्लाई के लिए जर्मनी की एम० ए० एन० कम्पनी को क्रयादेश

5932. **श्री एस० ननजेश गौडा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए भारी रिकवरी गाड़ियों की सप्लाई के लिए अगस्त, 1976 में पश्चिम जर्मनी की एम० ए० एन० कम्पनी को क्रयादेश दिए थे ;

(ख) क्या एक प्रतियोगी फर्म द्वारा पेश की गई रिकवरी गाड़ी तकनीकी दृष्टि से उच्च कोटि की पाई गई तथा वह एम० ए० एन० की गाड़ियों की तुलना में कम मूल्य पर और कम समय में ही उपलब्ध हो सकती थी ;

(ग) क्या एम० ए० एन० ने मूल रूप से अनुबंधित अपने डिलीवरी क्रम को पूरा नहीं किया है ; और

(घ) एम० ए० एन० को दिए गए क्रयादेश को रद्द करने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि इस ठेके से सम्बन्धित सभी बातों पर एक जांच आयोग द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है, इसलिए प्रश्न के इस भाग के बारे में इस समय कोई वक्तव्य देना उपयुक्त नहीं होगा ।

(ग) वाहनों की सप्लाई, कार्यक्रम के अनुसार पूरी नहीं की गई है ।

(घ) इस ठेके को रद्द करने में कुछ कठिनाइयां हैं और सरकार को प्रस्ताव है कि ठेके की शर्तों के अनुसार नुकसान को पूरा कराया जाए ।

सीमा सुरक्षा बल के लिए सिगनल प्रशिक्षण

5933. **श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान सीमा सुरक्षा बल में सिगनल प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार इसे कब पुनः आरम्भ करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता ।

सांविधिक तथा अर्ध-सरकारी निकायों की सेवा में आरक्षण सम्बन्धी निदेश

5934. **श्री भगत राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने ये निर्देश कब जारी किए थे कि भारत सरकार के अधीन सांविधिक तथा अर्धसरकारी निकाय तथा सरकारी उपक्रम अपनी सेवाओं में केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में आरक्षण के सिद्धान्तों के अनुरूप ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के नियमों का पालन करें;

(ख) कितने सांविधिक तथा अर्ध-सरकारी निकायों ने इन आदेशों के जारी होने के एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष, तथा पांच वर्ष के भीतर ही उक्त आरक्षण प्रभारी कर दिए थे ;

(ग) कितने सांविधिक तथा अर्ध-सरकारी निकायों ने इन आदेशों को पांचवें वर्ष के बाद भी लागू नहीं किया;

(घ) क्या सरकारी आदेशों को लागू करने में विलम्ब के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को कोई पदों की हानि हुई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ङ) गृह मंत्रालय ने वैयक्तिक सांविधिक तथा अर्ध-सरकारी निकायों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी नहीं किए । प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए थे, और उनमें से सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर, सांविधिक/स्वायत्त निकायों को अनुदेश जारी करने को कहा गया था। जहां तक सार्वजनिक उपक्रमों का सम्बन्ध है, प्रश्नाधीन अनुदेश सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को जारी किए गए थे, जिनसे एसोसिएशन के अन्तर्नियमों आदि के उपबन्धों के अनुसार अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यक निदेश जारी करने को कहा गया था । इस सम्बन्ध में तथा प्रश्न के अन्य भागों के सम्बन्ध में भी संगत सूचना सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय से एकत्रित की जा जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

आर्डनेन्स एम्प्लाइज यूनियन

5935. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के आर्डनेंस एम्पलाईज यूनियन की महासमिति की 5 जून, 1977 को अम्बरनाथ (जिला थाना, महाराष्ट्र) में आयोजित वार्षिक बैठक में पारित संकल्पों की एक प्रति प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और कब ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावों में की गई मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग

5936. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग चलाने के लिए लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बिहार तथा राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों को प्रोत्साहन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

छंगानी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

5937. श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री के० लकप्पा } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री बादल जो कि इस समय पंजाब के मुख्य मंत्री हैं, के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए नियुक्त किए गए छंगानी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ;

(ख) कितनी सिफारिशें अभी तक क्रियान्वित की जानी हैं ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन्हें सलाह दी थी कि जब तक उक्त आरोपों से वह मुक्त न हो जाएं पद स्वीकार न करें ; और

(घ) अभी तक क्रियान्वित न हुई सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् । छंगानी आयोग की रिपोर्ट पंजाब सरकार को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाई के लिए भेज दी गई थी ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोग के निष्कर्षों पर, जहां तक उनका सम्बन्ध श्री प्रकाश सिंह बादल से है, कार्रवाई पूरी हो गई है । श्री प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध आयोग द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः सिद्ध प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-949/77] ।

(ग) तथा (घ) सदन के पटल पर रखे गए विवरण में जो कुछ उल्लेख किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

संथाल परगनों के जिले के लिए कमिश्नरी

5938. **फादर एन्थनी मुरुम :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन घटक जिलों अर्थात् साहिबगंज, डुम्का तथा देवघर को शामिल करते हुए संथाल परगनों के जिले का दर्जा बढ़ा कर कमिश्नरी करने के पक्ष में कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ; और

(ख) क्या संथाल परगनों के एक पृथक विकास बोर्ड के लिए कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

भारतीय वायु सेना के विमानों में उड़ीसा युवा कांग्रेस के स्वयं सेवकों द्वारा यात्रा

5939. **श्री देवेन्द्र सत्पथी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1976 में भारतीय वायु सेना के विमानों में रक्षा मंत्रालय के भूत-पूर्व राज्य मंत्री के साथ युवा कांग्रेस के कुछ स्वयं सेवकों ने भी यात्रा की ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियमों के अनुसार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री के साथ दिसम्बर, 1976 में भारतीय वायु सेना के विमानों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह ज्ञात नहीं है कि उनमें से कोई व्यक्ति युवा कांग्रेस का कार्यकर्त्ता भी था।

(ख) विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत, भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री भारतीय वायु सेना के वी० आई० पी० विमान के लिए मांग कर सकते थे। वे अपने साथ ऐसे किसी भी व्यक्ति (किन्हीं भी व्यक्तियों) को ले जा सकते थे, जिन्हें वे अपनी यात्रा के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझते हों।

विवरण

केन्द्र सरकार के भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री द्वारा दिसम्बर, 1976 के दौरान भारतीय वायु सेना के विमानों से की गई उड़ानों के ब्यौरों का विवरण।

तारीख	से	को	यात्रियों की सूची
1	2	3	4
1-12-76	दिल्ली	चारबतिया	श्री जे० वी० पटनायक मंत्री श्री ए० एन० पुरी श्री बी० सी० मोहन्ती
7-12-76	चारबतिया	दिल्ली	श्री जे० वी० पटनायक मंत्री श्री ए० एन० पुरी श्री बी० सी० मोहन्ती

1	2	3	4
8-12-76	दिल्ली	चारबतिया	श्री जे० वी० पटनायक मंत्री श्री ओम प्रकाश श्री वी० सी० मोहन्ती
9-12-76	चारबतिया	दिल्ली	श्री जे० वी० पटनायक मंत्री श्री ओम प्रकाश श्री जगन्नाथ राव श्री ए० यू० सिंह देव श्री यू० पी० देव
16-12-76	दिल्ली	भुवनेश्वर	श्री जे० वी० पटनायक मंत्री श्री सी० पी० माझी श्री ए० आर० अंतुले श्री राम कृष्णैया श्री राम चन्द्र श्री वसन्त कुमार श्री मनोज कुमार श्री ओम प्रकाश
19-12-76	चारबत्तिया	दिल्ली	श्री जे० वी० पटनायक मंत्री श्रीमती जे० वी० पटनायक श्री ओम प्रकाश
24-12-76	दिल्ली	भुवनेश्वर	श्री जे० वी० पटनायक मंत्री श्री जगन्नाथ राव श्री एम० रामाकृष्णैया डा० जी० डी० चौधरी श्री एस० सी० भट्ट श्री डी०एस० मेहता श्री एन० वी० आर० स्वामी डा० जे० राउत श्री ओम प्रकाश श्री एल० सी० तीर्थानी
25-12-76	भुवनेश्वर	दिल्ली	श्री एस० सी० भट्ट श्री डी० एस० मेहता श्री एल० सी० तीर्थानी

ASSISTANCE TO THE WIDOW OF A DELHI HEAD CONSTABLE OF POLICE

5940. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Head Constable, Delhi Police had died on 15th November, 1975 while participating in the parade race of Police Training School, Mehrauli;

(b) if so, the details of the incident and the assistance provided to the widow and the small children of the deceased;

(c) the details of Government rules for providing assistance in such circumstances;

(d) whether it is also a fact that the widow of the deceased Constable had written through high Police Officer to Lt. Governor for her recruitment in Lady Police but nothing has so far been done and if so, the reasons therefor; and

(e) whether Government propose to recruit this widow in Lady Police soon ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) Yes, Sir. At about 4.30 P.M. on 15-11-1975 the late Head Constable while on parade felt some pain in his chest and became unconscious. He was rushed to the Safdarjang Hospital where on arrival, the Medical Officer In-Charge, Casualty Department declared him dead. The details of the assistance provided to the widow and the children of the deceased are as below :—

(A) *From Government Funds* :

(i) Family pension to the widow w.e.f. 16-11-75 to 15-11-82 at Rs. 170/- per month, and w.e.f. 16-11-1982 till death or remarriage at Rs. 100/- per month.

(ii) Rs. 3,400/- as death-cum-retirement gratuity.

(iii) Rs. 250/- out of the I.G.P.'s Discretionary Grant.

(iv) Rs. 1794.75 paise as Leave Salary for a period of 120 days.

(B) *From Regimental Funds*

(i) Rs. 1100/- as immediate relief and cremation charges from Delhi Police Mutual Benefit Fund.

(ii) Rs. 55/- per month as maintenance allowance to the widow and scholarship to the school going children w.e.f. 16-11-1975 to 29-2-1976 and thereafter Rs. 80/- per month as maintenance allowance and scholarship to the widow and children till the death of the wife of the deceased or remarriage.

(iii) Rs. 3107/- as voluntary donation contributed by the trainees and staff of the Police Training School, Mehrauli, New Delhi.

(iv) Besides, the csae for the grant of sewing machine to the widow is under consideration.

(c) (i) Pension and D.C.R. gratuity as admissible under the (Pension) Rules, 1972.

(ii) Financial assistance and immediate relief from the Delhi Police Mutual Benefit Fund (a regimental fund) in accordance with the rules framed by the committee.

(iii) Discretionary grant as per rules circulated *vide* No. F.11/40/66 P.I. dated 25th April, 1967.

(iv) Leave salary under rule 40(7) of the C.C.S. (Leave) Rules, 1972.

(d) & (e) The widow of the late Head Constable had applied for the post of a Lady Constable and she was informed by the IGP that she may appear before SP, Lines, for some job in the Welfare Centres if she so desired as no recruitment of lady Constables was being made in the Delhi Police at present.

पाकिस्तान में हुई घटनायें

5941. **डा० बापू कालदाते :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में हाल ही में हुई घटनाओं का हमारे देश की रक्षा नीति पर कोई प्रभाव पड़ सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में पर्याप्त कदम उठाए हैं ; और

(ग) क्या आम जनता विशेषत: सीमा पर रहने वाले लोगों की क्षमता के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) पाकिस्तान की हाल की घटनाएं उस देश के आन्तरिक मामले हैं और उनसे हमारी रक्षा नीति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है ।

सीमा पर सामान्य स्थिति बनी हुई है । अत: कोई विशेष सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है । हमारी सुरक्षा सेनाएं पहले की तरह सतर्कता रख रही हैं ।

POST OF DIRECTOR IN PHOTO DIVISION UNIT

5942. SHRI MADAN TIWARY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the post of Director in Photo Division Unit under his Ministry is reserved for the members of Scheduled Castes and is filled by U.P.S.C.;

(b) whether Shri T. S. Nagarajan was appointed though he was not a member of the Scheduled Caste; and

(c) whether Government have looked into this matter and decided to fill this post by a member of the Scheduled Caste, if so, by what time ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) No, Sir. The vacancy is reserved for the members of Scheduled Tribes and will be filled on the basis of the recommendation of the U.P.S.C.

(b) Shri Nagarajan has been appointed on *ad-hoc* basis till such time as the vacancy is filled on regular basis on the recommendation of the U.P.S.C.

(c) A requisition for recruitment to the reserved vacancy was sent to the U.P.S.C. who have since interviewed the selected Scheduled Tribes candidates on 26-7-1977. The recommendation of the Commission is awaited.

CEMENT QUOTA TO M.P.

5943. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether 18 per cent cut has been effected in the quota of cement of Madhya Pradesh and it has been given to Gujarat and Maharashtra Governments;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that the quota of Cement fixed for Madhya Pradesh was already less than the demand made by the State and the construction works of the State would be held up by effecting a further cut in the State's quota and the citizens would also have to face many difficulties due to non-availability of cement during the present rainy season; and

(d) whether Government would reconsider their decision and restore the cut made in cement quota of Madhya Pradesh and if so, when ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise;

(c) and (d) : The consumption of Cement by the State of Madhya Pradesh under the State Quota during 1976 was about 6.94 lakh tonnes or about 1.73 lakh tonnes per quarter. The State had asked for a quota of 2 lakh tonnes for the quarter April to June 1977. To distribute equitably the shortfall in production due to power cuts imposed in several States, a cut of 18% had to be enforced uniformly in the State's quota for that quarter. The restoration of the cuts already effected for the past quarters is not feasible. Cuts will be gradually restored as the position of production of cement improves. During the current quarter (July—September 1977), the cut has already been reduced from 18% to 15%.

बन्दरगाहों में प्रकाश-गृह

5944. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंदरगाहों में प्रकाश-गृहों का निर्माण कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन बन्दरगाहों के नाम क्या हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : भारत सरकार भारतीय तट के आस पास "सामान्य" दीपघरों के निर्माण, रख-रखाव तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। सामान्य दीपघर निम्नलिखित पत्तनों पर निर्माणाधीन हैं :—

1. कलिंगापटनम
2. कृष्णापटनम
3. पांडिचेरी
4. किलाकराय
5. तूतीकोरिन (हरे आइसलैण्ड)
6. कोचीन
7. बेपुर
8. मारमुगाव (साव जार्ज)
9. अम्बरगांव
10. लिटल अंडमान ।

2. कसारगोड पोनानी तथा बेदी पत्तनों पर भी "सामान्य" दीपघरों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है और इन स्थानों पर जगह उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा ।

"KOL" COMMUNITY

5945. SHRIMATI KAMLA BAHUGUNA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether entire people belonging to Kol Caste have been declared as adivasis in Madhya Pradesh but the Kols of Banda, Mirzapur, Allahabad and other parts of Uttar Pradesh, who are leading more miserable life, have not been declared as adivasis; and

(b) whether Government propose to abolish constitutional safeguard so far available to Kol adivasis and Scheduled Castes ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Kol community has been specified as a Scheduled Tribe for whole of Madhya Pradesh State and as a Scheduled Caste for the whole of Uttar Pradesh State.

(b) No, Sir.

ELECTRIFICATION OF HILL VILLAGES IN U.P.

5946. SHRI JAGANNATH SHARMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the number of villages in the hill areas of Uttar Pradesh electrified so far;

(b) the total number of such villages for which a target of electrification has been set in 1977-78;

(c) whether priority is proposed to be accorded to electrification in Pauri Garhwal district where very few villages have been electrified; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The hill areas of Uttar Pradesh comprise 8 districts in the State viz. Nainital, Dehradun, Pithoragarh, Almora, Uttar Kashi, Chamoli, Pauri Garhwal and Tehri Garhwal. Out of 15,010 villages in these districts, 2,283 villages were electrified upto 31st March 1977.

(b) The State Electricity Board has a programme to electrify 730 more such villages during 1977-78.

(c) and (d) Out of 3,236 villages in Pauri Garhwal district, 327 villages (10%) were electrified as on 31st March 1977. The programme drawn by the State Electricity Board for 1977-78 includes electrification of 125 more villages in this district.

सौर ऊर्जा शक्ति प्राप्त अनाज को सुखाने वाले यंत्र का विकास

5947. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने भारत का पहला सौर ऊर्जा शक्ति प्राप्त अनाज को सुखाने वाला यंत्र बनाया है जो 6 रुपए प्रति टन की लागत पर एक दिन में कम से कम 10 टन अनाज सुखा सकता है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की कृषि भूमि औद्योगिक उत्पादों के लिए सौर ऊर्जा यंत्र बनाने की भी योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने धान, मक्का तथा अन्य खाद्यान्नों को सुखाने के लिए एक सौर ऊर्जा से चलने वाले एक यंत्र का विकास किया है । पंजाब के केन्द्रीय राज्य फार्म लोधावल, में 1 अप्रैल, 1977 से प्रति दिन 10 मीट्रिक टन क्षमता का धान सुखाने वाला एक वाणिज्यिक संयंत्र चालू किया गया था । प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन धान सुखाने की क्षमता वाले इस प्रकार के संयंत्र की

लागत भौगोलिक स्थिति के अनुसार लगभग 3 से 4 लाख रुपए है। धान की 22% से 13% आर्द्रता वाले धान को सुखाने की लागत उपर्युक्त संयंत्र में लगभग 6 रुपए प्रति मीट्रिक टन है ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम सौर ऊर्जा का विचार इसको कृषि सम्बन्धी तथा अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में लागू करने का है । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम इसे आद्यापान्त (टर्न की) सौर ऊर्जा प्रक्रिया से निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में लागू कर सकता है :—

(i) कृषि तथा औद्योगिक उत्पाद,

(ii) समुद्री उत्पाद,

(iii) भवनों को अरामदेह बनाना,

(iv) तैरने के तालाबों को गरम रखना, अस्पतालों तथा होटलों के लिए गर्म पानी सप्लाई करना, आदि ।

PURCHASE OF FURNITURE BY MANAGING DIRECTOR, N.F.I.C.

5948. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Managing Director of the National Federation of Industrial Co-operative Limited, 903, Vikram Tower, Rajendra Place, Pusa Road, New Delhi made a payment of Rs. 10.000/- against the rules in 1977 for the purchase of furniture for the branch office at Calcutta;

(b) whether the Ministry paid Rs. 20 lakhs to the Managing Director for the purchase of machines for Ludhiana Hosiery Unit and the machines were purchased in 1977 and whether the purchase of the machines was in contravention of rules; and

(c) the value of the mahines purchased and the names thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) A sum of Rs. 10.001/- was paid as an advance for furnishing the newly established Calcutta Branch in January, 1977. As to whether this purchase was in contravention of rules is subject of CBI enquiry at the moment.

(b) The Ministry of Industry released an amount of Rs. 2 lakhs on 27-1-77 (not Rs. 20 lakhs as indicated in the question) for participation in the share capital of NFIC. This amount was to be utilised for seting up a hosiery manufacturing unit at Ludhiana. As to whether any rules were contravened for the purchase of machinery under the scheme is a subject of C.B.I. enquiry at the moment.

(c) The value of the machine purchased and the names thereof are given below :—

S. No.	Name of the Machine	Qty	Rate per machine	Amount
1.	Power driven double story round machine with one Horse Power three Phase motor & motor attachment 9 Dia Machine	1	Rs. 3,900/-	Rs. 3,900/-

S. No.	Name of the Machine	Qty	Rate per machine	Amount
2.	Power Driven double story round machine with one Horse Power three Phase motor & motor attachment 10″ dia machine . . .	1	Rs. 3,900/-	Rs. 3,900/-
3.	Do. 13″ dia machine .	1	Rs. 4,225/-	Rs. 4,225/-
4.	Do. 14″ dia machine	1	Rs. 4,550/-	Rs. 4,550/-
5.	Do. 17″ dia machine . . .	1	Rs. 5,525/-	Rs. 5,525/-
6.	Power driven double sroiy round machine with one Horse Power three phase motor and motor attachment 18″ dia machine.	1	Rs. 5,850/-	Rs. 5,850/-
7.	Do. 20″ dia machine	1	Rs. 6,500/-	Rs. 6,500/-
8.	Single phase motors attached to above machine	7	Rs. 1,150/-	Rs. 8,050/-
9.	Socks and Hose Top machine 9·5 C.M. dia machine with 72 groove . ·	1	Rs. 400/-	Rs. 400/-
10.	Do. 10 c.m. dia machine with 76 grooves	2	Rs. 400/-	Rs. 800/-
11.	Do. 10·0 c.m. dia machine with 80 grooves	2	Rs. 400/-	Rs. 800/-
12.	Do. 11·5 c.m. dia machine with 84 grooves.	2	Rs. 400/-	Rs. 800/-
13.	Gloves Machine 4″ dia machine with 80 grooves.	1	Rs. 600/-	Rs. 600/-
14.	Berrit Cap Machines 5½″ dia machine	1	Rs. 600/-	Rs. 600/-
15.	Berrit Cap Machines 6″ dia machine .	1	Rs. 600/-	Rs. 600/-
16.	Diesel generating set of 60 KVA capacity leyland engine No. 42-85773 of 68 BHP directly coupled with Kirlosker alternator of 60 KVA No. (75016 A.A.—10) at 1500 RPM complete with central pand and batteries	1	Rs. 85,000/-	Rs. 85,000/-
		25		Rs. 1,32,100/-
			Less discount	Rs. 2,500/-
	Total . . .			Rs. 1,29,600/-

बेलछी कांड पर संसद सदस्यों की समिति का प्रतिवेदन

5949. **श्री जनार्दन पुजारी**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
डा० रामजी सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों की एक सर्वदलीय समिति, जिसने बिहार में बेलछी घटना का वहीं जा कर अध्ययन किया था, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह सवर्णों द्वारा हरिजनों की हत्या

का मामला था, न कि अपराधी व्यक्तियों के दो विरोधी गुटों के बीच कोई वैमनस्य का परिणाम था ; और

(ख) यदि हां, तो देश के हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्। रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई थी और सुझाव दिया गया था कि समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जांच-पड़ताल की पुनरीक्षा की जाए । राज्य सरकार ने उत्तर दिया है कि समिति की रिपोर्ट में उठाए प्रश्न नोट कर लिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय किए गए हैं कि जांच-पड़ताल पूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए । राज्य सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि जांच-पड़ताल के दौरान पूरी सावधानी बरती जाएगी और प्रत्येक अवस्था में वरिष्ठ अधिकारी मामले का पर्यवेक्षण करेंगे ।

(ख) राज्य सरकार को यह जोर देकर कहा गया है कि सभी मामलों, जिनमें हरिजनों के विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा अंतर्गत हो की जांच-पड़ताल शीघ्रता से तथा कारगर ढंग से की जाए और कोई ऐसा अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को कानून के अनुसार दण्ड दिया जाय । राज्य सरकारों को यह भी जोर देकर कहा गया है कि जब ऐसी घटनाएं उनके ध्यान में आएं तो प्रभावित व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा निरोधात्मक प्रबन्धों को मजबूत करने के कारगर तथा पर्याप्त उपाय किए जाएं ।

इस मामले पर 30 और 31 जुलाई, 1977 को हाल के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विस्तार से विचार-विमर्श हुआ है और सभी राज्य इस समस्या का समाधान करने के लिए उचित उपाय करने पर सहमत हो गए हैं ।

हजीरा पत्तन

5950. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजीरा पत्तन को बड़ा पत्तन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

LODGING ARRANGEMENTS FOR THE MANAGING DIRECTOR OF WESTERN COAL FIELDS LIMITED IN THE NAGPUR REST HOUSE

5951. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether Shri C. Balram Managing Director of Western Coalfields Ltd. Nagpur has been living in the Nagpur Rest House for the last three years :

(b) whether any rules have been laid down for lodging in the rest house, if so, the permissible number of days for continuous stay of an official and the funds from which the rent for his stay is being paid;

(c) whether Shri C. Balram continues to draw house rent allowance every month from his department inspite of his staying in the rest house; if so, the total amount of house rent allowance paid to him during these three years; and

(d) whether any action will be taken against him for this corrupt practice and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) No, Sir. Shri C. Balram, the Chairman-*cum*-Managing Director of Western Coalfields Limited is living in a building taken on rent in 1974 by the Coal Mines Authority Limited, with the approval of the competent authority. He is occupying the ground floor of the building. The top floor of the building is used as a guest house. He is not using the top floor for his personal use.

(b) Rules regarding stay of officials in the company's guest house have been framed. The same is not applicable in the case of Shri Balram as he is not staying in the guest house. Shri Balram is paying 10% of his salary as house rent, which is in conformity with the terms and conditions of his appointment.

(c) Shri Balram has not been drawing house rent allowance.

(d) Does not arise.

चिल्डन फिल्म सोसायटी के दिल्ली स्थानान्तरित कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त करना

5952. **श्री कड़िया मुंडा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के बम्बई में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों की, जिन्हें बाद में दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया था, सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी गईं थीं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को बहाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) इन अनियमितताओं के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अवडनी) : (क) और (ख) चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी ने अपने कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने और अपने खर्चे में कमी करने के लिए एक पुनर्गठन योजना तैयार की थी । यह योजना सोसाइटी ने 24-2-1975 को हुई अपनी साधारण बैठक में अनुमोदित की थी । इस पुनर्गठन योजना के अनुसार, सोसाइटी ने अपने कुछ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं । सोसाइटी का इन कर्मचारियों को बहाल करने का विचार नहीं है । इन्हें नियमों के अधीन देय सभी सेवांत लाभ दिए गए थे ।

(ग) प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सोसाइटी ने अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई की थी ।

साहा इन्स्टीट्यट आफ नुक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता में अनियमितताएं

5953. **श्री ए० के० राय : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के दिनांक 28 अप्रैल, 1977 के अंक में "रिसर्च कमस टु ए स्टैन्ड स्टिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

एवं लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें साहा इन्स्टीचच्यूट आफ नुक्लीयर फिजिक्स में विभिन्न अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और अदक्षता का उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या इन्स्टीच्यूट के निदेशक की सेवानिवृति की तारीख के बाद सेवा अवधि बढ़ा दी गई है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त इन्स्टीच्यूट के कार्य के मल्यांकन के लिए वर्ष 1973 की पुनरीक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में जो उसने सरकार को प्रस्तुत किया था और जिसे प्रकाशित नहीं किया गया है, इन्स्टीच्यूट के हालात की कड़ी आलोचना की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त प्रतिवेदन को प्रकाशित करने और साहा इन्स्टीच्यूट आफ नुक्लीयर फिजिक्स, कलकत्ता के हालात की जांच करने के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, संस्थान की प्रबन्ध समिति ने लेख म छपे आरोपों की जांच की है और उन्हें निराधार पाया है । समिति संस्थान में किए जाने वाले अनुसंधान कार्य की प्रगति का पुनरीक्षण निरन्तर करती रहती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान का कार्य ठीक ढंग से चल रहा है ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) विभाग ने अगस्त, 1973 में, संस्थान द्वारा किए गए कार्यों तथा पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान हाथ में लिए जाने वाले भावी कार्यक्रमों की समीक्षा करने के उद्देश्य से, एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया था जिससे कि स्टाफ उपस्कर तथा निधियों सम्बन्धी जरूरतों का सही-सही अंदाजा लगाया जा सके । विभाग ने समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया और उसमें दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में ब्यौरा तैयार किया, कि पंच-वर्षीय योजना के दौरान संस्थान की जरूरतें क्या होंगी । समिति की सिफारिशों का आधार संस्थान के वैज्ञानिक कार्यक्रमों का संतुलित मूल्यांकन था, जिसे संस्थान के कार्यकलाप की तीव्र आलोचना की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।

(घ) पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया है, एक ऐसा प्रलेख है जो प्रकाशनार्थ नहीं है । संस्थान के कार्य-कलाप की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

कर्नाटक राज्य की औद्योगिक परियोजनाओं में पूंजीनिवेश

5954. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक राज्य के में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में पूंजीनिवेश बढ़ाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : बड़े और मझोले उद्योग क्षेत्र की जिन केन्द्रीय औद्योगिक एवं खनिज परियोजनाओं के निवेशों में पांचवीं योजना की अवधि में वृद्धि की जायेगी उनकी सूची पांचवीं पंच वर्षीय योजना दस्तावेज के अनुबन्ध 30 ए (पृष्ठ 132 से 142) पर दी गई है ।

IMPORT OF AUTOMATIC MACHINE 'PAKO' BY PHOTO DIVISION UNIT

5955. SHRI MADAN TIWARY
CHAUDHARI HARI RAM
MAKKASAR GODARA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state : (a) whether an automatic machine PAKO costing about rupees six lakhs in foreign exchange was imported from abroad about four years back for printing photos in the Photo Division Unit under his Ministry under orders of the Deputy Director of that unit;

(b) what was the object of purchasing this machine; and

(c) whether this machine worked for about one and a half years but is now lying condemned for the last about two years and the small machines are being used for printing of photos while the Director of that Unit is claiming that the whole work is being done by PAKO Machine ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) An automatic photo printing machine called 'PAKO' was imported in 1973. The total cost was Rs. 3,62,480/- with a foreign exchange component of Rs. 1,35,158/-.

(b) To meet urgent requirements for photographs where a very large number of copies is required to be supplied within a short period.

(c) The machine worked from July 1973 to February 1977. It has developed certain mechanical defects requiring replacement of some essential components. Action to import these parts is being taken. The Director has made no claims that the entire work is being don by the 'PAKO' machine.

सम्बलपुर में रक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति

5956. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा कर्मचारियों की भर्ती के लिए सम्बलपुर, उड़ीसा में एक स्थाई कार्यालय खोला है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए अपने भवन के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सम्बलपुर (उड़ीसा) में, प्रारम्भ दो वर्षों के लिए एक अस्थायी शाखा भर्ती कार्यालय खोला गया है ।

(ख) इस कार्यालय को किराए का मकान दिया गया है । इसके लिए, इस समय नया भवन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

WORKERS REMOVED FROM SERVICE BY BCCL

5957. SHRI RAMDAS SINGH : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the number of workers in Bharat Coking Coal Limited removed from service without assigning any reason on the charge of working on fictitious names.

(b) the number of persons taken back on duty after their true identity :

(c) the amount paid as compensation to the workers removed by irregular manner; and

(d) the names of the officers responsible for the misuse of this amount and the action being taken against them ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) & (b) 810 workers of BCCL whose identities were found to be doubtful were stopped from work. Of these, 508 were allowed to resume on establishing their genuinness.

(c) & (d) An amount of Rs. 1,47,801 has already been paid to them as wages for the idle period. Besides, an amount of Rs. 4,41,320 remains to be paid. No misuse of this amount has come to notice.

सैनिक स्कूल, कुंजपुरा द्वारा जमानत राशि की वापसी

5958. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल कुंजपुरा (करनाल) ने उन लड़कों की जमानत राशि वापस नहीं की है जिन्होंने वर्ष 1975 में स्कूल से परीक्षा पास की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जमानत राशि शीघ्र वापस दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कुंजपुरा सैनिक स्कूल से 1975 में परीक्षा पास करने वाले लड़कों में से 9 लड़कों को छोड़कर शेष सभी लड़कों की जमानत राशि वापस कर दी दी गई है ।

(ख) और (ग) इन 9 लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की कोचिंग के लिए मई 1975 में स्कूल में रोक लिया गया था । इन लड़कों को दिल्ली प्रशासन से छात्रवृत्ति मिल रही थी । राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की कोचिंग के लिए उनके स्कूल में ठहरने के लिए 175 रुपए प्रति लड़के के हिसाब से भुगतान करने के लिए दिल्ली प्रशासन से दावा किया गया है । प्रवेश के समय माता-पिता द्वारा भरे गए बांड के अनुसार सरकार द्वारा किसी भी राशि को रोक लेने अथवा इस सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अभिभावकों/माता-पिता के द्वारा इसका निपटारा करना होता है । इसलिए, इन लड़कों की जमानत की राशि को दिल्ली प्रशासन द्वारा छात्रवृत्ति की मंजूरी होने तक रोक रखा गया है । दिल्ली प्रशासन से छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाने के बाद जमानत की राशि छात्रों को वापस कर दी जाएगी । चूंकि इस मामले को सुलझाने में काफी विलम्ब हो गया है इसलिए इसे दिल्ली प्रशासन के साथ सरकारी स्तर पर उठाया जा रहा है ।

जनजातियों में अशान्ति

5959. **श्री गिरिधर गोमांग्रो :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातियों में व्याप्त अशान्ति दूर करने के लिए मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) अशान्ति के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि देश में जनजातियों में कोई अशांति है । फिर भी सरकार उत्सुक है कि जनजातीय क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में उपयोक्त कदम उठाए गए हैं ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन और कार्यों पर पुस्तकें

5960. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भारत के बाहर किए क्रांतिकारी कार्यों से सम्बन्धित दस्तावेजों को एकत्र करना और उनका संरक्षण करना सरकार अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विदेश मंत्रालय की सहायता से निम्नलिखित का पता लगाने और एकत्र करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी :—

(एक) दक्षिण पूर्व एशिया तथा आजाद हिन्द फौज और जर्मनी नेताजी के युद्ध के समय के भाषण और लेख से सम्बन्धित समाचार तथा अन्य दस्तावेज,

(दो) नेताजी और आजाद हिन्द फौज पर वृत्त चलचित्र जो जापान, पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, यू० के०, अमरीका, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, फिलिपीन्स तथा अन्य देशों के सरकारी अभिलेखागारों में मिलने की संभावना है ;

(ग) क्या नेताजी के उपलब्ध लेखों और भाषणों का सभी राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशन करवाया जाएगा ताकि उन्हें आम जनता तक पहुंचाया जा सके ;

(घ) क्या सरकार नेताजी के जीवन और कार्यों पर पुस्तकें प्रकाशित करने का काम करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जनता सरकार की नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोपीय देशों से नेताजी के भाषणों, लेखों, फिल्मों, उनके भाषणों के रिकार्डों/ट्रांसक्रिप्टों के रूप में कुछ सामग्री पहले ही प्राप्त कर ली है ।

(ग) से (ङ) कुछ प्रकाशन जिनमें नेताजी का जीवन-चरित्र और उनके भाषण आदि दिए हुए हैं, पहले ही छापे जा चुके हैं । इन प्रकाशनों का पुनमुद्रण करने के बारे में उपलब्ध स्टाफ स्थिति और मांग की रोशनी में विचार किया जाएगा ।

SEMINAR ON FILMS DURING SIXTH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL IN INDIA

5961. **SHRI ISHWAR CHOUDHARY :** Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state : (a) the recommendations made by the seminar on films held during the Sixth International Film Festival in India and the reaction of Government thereto; and

(b) whether the seminar had laid stress on making entertainment tax a central subject alongwith framing a national film policy.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Recommendations made by the Seminar on Films, organized by the Indian Institute of Mass Communication during the Sixth International Film Festival, have been enumerated in the Annexure. Government have not yet taken any decision on these recommendations.

(b) The Seminar recommended the evolution of a progressive National Film Policy to fulfil the view that, for its healthy development, cinema should be made a central subject. It also recommended rationalisation of the structure of entertainment tax and related levies.

STATEMENT

Recommendations made by the seminar on Films held from January 5 to 7, 1977 during the Sixth International Film Festival.

1. Government should actively encourage and develop a meaningful, democratic, critical, aesthetic and scientific tradition in the film industry. This can only be done by taking steps to discourage the cavalier and mindless direction that Indian cinema is taking today.
2. Welcoming the widely held view that for its healthy development cinema should be made a Central subject, the seminar pleaded for the evolution of a progressive national firm policy.
3. The Seminar recommended that film-makers should be enabled to import all the necessary equipment for production in 16mm. Government should also take other steps to build up the infra-structure needed to bring about a 16 mm. film revolution in the country.
4. Television should develop its own identity so that it can play its rightful role in bringing about a social revolution. It should not be allowed to succumb to the commercial and other undesirable influences of the average cinenma.
5. New, young and enterprising film-makers should be looked upon as members of a profession which, like that of medicine, should be eligible for bank finance. Their access to institutional funds will become easier when cinema is made a Central subject.
6. In order to encourage independent film-makers it is necessary to rationalise the structure of entertainment taxes and related levies.
7. Having accepted the fact that cinema is the single most potent factor in the cultural ethos of the country, it should find a place in the overall national policy.
8. Film education should become part of the national educational policy.
9. In order to create the climate for the implementation of these recommendations, action Committees should be formed.

UJIARGHAT-BUXAR BRIDGE ON GANGA

5962. SHRI RAMDHARI SHASTRI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the Ujiarghat-Buxar bridge on the Ganga river connecting Uttar Pradesh and Bihar has since been completed; and

(b) whether the completion of this bridge is being delayed deliberately whereas it should have been completed and thrown open to traffic in 1976 ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

INVESTMENT IN ELECTRONICS CORPORATION OF INDIA LTD.

5963. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of ELECTRONICS be pleased to state the total amount invested so far in the Electronics Corporation of India Limited and the quantum of its production

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : Total investment from inception 1967-68 to 1976-77 is Rs. 14.69 crores and total value of production over this period is Rs. 98.87 crores.

RETIREMENT AGE OF N.C.C. INSTRUCTORS

5964. SHRI PHIRANGI PRASAD : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state : (a) whether the retirement age of N.C.C. instructors incharge of imparting training to college students in U.P. has been fixed at 45 years whereas it is 52 years for their superior N.C.C. Officers with a provision of extension of service for four years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to bring the instructors at par with N.C.C. Officers in this respect ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) The Permanent Instructional Staff in the N.C.C. is normally from the Defence Services and their age of retirement is as prescribed in the Service conditions. In addition to PI Staff, there are NCC part-time officers who are provided by the schools or colleges where NCC companies or troops are raised. These officers belong to the teaching staff and their age of superannuation from the NCC is presently 45 years which can be extended upto 50 years. Recently it has been decided that the part-time officers will retire at the age of 45 years or after completing 15 years of service, whichever is earlier. Action is in hand to amend the relevant NCC Rules accordingly. There are whole-time NCC officers a'so who are granted extension of service of three years at a time and they may serve upto the age of 55 years.

The retirement ages are uniform for various categories throughout the country.

(b) The age of retirement of part-time NCC officers has been fixed at 45 years of age or 15 years of service, whichever is earlier on the recommendations of an Evaluation Committee on NCC which was headed by Dr. G. S. Mahajani. It was felt that after 15 years of service or when the school and college teachers attain the age of 45 years, their greater interest may lie in the teaching profession and besides, some of them may enhanced their academic status and acquire additional responsibilities and may not be able to spare enough time for NCC activities.

(c) No.

BRIDGE OVER SHANKH RIVER

5965. SHRI L. SAI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state : (a) whether the bridge over the Shankh river on Raigarh-Ranchi road has been completed; and

(b) whether the approach road to the bridge has been constructed in Madhya Pradesh but the approach road in Bihar has not been constructed so far and if so, the reasons therefor ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b) The bridge proper and the approach road on the Madhya Pradesh side are already complete. The Bihar side approach is also in progress now and is expected to be completed shortly.

योजना निकायों के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन

5966. **श्री चित्त बसु :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्ति के विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार योजना निकायों के संगठनात्मक ढांचों में किसी मूल परिवर्तन को वांछनीय समझती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : इस देश में योजना प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों--केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और कुछ क्षेत्रीय निकाय स्तरों पर निर्णय करने के रूप में विकसित किया गया है । सभी संबद्ध पक्षों के साथ पूरे विचार-विमर्श के बाद पंच वर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है । फिर भी, विकेन्द्रीकरण तथा योजना प्रक्रिया में स्थानीय नेतृत्व के सहयोग की ओर अधिक आवश्यकता है । राज्य स्तर के अतिरिक्त उप-क्षेत्रीय तथा जिला स्तरों को भी योजना प्रक्रिया से पर्याप्त रूप से संबद्ध करना होगा । खण्ड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए योजना आयोग का क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के काम को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ।

राज्य सरकारों को उनके आयोजन के तंत्र के स्वरूप निर्धारण और सुदृढ़ीकरण में सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय स्कीम लागू की गई है जिसके अन्तर्गत सुयोग्य कर्मचारियों को भर्ती करने और योजना संगठनों को मजबूत करने के लिए अन्य प्रासंगिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है । अब तक 1.92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है । और अधिक सहायता के लिए आवश्यकतानुसार आगामी वर्ष में भी व्यवस्था की जाएगी ।

SERVICES OF NEWS AND FEATURES AGENCIES UTILIZED BY MINISTRIES

5967. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state : (a) the names of Ministries which utilise services of news and feature agencies, the names of these agencies and the rates at which these services are obtained;

(b) the justification for doing so; and

(c) whether Government propose to introduce this service or extend support to such a service in order to promote Hindi ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) to (c) The information is being collected from the Ministries and will be laid on the Table of the House.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर श्वेत पत्र

5968. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने का है जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के उनके सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उत्थान के सम्बन्ध में अपनी नीति बताई जाये ;

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में कार्य करने वाली दोनों सदनों के संसद् सदस्यों की समिति को सरकार किस तारीख को इस सम्बन्ध में परामर्श देगी ; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में संवैधानिक दायित्वों के अनुसरण में इन जातियों के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई योजनाएं बनाई गई हैं और क्रियान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं :—

(i) मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियां।

(ii) कन्या छात्रावास, तथा

(iii) शिक्षण तथा संबद्ध योजनाएं ।

राज्य योजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ शैक्षिक प्रोत्साहनों, आर्थिक सहायता प्राप्त आवास, विभिन्न कृषि कार्यक्रम तथा विकास निगमों की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त आदिवासी उप योजनाएं तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं जिनमें आदिवासी अर्थ व्यवस्था के विशेष महत्व के कार्यक्रम शामिल ह, अनुसूचित जन जातियों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए तैयार की जा रही हैं।

उद्योग मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में कर्मचारियों के कार्य की स्थिति

5969. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में स्वायत्तशासी संस्थाओं/विभागों के सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें वही दर्जा देने का है जो सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) केवल बड़े औद्योगिक गृहों के जांच आयोग के कर्मचारी ही सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नही माने जाते हैं क्योंकि उन्हें उनका वेतन भारत सरकार की समेकित निधि से नहीं मिलता है ।

अन्य सरकारी कर्मचारियों की जैसा उन्हें स्तर प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

आपात् स्थिति के दौरान संवैधानिक संशोधन के समर्थन में वार्ताओं का प्रसारण

5970. **श्री किशोर लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपात् स्थिति के दौरान संवैधानिक संशोधन (42वीं) के समर्थन में आकाशवाणी केन्द्र के दिल्ली स्टेशनों पर कितनी वार्ताएं, भेंटवार्ता अथवा सामाजिक घटनाओं का प्रसारण किया गया ;

(ख) इन वार्ताओं का अथवा भेंटवार्ताओं में भाग लेने वाले लेखकों तथा भेंटकर्ताओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितनी राशि दी गई ; और

(ग) उसी अवधि के दौरान संवैधानिक संशोधनों के समर्थन में टेलीविजन, दिल्ली केन्द्र पर वार्ता में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) सत्तावन ।

(ख) एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-1)

(ग) एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-2) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 950/70]

चंडीगढ़ का दर्जा

5971. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के दजे के बारे में निर्णय करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किए जाने की आशा है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) : जैसा कि तारीख 22 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 1395 के उत्तर में इस सदन में बताया गया था, सरकार को सम्बन्धित राज्यों में नई सरकारों से विचार परामर्श करने के बाद, अभी इस मामले में अपना दृष्टिकोण निश्चित करना है ।

गया में कागज मिल

5972. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गया (बिहार) में जहां कागज के लिए कच्ची सामग्री का बाहुल्य है, सार्वजनिक क्षेत्र में एक कागज मिल स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) सरकार के पास इस समय गया में सरकारी क्षेत्र में कागज मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों में रोजगार के लिए 'ट्रेविल एजेंसियों' द्वारा विज्ञापन

5973. **श्री रशीद मसूद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ "ट्रेविल एजेंसियां" ईरान मध्य पूर्व के अन्य देशों में रोजगार के अवसरों के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन देती है परन्तु वे भारत के कुछ सम्प्रदायों के लोगों को ही भर्ती करती हैं ;

(ख) क्या ऐसे विज्ञापन भेदभावपूर्ण और राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास में बाधक नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विज्ञापनों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) तथ्य मालुम किए जा रहे हैं ।

आन्ध्र प्रदेश के मछुओं का अनुसूचित जन जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना

5974. **श्री द्रोणभराजू सत्यनारायण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश के मछुओं को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यरूप दिया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस प्रस्ताव पर तब विचार किया जाएगा जब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सूचियों के विस्तृत संशोधन के लिए विधान का कार्य हाथ में लिया जाएगा ।

MEMORANDUM FROM THE TRADE UNION OF VEHICLE FACTORY JABALPUR

5975. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum on 4th July, 1977 or so from the Trade Union of the Vehicle Factory Jabalpur wherein it has been stated that the General Manager, Shri I. J. Nayak taking advantage of the emergency terminated the services of fourteen employees for their involvement in the incident which occurred on 8th October, 1974;

(b) whether Government are aware that the General Manager handed over the factory to army when the said employees demonstrated and as a reaction thereto the incident of 8th October, 1974 took place;

(c) whether the General Manager violated Article 311 of the Constitution as also the Home Ministry's directions contained in OM No. 39/8/64-Ests (A), dated the 4th September, 1964; and

(d) the nature of relief proposed to be given to the said employees by the Government and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (d) The proceedings against the 14 employees referred to in part (a) of the Question were initiated prior to declaration of internal Emergency, following certain incidents of violence which occurred on 8th and 9th October 1974, involving charges of arson, assault, unlawful assembly, etc. As a result of these departmental proceedings, taken in accordance with the prescribed procedure, the 14 persons in question were removed from service. Separately, ten of them were tried and convicted by the Sessions Court on various criminal charges.

It is not true that the Factory was handed over to the Army following the out-break of violence; only the Defence Security Force was augmented with assistance from the local Station Commander to ensure the safety of plant and machinery.

A representation dated 27-4-1977 has been received from the President, Vehicle Factory Mazdoor Union, Jabalpur, requesting for reinstatement of the 14 employees whose services were terminated. The same is under consideration.

आसाम-अरुणाचल सीमा विवाद

5976. **श्री के० वी० चेतरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आसाम तथा अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद की जांच करने हेतु एक सुन्दरम आयोग नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के भूतपूर्व कार्यकारी पार्षदों के विरुद्ध शिकायतें

5977. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष में पिछली महानगर परिषद् के सदस्यों से दिल्ली के भूतपूर्व कार्यकारी पार्षदों तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों के मख्य मुद्दे क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) भूतपूर्व कार्यकारी पार्षदों के विरुद्ध अन्य स्रोतों से सरकार को प्राप्त शिकायतों का मुख्य विवरण क्या है; और

(घ) जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ) सरकार को भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा कार्यकारी पार्षदों तथा अन्य के विरुद्ध आरोपों के दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं । ज्ञापन पर पिछली महानगर परिषद् के कुछ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । इन आरोपों की जांच की जा रही है । उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार को अन्य स्रोतों से भूतपूर्व कार्यकारी पार्षदों के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन

5978. **मीठा लाल पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विभिन्न भाषाओं में कौन-कौन से छोटे समाचारपत्र कहां-कहां से प्रकाशित होते हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार इन समाचारपत्रों को इस समय कितनी वित्तीय सहायता देती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 951/77]**

(ख) केन्द्रीय सरकार समाचारपत्रों को कोई वित्तीय सहायता नहीं देती।

एक मात्र बिक्री एजेंसियां

5979. **श्री वेणुगोपाल गौंडर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में समस्त कृषि तथा औद्योगिक आवश्यक वस्तुओं के लिए एकमात्र बिक्री और खरीद करने की एजेंसियां देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : कंपनी अधिनियम की धारा 294 एए के अधीन कंपनियों द्वारा एकमात्र बिक्री/खरीद एजेन्टों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र पर कंपनी ला बोर्ड द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है जिनमें निम्नलिखित संगत तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है :—

(1) कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद की किस्म ;

(2) इस प्रकार के उत्पादों में कंपनी के मार्केट शेयर तथा उत्पाद के सम्बन्ध में होने वाली प्रतियोगिता;

(3) विपणन सेवाएं देने हेतु एक मात्र बिक्री एजेन्सी की संगठन व्यवस्था;

(4) एक मात्र बिक्री एजेन्टों द्वारा की गई सेवाएं तथा उनका स्वरूप;

(5) मुख्य कंपनी में एकमात्र बिक्री ऐजेन्टों का हित;

(6) एक मात्र बिक्री एजेन्टों में कंपनी के निदेशकों की रुचि;

(7) कंपनी के उत्पादों के विपणन में एकमात्र बिक्री एजन्टों द्वारा अर्जित कमीशन किया गया व्यय तथा बचाया गया लाभ

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि यह पाया जाता है कि एक मात्र बिक्री एजेन्टों की नियुक्ति कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं है तो उसे स्वीकृति दे दी जाती है अन्यथा प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है। जहां कहीं भी एकमात्र बिक्री एजेन्सी को स्वीकृति दी जाती है, दिये जाने वाले कमीशन को इस प्रकार से विनियमित किया जाता है कि एक मात्र बिक्री एजेन्टों द्वारा उठाए गये खर्चों में कंपनी के उत्पादों के विपणन में तथा अर्जित कमीशन में युक्तियुक्त अनुपात रखा जाये।

बाजार में विद्यमान विभिन्न स्थितियों के कारण निम्नलिखित वस्तुओं के बारे में पांच वर्षों की अवधि के लिये उनके सामने दी गई तारीख से एक मात्र बिक्री एजेन्ट नियुक्त

करने पर प्रतिवंध लगा दिया गया है :—

(क) कागज	18-9-1975
(ख) सीमेंट	18-9-1975
(ग) चीनी	5-9-1975
(घ) वनस्पति	5-9-1975

सरकारी क्षेत्र तथा निजि क्षेत्र दोनों की ही कंपनियों के लिये यह नीति लागू होती है ।

आवश्यक परिवर्तन सहित उपर्युक्त नीति एक मात्र खरीद ऐजेन्टों पर भी लागू होती है ।

मिलिंग प्रौद्योगिकी के अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना

5980. श्री के० मालन्ना : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अनुसन्धान संस्थान में मिलिंग प्रौद्योगिकी के अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो छात्रों के प्रवेश, व्यय और प्रशिक्षण के तरीके आदि का क्या ब्यौरा है, और

(ग) इसे कब शुरू किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) चूंकि, योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया, इसलिये इस स्तर पर कोई सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है ।

आयोजना प्रक्रियाओं का केन्द्रीयकरण

*5981. **श्री अन्नासाहिब पी० सिन्दे :**

श्री चित्त बसु : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में आयोजन प्रक्रियाओं का अत्यधिक केन्द्रीयकरण रहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग का विचार इसे किस प्रकार समाप्त करने का है; और

(ग) क्या राज्य स्तर पर योजना संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए योजना आयोग के पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) इस देश में योजना प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों केन्द्रीय सरकार, कुछ क्षेत्रीय निकाय, राज्य सरकारें और इससे निचले स्तरों पर निर्णय करने के रूप में विकसित किया गया है । पूरे विचार-विमर्श के बाद पंच वर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है । फिर भी, विकेन्द्रीकरण तथा योजना प्रक्रिया में स्थानीय नेतृत्व के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है ।

राज्य स्तर के अतिरिक्त उप-क्षेत्रीय तथा जिला-स्तरों को भी योजना प्रक्रिया से पर्याप्त रूप से संबद्ध करना होगा । खण्ड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए योजना आयोग का क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के काम को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ।

(ग) राज्य सरकारों को उनके आयोजन के तन्त्र के स्वरूप निर्धारण और सुदृढ़ीकरण में सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय स्कीम लागू की गई है जिसके अंतर्गत सुयोग्य कर्मचारियों को भर्ती करने और योजना संगठनों को मजबूत करने के लिए अन्य प्रासंगिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। अब तक 1.92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। और अधिक सहायता के लिए आवश्यकतानुसार आगामी वर्ष में भी व्यवस्था की जाएगी।

OFFICIAL LANGUAGE CELL

5982. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one independent Official Language Cell was opened in June 1975; and

(b) if so, the items of work assigned to it and achievements thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Yes, Sir. The Department of Official Language, under the charge of a Secretary, was created in June 1975.

(b) This Department has been entrusted with the following items of work :—

1. Implementation of the provisions of the Constitution relating to the Official Language and the provisions of the Official Languages Act, 1963 (except to the extent such implementation has been assigned to any other Department.
2. Prior approval of the President for authorising the Limited use of a language, other than English, in the proceedings of the High Court of a State.
3. All matters relating to the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union.
4. Co-ordination of the work relating to the Official Language being done by the various Ministries/Departments in the context of the provisions of the Constitution, the Presidential order of 27th April, 1960, the Official Languages Act, 1963, and the Government Resolution on Language dated 18th January, 1968.
5. Hindi Teaching Scheme for the Central Government employees.
6. Matters relating to the Kendriya Hindi Samiti.
7. Coordination of work relating to the Hindi Salahakar Samitis set up by the various Ministries/Departments.
8. Matters relating to the Central Translation Bureau.

A statement of some important achievements of the Department is attached.

STATEMENT

Some important achievements of the Department of Official Language

Since the formation this Department, the use of Hindi for official purposes has considerably accelerated and the number of Sections, in which Hindi was used in varying degrees, has increased. In June, 1975 there were 785 such Sections, their number increased to 982 in December, 1976. The number of Senior Officers working in Hindi has increased to about 1015 in December 1976 as against 531 in June, 1975. The official Language Implementation Committees, which are taking action to promote the use of Hindi have been set up almost in all the Ministries and in a large number of Subordinate Offices. As a result of the efforts of this Department, the posts relating to Hindi work have been created in a number of Ministries and Departments and persons have been appointed thereon. The following achievements of the Department are worth mentioning :—

(1) Official Language (Use for the official purposes of the Union) Rules, 1976 were made under Section 8 of the Official Language Act, 1963, and were notified in July 1976.

(2) Section 5(2) of the Official Language Act was enforced with effect from 1-10-76, according to which English text of any Bill to be introduced in Parliament shall be accompanied by its authorised Hindi translation.

(3) Prior to the creation of this Department, Hindi Salahakar Samitis were functioning in 6 Ministries and sub-committees in 2 Ministries. Such Samitis have now been set up in 8 more Ministries/Departments and action is being taken to set up these Samitis in 4 other Ministries. With a view to bring about uniformity in the constitution of these Samitis, guidelines have been prepared with the approval of the Prime Minister, and all the Ministries and Departments have been informed about them.

(4) With a view to enlisting the cooperation of the States in formulating the Official Language Policy, it was decided to nominate Chief Ministers of two non-Hindi speaking States and one Hindi Speaking State, by rotation, as members of the Kendriya Hindi Samiti. Accordingly, in March, 1976, the Chief Ministers of Karnataka, Maharashtra and Bihar had been nominated as members of the reconstituted Committee. Now this Committee is, again being reconstituted.

(5) A Central Hindi cadre is being formed for Hindi Staff working in various Ministries and Departments so as to ensure security of their service and proper opportunity for their promotions etc. In this connection, action to prepare recruitment rules is almost complete.

(6) Clarifying the Official Language Policy of the Government, the Department of Official Language have informed all Ministries etc. that simple and natural Hindi should be used in official work and that prevalant words of various languages, which have been fully assimilated in Hindi, should be used without any hesitation. This has had a very healthy effect.

(7) A special course has been prepared for the Postmen to teach them Devanagari script. The first batch of the postmen has been trained at Hyderabad Centre of Hindi Teaching Scheme under this course.

(8) With a view to accelerate training in Hindi Typing and Hindi stenography, five new Training Centres have been opened.

(9) Uptil now the Teaching of Hindi for employees not knowing Hindi was optional. Now by an order, regular attendance at the classes and appearing at the examinations at the end of the session has been made obligatory, for the employees nominated to Hindi Classes.

(10) According to a decision taken by the Kendriya Hindi Samiti, the Teaching of Hindi has been made obligatory for all Government Undertakings, like that for the Central Government employees.

(11) Previously, there was no arrangement for the training of teachers of Hindi Teaching Scheme. After the creation of the Department a two-month course has been prepared for them. So far, 139 teachers have been trained in this course.

(12) With a view to remove the mechanical defects in the Standard Devanagari Typewriter and to make it more useful, it has been decided that the half-space mechanism of these typewriters should be abolished, a new vowel sign should be provided in the keyboard to represent the typical sounds of Indian languages. As a result of these improvements the production of typewriters will increase, maintenance will be easy and there will be reduction in the price.

(13) A booklet giving detailed report about the progressive use of Hindi in the various Ministries/Departments and Offices during the last ten years (1965-75) has been published under the title "RAJ BHASHA HINDI KE BARTE CHARAN".

(14) Annual report giving details of work of the Official Language Department for the years 1975-76 and 1976-77 were prepared and placed before both the Houses of Parliament.

(15) The Second World Hindi Convention was held at Mauritius in August 1976. It was organised entirely by the Official Language Department. This Convention was a great success, and it helped the spread and development of Hindi abroad.

आकाशवाणी में विविध भारतीय अनुभाग में नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा की शर्तें

5984. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में विविध भारती के नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में कोई सांविधिक विनियम नहीं है;

(ख) क्या सेवा की शर्तों के बारे में कोई विनियम है;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी सेवाएं किस प्रकार शासित होती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) आकाशवाणी, बम्बई की विविध भारती द्वारा नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों को विनियमित करने वाले कोई अलग सांविधिक विनियम नहीं हैं।

(ख) से (घ) इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा तुलनीय अधिसूचित नौकरियों के लिए समय समय पर निश्चित न्यूनतम मजूरियों के आधार पर मजूरी दी जाती है।

फोटो फिल्म निर्मात्री कम्पनी

5985. श्री विजय कुमार मंडल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटकमण्ड देश के विभिन्न भागों से एक्सरे फिल्मों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है; यदि हां, इस असमर्थता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या अपर्याप्त और दोषपूर्ण सप्लाई के बारे में अनेक शिकायतें भेजी गयी हैं; और

(ग) क्या स्वदेशी दोषपूर्ण फिल्मों की सप्लाई करने और गलत ढंग से भेजने आदि के कारण उनका आयात लाइसेंस जब्त कर लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०, ऊटकमण्ड का विद्यमान उत्पादन देश के विभिन्न भागों की एक्सरे फिल्मों की मांग का पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

छम्ब में पाकिस्तानी घुसपैठिये

5986. **श्री शिव सम्पति राम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जम्मू के सीमा क्षेत्र छम्ब से पशुओं को भगा ले जाना पुनः आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा की जाने वाली घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जनवरी से जुलाई, 1977 के अन्त तक की अवधि के दौरान जम्मू के छम्ब क्षेत्र में पशु ले जाने के 14 मामले पुलिस स्टेशन खोरे में तथा एक पुलिस स्टेशन अखनूर में दर्ज कराया गया है।

(ग) पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा पशु ले जाने को रोकने के लिए हमारे सुरक्षा बलों द्वारा उस क्षत्र में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है और निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

MISMANAGEMENT IN THE REGIONAL LABORATORY, JAMMU TAWI

5987. SHRI UGRASEN : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether he has received a letter sent by a Member of Parliament during the second week of July 1977 in which his attention was drawn to the mismanagement in the Regional Laboratory, Jammu Tawi (under C.S.I.R.);

(b) whether the complaints received in this regard would be placed on the Table of the House; and

(c) the action taken by Government to remove these grievances ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) A letter dated 13th July, 1977 was received by the Minister of Education and Social Welfare from the Hon'ble Member relating to certain complaints pertaining to Regional Research Laboratory, Jammu.

(b) A copy of the letter of the Hon'ble Member is laid on the Table of the House. [Placed in the Library. See No. LT—952/77].

(c) The complaints are being looked into and the results will be communicated to the Hon'ble Member when they are completed.

हल्दिया में जहाज निर्माण यार्ड

5988. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहाज निर्माण यार्ड के लिए स्थल के रूप में हल्दिया की उपयुक्तता के बारे में उन ब्रिटिश विशषज्ञों की क्या राय है जो हल्दिया का दौरा करने आये थे और उनके परामर्श के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ब्रिटिश सलाहकार मैसर्स ए० एंड पी० एमलेडोर से जहाज निर्माण स्थान के रूप में हल्दिया की उपयुक्तता की जांच करने के लिए नहीं कहा गया। परन्तु उन्होंने निश्चय ही हल्दिया के निकट गंगरा के ग्रुपों की जांच की और इसकी

नये शिपयार्ड के स्थान के लिए सिफारिश नहीं की। सरकार ने विशेषज्ञों की यह सलाह मान ली है।

इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटरों का व्यापार करने वाली विदेशी फर्में

5989. श्री सौगत राय : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी फर्में भारत में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटरों का व्यापार कर रही हैं;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कम्प्यूटरों का निर्माण करने की बजाय उन्हें आयात करने की नीति में परिवर्तन करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : निम्नलिखित विदेशी कम्पनियां नीचे दर्शाए गए आधार पर भारत में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटरों का व्यापार कर रही हैं :–

I. अमरीका का आई० बी० एम० विश्व व्यापार निगम अपनी आई० बी० एम० (इंडिया) नामक शाखा के माध्यम से भारत में अपना कार्य संचालन कर रहा है।

II. ब्रिटेन की इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड नामक कम्पनी निम्नलिखित कम्पनियों के माध्यम से भारत में अपना कारोबार कर रही हैं :––

(1) ब्रिटेन की आई० सी० एल० कम्पनी के शत-प्रतिशत स्वामित्व के अंतर्गत आने वाली आई० सी० एल० (इंडिया) नामक कम्पनी के माध्यम से जिसमें विदेशी साम्या-पूंजी (ईक्विटी) लगी है। यह कम्पनी मुख्यतया आई० सी० एल० कम्पनी द्वारा निर्मित कम्प्यूटर-प्रणालियों का विपणन तो करती ही है साथ ही उन्हें प्रतिष्ठापित करने और उनकी मरम्मत करने का कार्य भी करती है।

(2) इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के माध्यम से जिसमें ब्रिटेन की आई० सी० एल० कम्पनी के 60 प्रतिशत शेयर हैं तथा जो कम्प्यूटर-प्रणालियों और उपान्त उपस्करों (पेरीफेरल्स) के एककों के निर्माण का कार्य करती है।

III. अमरीका के बरीज़ कारपोरेशन को इस आशय का अनुमोदन प्रदान किया गया है कि वह 50 प्रतिशत विदेशी साम्या-पूंजी (ईक्विटी) लगाकर मेसर्स टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक ऐसी संयुक्त कम्पनी बनाए जिसका उद्देश्य विशुद्धतः निर्यात की दृष्टि से निर्माण कार्य करना होगा।

IV. भारतीय एजेन्टों के माध्यम से कार्य करने वाली अन्य विदेशी कम्प्यूटर कम्पनियों में निम्नलिखित शामिल हैं :––

विदेशी कम्पनी	एजेन्ट
1. कंट्रोल डेटा कारपोरेशन (सी० डी० एस०) अमरीका	ग्रीव्ज काटन
2. डिजीटल इक्विपमेंट कारपोरेशन, अमरीका	हिन्दीट्रान, बंबई

	विदेशी कम्पनी	एजेन्ट
3.	हेवलेट पैकार्ड, अमरीका	ब्लू स्टार
4.	सी-II-हनीवेल बुल, फ्रांस	सी० आई० आई०
5.	इंटर डेटा अमरीका	मेसस सी० एच० कृष्णन् एण्ड एसोसियेट्स, नई दिल्ली
6.	डी० एम० ई० जर्मन जनवादी गणतंत्र	इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम
7.	मार्कोनीस, ब्रिटेन	ग्रीव्ज काटन
8.	कम्प्यूटर आटोमेशन	माइक्रोनिक्स डिवाइस
9.	रेथियान	ग्रीव्ज काटन
10.	वेरियान	आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप
11.	यूनीवैक	आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप
12.	इलेक्ट्रानिक्स एसोशियेट्स	लार्सन एण्ड टोब्रो
13.	टेक्सास इंस्ट्रूमेन्ट्स	तोशनीवाल इंस्ट्रूमेंट्स/सी० एच० कृष्णन् एण्ड एसोशियेट्स
14.	इलेक्ट्रोनार्ज टेकनीका, सोवियत रूस	इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम/ कम्प्यूट्रांनिक्स इंडिया

(ग) : सरकार की यह नीति रही है कि देश कम्प्यूटरों के क्षेत्र में स्वावलम्बी बने, और इस पालिसी का मुख्य पहलू यह है कि कम्प्यूटरों के लिए स्वदेश में ही एक सक्षम निर्माण क्षमता स्थापित की जाय। इस समय मैसर्स भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ईसिल) नामक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी नियमित रूप से टी० डी० सी०-312 तथा टी० डी० सी०-316 किस्म के छोटे तथा छोटे से मध्यम आकार के कम्प्यूटरों का निर्माण कर रही है। निकट भविष्य में ही लघुकाय कम्प्यूटर उद्योग की भी शुरुआत करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेशनल कम्प्यूटर इंडिया मैन्यूफेक्चर द्वारा मध्यम तथा मध्यम से लेकर बड़े आकार के कम्प्यूटरों के बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। इसका कार्यान्वयन एक कम्पनी द्वारा किया जाएगा जिसमें ब्रिटन की आई० सी० एल० कम्पनी द्वारा 40 प्रतिशत विदेशी साम्या-पूंजी (ईक्विटी) लगाए जाने का प्रस्ताव है तथा यह कम्पनी ऊपर II में बताई गई विद्यमान कम्पनी के स्थान पर कार्य करेगी। कम्प्यूटरों को आयात करने के संबंध में आने वाले प्रत्येक प्रस्ताव पर मामलेवार विचार किया जाता है तथा जिन मामलों में इस प्रकार के आयात अत्यंत अपरिहार्य हों केवल उन्हीं मामलों में आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

THEFT OF IDOLS BY GOVERNMENT OFFICERS IN RAJASTHAN

5990. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3340 on the 13th July, 1977

regarding theft of idols by Government officers in Rajasthan and state whether he has received the letter sent by a Member of Parliament alongwith the complaint of Shri Hukam Singh, a legislator of Rajasthan, alleging the theft of idol and other acts of corruption and the receipt of this letter has been acknowledged by his Private Secretary under his D.O. letter No. 773/M/HMP/77 dated 28th May, 1977 ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : Yes, Sir. The complaiot was forwarded to the Government of Rajasthan for investigation and a report is awaited.

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति

5991. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस सुपरिटेंडेंट स्तर के भारतीय पुलिस सेवा के कितने पुलिस अधिकारियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 1970 में इसके बनने के पश्चात् नियुक्त किया गया; और

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिये इन अधिकारियों के चयन की क्या कसौटी है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : 25 ।

(ख) राज्यों से प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे गये अधिकारियों में से उपयुक्तता के आधार पर चयन किया जाता है ।

सरकारी उपक्रमों के अधिकारी

5992. श्री तुलसीदास दासप्पा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रोनिक्स, भारत अर्थ मूव स लिमिटेड इत्यादि जैसे केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और न्यायालयों के रिट संबंधी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राहत पाने के हकदार हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के उप क्रम संविधान के अनुच्छेद 12 अथवा 226 के अर्थों में प्राधिकरण नहीं हैं ।

पूर्वोत्तर परिषद् कार्यालय में कर्मचारी

5993. श्री होपिंगस्टोन लिंगडोह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) उस में नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की प्रतिशतता क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय में काम कर रहे कर्मचारियों की वर्ग वार संख्या इस प्रकार है :—

वर्ग 'क'	13
वर्ग 'ख'	5
वर्ग 'ग'	41
वर्ग 'घ'	24
योग	83

(ख) अनुसूचित जातियां 4

अनुसूचित जनजातियां 17

(**टिप्पणी** :—ये आंकड़े 'ख', 'ग' और 'घ' वर्गों से सम्बन्धित हैं क्योंकि वर्ग 'क' के पद अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त पर लेकर भरे जाते हैं। वर्ग 'क' के पदों में आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उनके लिए आरक्षित प्रतिशत इस प्रकार है :—

अनुसूचित जातियां	6 प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियां	22 प्रतिशत

शक्ति का विकेन्द्रीकरण

5994. **श्री निहार लास्कर**
श्री के० टी० कौसल राम } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 17 जुलाई, 1977 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार श्री जयप्रकाश नारायण के शक्ति के विकेन्द्रीकरण के बारे में आह्वान का ध्यान दे रही है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्र को विदेश संबंध और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिये और जहां तक सम्भव हो अधिकाधिक क्षेत्रों को दुरस्त ग्रामों और कस्बों तक के लिए भी छोड़ देना चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो उस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने इस बारे में प्रैस रिपोर्टें देखी हैं। यह माना जाता है कि उच्च कोटि का केन्द्रीकरण वांछनीय नहीं है क्योंकि लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है तथा इसका परिणाम सत्तावाद हो सकता है। सरकार का विचार है कि विकेन्द्रीकरण तथा व्यापक लोक प्रिय सहभागिता को सभी स्तरों पर प्रोत्साहन देना चाहिए।

चुनाव के दिन छुट्टी न दिया जाना

5995. श्री अनन्त ध्वे : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के अंजौर निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव के लिये पत्तन न्यास कार्यालय में तथा डाक श्रमिकों को चुनाव के दिन छुट्टी न दिये जाने के लिए कांडला पत्तन न्यास के चेयरमैन श्री बापट द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कांडला पत्तन न्यास द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था जो कि बाद में रद्द कर दिया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

GEOGRAPHICAL BOUNDARIES OF UTTAR PRADESH

5996. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is any difference between the geographical boundaries of Uttar Pradesh as in 1962 and as in 1967; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b). Certain stretches of boundary between the Sates of Bihar and Uttar Pradesh were, prior to the coming into force of the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, and certain stretches of boundary between Uttar Pradesh and the present State of Haryana are determined with reference to revierine mid-stream. The occasional variations in the course of the river stream determining the boundary have had the effect of altering the geographical boundaries of the State of Uttar Pradesh during the period in question.

बेकार रस्सी जहाज

5997. श्री सूरज भान : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एल० 14 सी विमानों के 12 स्क्वाड्रन बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से;

(ग) विमानों के इतने बड़े फ्लीट को बेकार खड़े रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का देश की रक्षा के लिये महत्वपूर्ण विमानों के रख रखाव और संचालन के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) भारतीय वायु सेना में आई० एल०-14 विमानों का केवल एक स्क्वाड्रन था । पहली अप्रैल 1975 से इन विमानों को सेना से हटा लिया गया था ।

(ग) इन विमानों को सेना से इसलिए हटा लिया गया था क्योंकि विमान निर्माण करने वाले देश द्वारा फालतू कल-पुर्जों का निर्माण बन्द कर दिए जाने के कारण विमान के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित फालतू कल-पुर्जे उपलब्ध नहीं हो रहे थे ।

(घ) सरकार रक्षा सेवाओं के सभी विमानों के अनुरक्षण और संचालन के लिए एक नियमित प्रणाली पहले ही निर्धारित कर चुकी है ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री डी० एस० लाम्बा के आश्रितों को प्रधान मंत्री के राहत कोष से अनुग्रह भुगतान ।

5998. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अस्थायी न्यायाधीश श्री डी० एस० लाम्बा जिनकी 27 नवम्बर, 1976 को मृत्यु हो गई थी, के आश्रितों को प्रधान मंत्री के राहत कोष या अन्य किसी कोष से कोई अनुग्रह राशि दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिए किसने आवेदन किया था और दी गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

COMMON CADRE FOR POSTS CREATED FOR HINDI WORK

5999. SHRI MOHAN LAL PIPIL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to bring posts created for Hindi work in the Central Secretariat into a common cadre; and

(b) if so, the outlines thereof and the time by which this cadre would be formed ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Yest Sir.

(b) The outline of the cadre is being discussed with the U.P.S.C. The cadre is expected to be formed shortly.

SPECIAL GRANTS TO "SAMACHAR"

6000. SHRI SHARAD YADAV : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether "Samachar" is passing through a financial crisis and whether in the near future it will be in a position to fulfil its financial obligations towards its employees and Government agencies such as overseas communications and Posts and Telegraphs Department;

(b) the total amount of special grants given by Government to "Samachar" so far in addition to regular grants;

(c) whether Government propose to continue to give such grants in near future; and

(d) whether Government propose to take any steps to put an end to financial irregularities in the "Samachar" ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The financial position of Samachar is to be assessed by the expert Committee appointed by Government to examine the future set up of news agencies in India. The report of the Committee is likely to be received shortly.

(b) During 1976-77 Government gave special grants amounting to Rs. 50 lakhs to Samachar to enable it to meet previous liabilities, current deficit and the increased expenditure on account of rise in the emoluments of employees.

(c) A decision on this would be taken in the light of the recommendation of the expert Committee.

(d) Government have at present no information regarding any financial irregularities in the Samachar.

रुग्ण एकक

6001. श्री ओ० वी० अलगेशन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रुग्ण औद्योगिक एककों की सूची का ब्यौरा क्या है जो सरकारी नियंत्र में लिये गये हैं और जो इस समय सरकारी प्रबन्धाधीन हैं;

(ख) इन एककों में कितनी पूंजी लगी है;

(ग) सरकार द्वारा इनका प्रबन्ध कार्य अपने अधीन लिये जाने के बाद इन एककों को हुए लाभ या हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन एककों में कितने लोग काम करते हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों की एक सूची जिसका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है संलग्न है। (अनुबन्ध)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—953/77]

(ख) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना

6002. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी योग्यता वाले कितने व्यक्तियों ने अब तक लघु उद्योग स्थापित किये हैं; और

(ख) यह उद्योग कितने क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं तथा ऐसे उद्योगों का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस): (क) 11 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पिछड़े जिलों में तकनीकी दृष्टि से अर्ह 1366 व्यक्तियों ने उद्योग स्थापित किये हैं।

(ख) इसमें शामिल क्षेत्रों के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी पिछड़े जिले आ गए हैं। 5 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे उद्योगों का वर्षिक पण्यावर्त 10.47 करोड़ रुपये है।

एसिस्टेंट ग्रेड की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा

6003. श्री मनोहर लाल सैनी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधीनस्थ सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा एसिस्टेंट ग्रेड की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा समाप्त कर दी गई है जब कि अन्य सभी विभागीय परीक्षायें नियमित रूप से ली जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परीक्षा फरवरी, 1977 में केवल रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सी० एस० एस० के कर्मचारियों के प्रति ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) (क) तथा (ख) डैस्क अधिकारी योजना के लागू/विस्तार किए जाने से सहायकों के पदों की संख्या में हुई कमी तथा प्रगति-रोध की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, उच्च श्रेणी लिपिकों की सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को समाप्त करते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित नियमों को अप्रैल, 1977 में संशोधित किया गया था ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान् ।

(घ) केवल रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के लिए परीक्षा, उक्त बोर्ड द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में ली गई थी कि चूंकि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों की सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए एक परीक्षा ली गई थी, इसलिए रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भी कम से कम एक परीक्षा ली जानी चाहिए । फिर भी, रेलवे बोर्ड द्वारा अपने भर्ती नियमों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार संशोधित करने के बारे में कार्रवाई कर ली गई है । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों के प्रति किसी भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

'डेसू' में बिजली की चोरी

6004. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डेसू' में प्रति वर्ष लगभग 50 लाख रुपए के मूल्य की बिजली की चोरी की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख) तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं और ये, बाद में, सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

गोआ, दमन और दीव के लिए राज्य सभा में स्थान

6005. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार संविधान में संशोधन करने का है ताकि गोआ, दमन और दीव के लिए राज्य सभा में एक स्थान का उपबन्ध किया जा सके ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

RAISING OF MEMORIALS OF FREEDOM FIGHTERS IN FOREIGN COUNTRIES

6006. SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the countries in which I.N.A. freedom fighters are remembered for the freedom struggle of India and whether Government propose to build memorials of Subhas Chandra Bose in such countries;

(b) if so, the time by which such memorials would be built; and

(c) if not, reasons therefor ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) to (c). I.N.A. freedom fighters are remembered for their role in various countries associated with India's struggle for independence. According to available information, a meeting of ex-I.N.A. personnel was held recently in Malaysia. There is no proposal under consideration for building memorials of Subhash Chandra Bose in any foreign country. But Government would respond sympathetically to any initiative that is taken in this regard by any foreign country.

GRANT OF SUNDAY OFF TO WORKERS OF PATAKHERA COAL MINES

6007. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the number of coal mines in the country where the workers are given normal Sunday off;

(b) whether Government propose to give normal Sunday off to the workers of the Patakhera Coal Mines under the Western Coal Field, Calcutta; and

(c) if so, by what time ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The number of Collieries in the public sector where Sunday is the normal day of rest is 294.

(b) In Patakhera Coal Mines belonging to Western Coalfields Ltd., Sunday is the normal day of rest.

(c) Does not arise.

राजस्थान में खातू स्थित शामजी के मन्दिर को जाने वाली पक्की सड़क

6008. श्री के० लकप्पा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खातू स्थित शामजी के मंदिर को, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान है, जाने के लिये चारों ओर से कोई पक्की सड़क नहीं है, जिससे मंदिर के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को अत्यधिक असुविधा और कठिनाई होती है,

(ख) क्या मंदिर तक जाने के लिये सड़क बनाने में राज्य सरकार की असफलता के बारे में उस क्षेत्र के लोग केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिये कोई धनराशि मंजूर की है अथवा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने के लिए राज्य सरकार को कोई निदेश दिये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वहां राज्य सड़क है जिसके अपेक्षित स्तर तक के विकास से राजस्थान सरकार संबंधित है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता ।

PRIVATE WORK DONE BY SENIOR OFFICERS OF PHOTO DIVISION UNIT

6009. SHRI MADAN TIWARI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the Senior Officer (including the Director and Deputy Director) of the Photo Division Unit of the Ministry got private work done on large scale during emergency and are still getting it done and show this entire work in the name of the Prime Minister's Secretariat whereas actually it does not belong to the Secretariat; and

(b) whether Government have conducted any enquiry in this matter, if so, the action taken by Government against such officers who have misused Government stationery and chemicals on large scales ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

हिमाचल प्रदेश के लिए टेलीविजन सुविधायें

6010. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए टेलीविजन सुविधायें नहीं दी गई हैं जैसी कि उत्तरी राज्यों में पंजाब, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली को दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक रिले केन्द्र शिमला हिल्स में और दूसरा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध करना संभव नहीं हुआ है ।

(ग) **और** (घ) कसौली में एक रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो जलंधर दूरदर्शन केन्द्र, जो अब निर्माणाधीन है, से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को रिले करेगा । यद्यपि यह परियोजना मूलतः पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जानी थी, किन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इसको छटी योजना के लिए स्थगित कर देना पड़ा । कसौली का रिले केन्द्र तैयार हो जाने पर, शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के भागों को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध रेगा ।

सेना में भर्ती

6011. श्री दुर्गा चन्द : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छः सात वर्ष पहले और ब्रिटिश काल में विभिन्न रेजीमेंटों में विभिन्न राज्यों की भर्ती का स्वरूप क्या था और उनकी प्रतिशतता कितनी कितनी थीं; और

(ख) इस समय परिवर्तित स्वरूप क्या है और इनकी प्रतिशतता कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) ब्रिटिश शासन काल में सेनाओं में भर्ती कुछ विशेष श्रेणियों जिन्हें बहादुर जाति (मार्शल क्लास) कहा जाता था और कतिपय पारम्परिक क्षेत्रों तक ही सीमित थी। स्वतन्त्रता के पश्चात, भर्ती के लिए उदार नीति अपनायी गयी और इसमें तथाकथित बहादुर जातियों से भिन्न अन्य जातियों और गैर-पारम्परिक क्षेत्रों के लोगों की भर्ती की शुरुआत की गयी। परिवर्तन धीरे-धीरे लागू किया गया और गत 8 से 10 वर्षों के दौरान स्थिति यह रही है कि एक ओर तो कतिपय रेजीमेंट अथवा उनके कुछ भागों को विशिष्ट श्रेणियों अथवा क्षेत्रों के आधार पर गठित किया गया है, वहीं अन्य रेजीमेंटों में सभी जातियों और क्षेत्रों के लोगों की भर्ती की जाती है। जहां रेजीमेंटों अथवा रेजीमेंटों के किसी भाग को विशिष्ट श्रेणी अथवा क्षेत्र के आधार पर गठित किया गया है, वहां ऐसी श्रेणियों अथवा जातियों और क्षेत्रों तक भर्ती सीमित है। सभी श्रेणी की रेजीमेंटों के मामले में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लोगों की भर्ती की जाती है, लेकिन इस भर्ती का आधार देश की भर्ती योग्य जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में सम्बद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र के भर्ती योग्य लोगों की संख्या के अनुसार तय की जाती है। तथापि, जब किसी विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र में वास्तविक भर्ती की संख्या इस प्रकार आवंटित अनुपात से नीचे चली जाती है तो उस कमी को अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से पूरा किया जाता है।

2. ब्रिटिश शासन काल में विभिन्न राज्यों से विभिन्न रेजीमेंटों में भर्ती किए गए लोगों के प्रतिशत के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

3. सेना में भर्ती का राज्यवार वर्तमान प्रतिशत और सात वर्ष पहले का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सात वर्ष (1969-70) प्रतिशत	इस समय प्रतिशत (1976-77)
1	2	3
पंजाब	16.3	14.3
जम्मू तथा कश्मीर	1.8	5.3
हरियाणा	8.9	9.0
हिमाचल प्रदेश	4.6	5.7
दिल्ली	0.8	1.0
उत्तर प्रदेश	15.1	17.7
बिहार	5.5	3.7
पश्चिम बंगाल	3.3	3.4
उड़ीसा	1.4	1.4

1	2	3
असम	3.9	1.2
अरुणाचल प्रदेश (नेफ़ा)	0.0	0.1
नागालैंड	0.1	0.2
मणिपुर	0.8	0.3
राजस्थान	6.8	8.3
मध्य प्रदेश	2.6	2.0
महाराष्ट्र	7.5	6.5
गुजरात	2.6	0.8
आध्र प्रदेश	4.0	3.4
तमिल नाडू	5.8	4.4
कर्नाटक (मैसूर)	2.6	2.2
केरल	5.5	3.8
मेघालय	0.0	0.2
मिज़ोरम	0.0	0.2
नेपाल/सिक्किम/भूटान	*	4.9
जोड़	100.0	100.0

नोट : * भर्ती/इन राज्यों में भर्ती को कुल भर्ती में सम्मिलित नहीं किया गया है।

आई० ई० एस० और आई० एस० एस० के अधिकारी

6012. **श्री वसन्त साठे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इक्नामिक एण्ड स्टेटिस्टिक्स में अनेक असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च आफ़िसर श्रेणी एक की 10-15 वर्ष की सेवा करने के बाद भी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के सेवा जीवन से तदर्थ आधार की स्थिति समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है और क्या सरकार का विचार ऐसे सभी अधिकारियों को स्थायी करने या नियमित करने के आदेश जारी करने का है, जो तदर्थ आधार पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं;

(ग) क्या सरकार ने तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे श्रेणी एक के अधिकारियों का दर्जा घटाकर श्रेणी दो पर लाने का निर्णय कर लिया है जैसी कि वेतन आयोग ने सिफ़ारिश की थी;

(घ) क्या आई० ई० एस० और आई० एस० एस० सेवाओं में इन अधिकारियों की पदोन्नति के विभागीय कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार का आई० ई० एस० और आई० एस० एस० की सेवाओं का विलय करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (घ): भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय साँख्यिकी सेवा के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने और उनकी पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाए जाने को ध्यान में रखते हुए, उक्त दो सेवाओं के ग्रेड IV की पुनर्संरचना करने के कुछ प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया था और वर्ष 1969-70 में कुछ अनन्तिम निर्णय लिए गए थे। चूंकि, इसी बीच में, तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन हो गया था, इसलिए यह निर्णय किया गया था कि कोई अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व, आयोग की सिफ़ारिशों की प्रतीक्षा की जाए। वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ दोनों सेवाओं के ग्रेडIV के बहुत से पदों की संवर्ग से अलग रखे जाने और उनका दर्जा घटाकर श्रेणी II कर देने की सिफ़ारिश की है। इन सिफ़ारिशों तथा असंवर्गीकृत पदों की पदधारियों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाए जाने जैसे अन्य सम्बद्ध मामलों पर सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है। ग्रेड-IV की पुनर्संरचना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिए जाने तक उस ग्रेड में सीधी भर्ती नियमों में विहित पूरी सीमा तक नहीं की जा रही है। ग्रेड IV की बहुत सी रिक्तियां समय-समय पर तदर्थ पदोन्नतियों के जरिए भरी गई हैं। ग्रेड IV की पुनर्संरचना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद, ये व्यवस्थाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

FUNCTIONING OF T.V. CENTRES

6013. SHRI MRITUNJAY PRASAD VARMA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the names of the places at which television centres are functioning and the area covered by each of these centres and the names of the centres from which besides black and white pictures coloured pictures are also telecast; and

(b) the parts and districts of Bihar which are successfully covered by television Centres indicating the names of the Centres and the area covered by each Centre ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The places where television centres are at present functioning and the area covered by each centre are given below :

Centre	Area covered
1. Delhi	4,300 Sq. Kms
2. Bombay	10,000 ,,
3. Poona	15,000 ,,
4. Srinagar	4,000 ,,
5. Amritsar	8,400 ,,
6. Calcutta	7,900 ,,
7. Madras	12,000 ,,
8. Lucknow	11,300 ,,
9. Jaipur	25,400 ,,
10. Raipur	5,000 ,,

No TV Centre transmits colour pictures.

(b) No part of Bihar is covered by the existing television centres. However a television centre is proposed to be commissioned at Muzaffarpur by the end of this year. Its coverage area will be 5,000 Sq. Km.

उड़ीसा सरकार द्वारा समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि

6014. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने विभागों के विभिन्न शीर्षों से प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य योजना परिव्यय से धन का नियतन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उप योजना क्षेत्रों में वर्ष 1976-77 के अन्त तक राज्य सरकार ने कितनी धनराशि पहले ही खर्च कर दी है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा कितनी सहायता दी गई है और राज्य सरकार ने अब तक कितनी राशि खर्च की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हाँ श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में राज्य योजना से 41.18 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है। वर्ष 1976-77 के लिए 20.13 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्यय का संकलन किया जा रहा है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम तीन वर्षों में उड़ीसा सरकार को 9.65 करोड़ रुपयों की धनराशि दी गई थी। वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान 3.10 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। 1976-77 में 3.60 करोड़ रुपये के व्यय के अस्थाई आकड़े दिए गए हैं जिस से पाचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में कुल 6.70 करोड़ रु० का व्यय हुआ।

सुनकी (कोरापुट) में सीमेंट का कारखाना

6015. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अम्पाबलि में प्राप्त चूना पत्थर के निक्षेप निकालने के लिये सुनकी (कोरापुट, उड़ीसा) में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या सिफ़ारिशें की हैं तथा सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े जिले में कारखाना स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार ने सुनकी (कोरापुट) उड़ीसा में एक सीमेन्ट का कारखाना या तो सरकारी क्षेत्र में या राज्य औद्योगिक विकास निगम और सीमेन्ट कारपोरेशन आफ़ इंडिया के तत्वावधान में अथवा संयुक्त उद्यम क्षेत्र में स्थापित किए जाने का अनुरोध किया था। सीमेन्ट कारपोरेशन आफ़ इंडिया का मत था कि अम्पावल्ली स्थित चूना पत्थर का निक्षेप

विभिन्न (कम ज्यादा) ग्रेड का है तथा अस्त-व्यस्त है। इन निक्षेपों की विस्तृत जांच करना पड़ेगी। वित्तीय तथा प्रबन्धकीय अवरोधों के कारण सीमेंट कारपोरेशन आफ़ इंडिया पांचवी योजनावधि में इस परियोजना को हाथ में लेने की स्थिति में नहीं था। किन्तु राज्य सरकार को राज्य क्षेत्र में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित किये जाने की संभावना पर विचार करने का परामर्श दिया गया था।

आसनसोल रानीगंज कोयला क्षत्र में सूखे की स्थिति

6016. श्री बिनय सेन : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत गर्मी के दौरान, जब आसनसोल रानीगंज कोयला क्षेत्र में सूखे की स्थिति थी, ईस्टर्न कोल फ़ील्ड्स लिमिटेड द्वारा कितने और किन-किन गावों के सूखे तालाबों में पानी भरा गया था ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन : 1977 की गर्मियों में ईस्टर्न कोल फ़ील्ड्स लि० द्वारा आसनसोल रानीगंज कोयला पट्टी के भीतर 33 गावों के 37 तालाबों में पानी भरा गया। गावों के नाम तथा तालाबों की संख्या सभा पटल पर रखे गए विवरण में हैं।

विवरण

गावों के नाम	तालाबों की संख्या
1. कुवारडीह	1
2. डामरा	2
3. चिलोट	1
4. शिबडंगा	1
5. चांदा	1
6. निंगा	2
7. कनक्याया	1
8. श्रीपुर	3
9. जमुरिया	1
10. मादलपुर	1
11. शंकरपुर	1
12. बेलापहाड़ी	1
13. सियरसोल	1
14. केंदरा	1
15. धनदाडीह	1
16. कटगोरिया	1
17. बंसरा	1
18. सतग्राम	1
19. चिलोड़	1
20. हरबंगा	1

गाँवों के नाम	तालाबों की संख्या
21. चलबलपुर	1
22. चपुई	1
23. कुमारडीह	1
24. श्यामसुन्दरपुर	1
25. नबग्राम	1
26. मेथानी	1
27. रघुनाथबट्टी	1
28. अलडीह	1
29. माउथडीह	1
30. राधानगर	1
31. नारायणपुर	1
32. भामुरिया	1
33. जगतडीह	1
कुल	37

COMPULSORY USE OF HELMET

6017. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) who mooted the idea of compulsory use of helmet for motor cyclists or scooterists in Delhi:

(b) whether this has been recommended by any Committee and if so, the name thereof;

(c) whether Government are aware of adverse effects on health by wearing helmets;

(d) if so, whether complaints of giddiness and hard of hearing after sometime have been found to be true;

(e) whether Government will constitute a committee of experts on health and traffic and reconsider the decision in the light of their recommendations; and

(f) if so, by what time ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b) The Central Road Research Institute New Delhi, as a result of the study they conducted into fatal accidents on the road suggested the compulsory use of helmets. The Study Group on Road Safety, appointed by the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport also recommended to the some effect.

(c) and (d) No complaint to this effect has been received by Government in regard to the adverse effect of wearing helmets on the health of the persons concerned from Tamil Nadu, Chandigarh or Delhi where compulsion is in force. However, the need for ensuring free circulation of air in these helmets has been brought out. The question of providing holes in the helmets to allow air to pass has been taken up with the manufacturers of helmets.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

SETTING UP OF RADIO STATIONS IN BORDER AREAS

6018. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to set up Radio Stations in border areas; and

(b) if so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

(b) New radio stations to extend/improve broadcast coverage in the border areas are being set up at Najibabad (Uttar Pradesh), Suratgarh (Rajasthan) and Itanagar (Arunachal Pradesh). In addition, the existing All India Radio stations at Srinagar (Jammu and Kashmir), Shillong (Meghalaya) and Aizwal (Mizoram) are being strengthened by installation of higher power transmitters.

उड़ीसा के लिए योजनाओं की स्वीकृति

6019. श्री के० प्रधानी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य की कितनी योजनाओं को योजना आयोग द्वारा अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है;

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इन योजनाओं के बारे में निर्णय कब तक लिया जायगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) पुरी से कोणार्क तक 31 किलो मीटर लम्बी मैरीन ड्राइव सड़क बनाने से संबंधित परियोजना, जिसकी लागत 1.20 करोड़ रुपए है, के अतिरिक्त और कोई परियोजना उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग को अनुमोदन के लिए नहीं भेजी है। योजना आयोग ने इस परियोजना की जांच की है और राज्य सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि वह इस परियोजना को छठी योजना तक स्थगित कर दें क्योंकि पहले ही काफी अधिक जारी स्कीमें राज्य सरकार ने चला रखी हैं।

CENTRAL ADVISORY BOARD FOR SALT

6020. SHRI CHAUDHARY MOTIBHAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the names of members in the Central Advisory Board for Salt along with the location of headquarters; and

(b) the names of members of the Regional Advisory Board for Salt for Gujarat region along with the location of its headquarters ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b) At present the Central Advisory Board and the Regional Advisory Boards for salt are not

in existence. The question of re-constitution of these Boards is under consideration of Government. The Boards, as such, have no specified 'headquarters'. However, secretarial assistance for the Central Salt Board is provided by the Office of the Salt Commissioner at Jaipur, and for the Regional Advisory Boards, by the Officers of the Deputy/Assistant Salt Commissioners having jurisdiction.

भूतपूर्व मंत्रियों के सम्बद्ध स्टाफ

6021. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के लोक सभा चुनाव के तत्काल पूर्व पिछली सरकार में केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के साथ सम्बद्ध स्पेशल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी/प्राइवेट असिस्टेंट के के नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितनों को (एक) वर्तमान सरकार में नए मंत्रियों ने अपने यहां रख लिया है और वे किन मंत्रियों से सम्बद्ध हैं तथा उनके पदनाम क्या हैं; (दो) छुट्टी पर जाने की अनुमति दी गई है; प्रत्येक को कितनी छुट्टी दी गई हैं तथा उनको छुट्टी देने क्या कारण है; (तीन) वापिस उनके मूल कार्यालय में भेज दिया है; और

(ग) उनमें से ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो छुट्टी पर चले गए हैं अथवा जिन्हें अपने मूल कार्यालय में वापस भेज दिया गया है परन्तु जिन्हें अभी सरकारी खर्च पर टेलीफोन तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं और उनकी ऐसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

NEW INFANTRY DIVISION IN KOTA

6022. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether a new infantry division is being raised in Kota, Rajasthan and whether the land purchased for the proposed infantry division from the former ruler of Kota was likely to convert under the Urban Land Ceiling Act;

(b) whether the location selected for the infantry division is in the crowded city area and is situated on the road side between the city and the Railway station and is also not suitable from the security point of view; and

(c) whether Government would consider shifting the site of the proposed infantry division to site on Kota dam road and if so, the details thereof.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) For meeting the requirements of Army at Kota, additional land was required and the land belonging to the ex-ruler of Kota was selected. The question whether this land would vest in the Government of Rajasthan under the Urban Ceiling Act or the Land Reform Act is being examined by

that Government. In the meantime, on the request of the Government of India, the Government of Rajasthan requisitioned the site in September 1976 under the Defence and Internal Security of India Act and Rules.

(b) The location selected is inside Kota city but falls between two areas already held by the Army. The Government of Rajasthan had offered alternative sites and after considering all aspects, including security angle, this site was selected. One advantage of this site is that this links the two separate parts of military area into homogenous and contiguous cantonment, resulting in saving in development costs and facilitating command, control, discipline and security.

(c) The site at Kota Dam was one of the sites considered but was not found suitable. The question of shifting to this site, therefore, does not arise.

RESTORATION OF SAMBHAR LAKE TO RAJASTHAN

6023. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government of Rajasthan have asked the Central Government to restore Sambhar lake to them, so that nearby area of this lake is developed properly for speedy development of industries based on salt; and

(b) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b) The State Government of Rajasthan had written to the Central Government in September 1974 to consider the transfer of Sambhar Salt source to the State Government. It was then pointed out to the State Government that in view of the facts that Salt is a Union subject and the ownership of the Sambhar Salt source was vested with the Central Government in terms of the Krishnamachari Award of April 1961, no change in the existing set-up was called for.

PRICE OF GLASS

6024. SHRI CHAUDHARY MOTIBHAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware that glass industry has considerably increased the prices of glass after the emergency;

(b) whether he has received a memorandum from Gujarat Glass Co-operative Society in this regard; and

(c) the measures proposed to be taken by Government to bring down the increased prices of glass ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) A statement showing the variations in the index of wholesale prices month-wise, from June 1976 to June 1977, is attached. It will be seen therefrom that the prices of glass and glass products declined between June 1976 to December 1976. Between December 1976 and June 1977, there has been a gradual recovery, even though the prices in June 1977 are still below the levels of June 1976.

(b) Yes, Sir. The GujaratGlass Co-operative Society has represented against the increase in prices of sheet glass, figured glass and wired glass.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Index Number of Wholesale Price

(Base year 1970-71=100)

COMMODITIES	MONTHLY AVERAGES												
	June 76	July 76	Aug. 76	Sept. 76	Oct. 76	Nov. 76	Dec. 76	Jan. 77	Feb. 77	March 77	April 77	May 77	June 77
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GLASS AND GLASS PRODUCTS	212·0	217·8	216·8	197·4	190·5	189·6	189·3	189·8	190·0	189·8	190·5	198·8	194·5
1. Sheet Glass	249·3	249·3	249·3	200·0	183 6	182·3	181·0	182·7	181·0	183·1	184·8	206·0	195·0
2. Tumblers	164·1	161·2	161·2	162·0	162·0	162·0	162·3	162·3	162·3	162·3	162·3	162·3	162·3
3. Bangles	209·6	209·6	209·6	208·4	205·5	202·3	203·9	204·2	205·2	204·7	204·7	204·5	204. 7
4. Vaccum Flask .	166·2	166·2	166·2	166·2	166·2	166·2	166·2	166·2	166·2	166·2	166·2	166·2	166·2
5. Glass Bottles & Jars . . .	205·0	207·2	204·2	203·9	203·9	203·9	203·9	203·5	202·8	202·8	202·8	202·8	202·8

हस्तनिर्मित माचिस पर बिक्री कर

6025. श्री के० प्रधानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में हस्तनिर्मित माचिसों पर बिक्री कर लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिक्री कर के लगाये जाने से हस्तनिर्मित माचिस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ता की वस्तुओं पर लगाया गया यह बिक्री कर समाप्त करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां श्रीमान् । मशीन से बनी तथा हाथ से बनी, दोनों दियासलाइयों पर 21-10-75 से दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के अधीन बिक्री-कर लगाया गया है ।

(ख) हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पड़ौसी राज्यों में और दूसरे अधिकांश राज्यों में भी हाथ से बनी दियासलाइयों समेत दियासलाइयों की बिक्री पर कर है । लोक सभा की प्रवर समिति, जिसने दिल्ली बिक्री कर विधेयक, 1973 पर विचार किया था की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रथम अवस्था पर इन पर 21-10-75 से 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया था ।

(ग) तथा (घ) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । किन्तु सरकार दिल्ली में हाथ से बनी दियासलाइयों पर बिक्री कर लगाने से छूट देने पर विचार कर रही है । पड़ौसी राज्यों को भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए सलाह देने का प्रस्ताव है ।

3 अगस्त, 1977 को होने वाली सदन की बैठक के लिए इल्मेनाइट का निर्यात

6026. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इल्मेनाइट, जो टिटेनियम धातु का अयस्क है, महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले में पूर्नागड से मालगुण्ड तक की 40 किलोमीटर लम्बी पट्टी में उपलब्ध है और यह इल्मेनाइट सर्वश्रेष्ठ किस्म का है;

(ख) क्या वर्ष 1954 में मै० रुइया और मै० फतेहचन्द जयसिंह ने 150 करोड़ मीट्रिक टन इल्मेनाइट का मालगुण्ड से जापान निर्यात किया था;

(ग) क्या जापान मालगुण्ड स्थल के इल्मेनाइट को खरीदना चाहता था, परन्तु भारत सरकार ने निर्यात की अनुमति नहीं दी और तब से निर्यात बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या अनेक पार्टियां इल्मेनाइट का निर्यात करने के लिए तैयार हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1954-55 और 1959-60 में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने महाराष्ट्र में रत्नगिरि जिले के तटवर्ती क्षेत्रों के कुछ इलाकों का सर्वेक्षण परमाणु खनिजों का पता लगाने के लिए किया था। वर्ष 1954-55 में किए गये सर्वेक्षण से पता चला था कि उन इलाकों में इल्मेनाइट खनिज किसी-किसी स्थान पर ही विद्यमान है, पूरे तट के साथ-साथ नहीं। वर्ष 1959-60 में इस क्षेत्र से परमाणु खनिजों के जो नमूने इकट्ठे किए गए थे उनमें इल्मेनाइट की मात्रा 26 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक थी। महाराष्ट्र सरकार के नागपुर स्थित भू-विज्ञान एवं खनन निदेशालय ने भी वर्ष 1970-71 से वर्ष 1973-74 तक की क्षेत्र-अवधियों के दौरान इस प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों का अन्वेषण किया था जहां इल्मेनाइट पाया जाता है तथा उस समय किए गये विश्लेषणात्मक परीक्षणों से पता चला था कि रत्नगिरि जिले में मिलने वाला इल्मेनाइट निम्न ग्रेड से औसत ग्रेड तक का है।

(ख) सरकार को मालूम है कि इल्मेनाइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किए गये नियामक आदेशों से पहले, प्राइवेट पार्टियों द्वारा तटवर्ती क्षेत्र की रेत का निर्यात बड़ी मात्रा में किया जाता रहा था, लेकिन इस बारे में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है कि जिन पार्टियों के नाम लिए गये हैं उन्होंने इस क्षेत्र से इल्मेनाइट की उल्लिखित मात्रा का निर्यात किया था।

(ग) सरकार को इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि जापान ने यदा-कदा पूछताछ करने के अलावा मालगुंड क्षेत्र का इल्मेनाइट खरीदने की इच्छा व्यक्त की हो। जापान को इल्मेनाइट का निर्यात बंद नहीं किया गया है। इसके विपरीत, भारत द्वारा केरल और तमिल नाडु के पश्चिमी तट पर मिलने वाली रेत से निकाले गये इल्मेनाइट का निर्यात अन्य देशों को, जिनमें जापान भी शामिल है, बड़े पैमाने पर जारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रत्नगिरि के समुद्र तट की रेत में इल्मेनाइट की मात्रा कम होती है उससे इल्मेनाइट निकालना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रत्नगिरि में मिलने वाले इल्मेनाइट में मैंगनीज और क्रोमियम का अंश अधिक रहता है, जिसकी वजह से उसका उपयोग उद्योगों में करना कठिन हो जाता है।

(घ) यह सच है कि कुछ प्राइवेट पार्टियों ने मालगुंड क्षेत्र के आस-पास मिलने वाले इल्मेनाइट में अपनी रुचि जाहिर की है, लेकिन सरकार ने किसी को कोई खनन-पट्टा नहीं दिया है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा (उत्पादन-नियंत्रण एवम् उपयोग) आदेश, 1953 में अनुसूचित खनिजों को, जिनमें इल्मेनाइट भी शामिल है, निकालने का काम केवल सरकार ही कर सकती है।

CONSTRUCTION OF RURAL ROADS

6027. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state whether Government propose to set up a separate Rural Road Construction Corporation on the lines of Rural Electrification Corporation for construction of rural roads and thus introduce a nation-wide scheme ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : Rural Roads are a State responsibility and it would be for the State Governments to set up a Corporation if they so decide.

दिल्ली में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पुलिस अधिकारी

6028. **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में उप-पुलिस अधीक्षक (सब डिवीजनल पुलिस आफिसर) इन्सपैक्टर, सब इन्सपैक्टर, सहायक सब इन्सपैक्टर, हैड कांस्टेबल तथा कांस्टेबलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से श्रेणीवार अलग-अलग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और आरक्षित कोटे के पिछले रिक्त पदों को कब भरा जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) दिल्ली पुलिस में 88 उप-पुलिस अधीक्षक (इनमें से 19 सब डिवीजनल पुलिस अफसर नियुक्त हैं) 306 निरीक्षक, 1720 उप-निरीक्षक, 1448 सहायक उप-निरीक्षक, 4003 हैड कांस्टेबल और 13732 कांस्टेबल हैं।

(ख) एक उप-पुलिस अधीक्षक, 20 निरीक्षक, 132 उप-निरीक्षक, 71 सहायक उप-निरीक्षक, 366 हैड कांस्टेबल और 1708 कांस्टेबल अनुसूचित जातियों के हैं जबकि 25 उप-निरीक्षक, 2 सहायक उप-निरीक्षक, 25 हैड कांस्टेबल और 164 कांस्टेबल अनुसूचित जनजातियों के हैं।

(ग) भरसक प्रयत्नों के बावजूद और मानकों में छूट देने के बाद भी उपयुक्त उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया जा सका। नियमों के अधीन स्वीकार्य सभी छूट दी जा रही है। यह सुनिश्चित करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है कि इस कमी को निकट-भविष्य में पूरा किया जाये।

HOLIDAYS TO DELHI POLICE EMPLOYEES

6029. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Government employees are given holidays on Sundays and national festivals;

(b) if so, the reasons why the Delhi Police employees are not given these holidays; and

(c) the number of holidays proposed to be given to them in lieu thereof and if no holidays are to be given to them whether they would be paid additional salary in lieu thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Generally Government employees working in Central Government offices doing work of a Secretariat nature work for six days in a week (other than Sundays) except the second Saturday in the month. In addition, they are eligible to 16 holidays in a year which includes three national holidays. However, employees engaged in operational duties are allowed lesser number of holidays.

(b) and c) By the very nature of their duties, the work of the police force has to be organised on a rotation basis and round the clock so that they become constantly available to the public. As such, it is not possible to allow them to avail of every Sunday and national holiday. However, their prescribed hours of work are not more than for other Government employees and whenever exigencies of service require them to do duty beyond the prescribed hours, the ASIs, Head Constables and Constables are paid food allowance under the rules. Within the constraint of resources, every effort is being made to ensure that increasingly more and more police personnel get a weekly day off.

मेघालय में उद्योग

6030. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कितने बड़े और मध्यम उद्योग हैं;

(ख) क्या सरकार इस वर्ष मेघालय में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत किसी बड़े/मध्यम क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है वे कहां स्थापित किये जायेंगे तथा क्या उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) एक भी नहीं। किन्तु मेघालय में संयुक्त क्षेत्र में निम्नलिखित बड़े और मझौले उद्योग चल रहे हैं :--

1. चेरापूंजी सीमेन्ट कारखाना
2. कोमोरा लाइम स्टोन लि०
3. मेघालय एसेन्सियल आयल्स एण्ड केमिकल्स लि०
4. मेघालय फिटो केमिकल्स लि०

(ख) और (ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु राज्य सरकार का एक उपक्रम मेघालय औद्योगिक विकास निगम राज्य में अन्य पार्टियों के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं स्थापित करने का विचार कर रहा है :--

1. जूट मिल
2. कैल्शियम कार्बाइड परियोजना
3. वेल्डेड वायर मेस परियोजना
4. कैन्ड मीट परियोजना
5. फलपरिष्करण परियोजना
6. एसवेस्टस सीमेन्ट शीट परियोजना
7. मिनी पेपर संयन्त्रण
8. वाइयोगैस एवं उर्वरक परियोजना
9. जयन्तिया सीमेन्ट परियोजना
10. वीवेल्ट एण्ड फैनवेल्ट परियोजना
11. सीमेन्ट क्लिंकर परियोजना

12. एसिटोलोन ब्लैक परियोजना

13. सैक क्रैफ्ट एण्ड इन्सुलेशन पेपर परियोजना

इन परियोजनाओं के स्थापना स्थल सम्बन्धी विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है।

सीजू (मेघालय) में सीमेंट क्लिकर परियोजना

6031. श्री पी० ए० संगमा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में सीजू में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक सीमेंट क्लिकर परियोजना की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांनडिस) : (क) जी, हां।

(ख) मेघालय औद्योगिक विकास निगम को जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है गारो पहाड़ियों के सीजू सांगमांग और सीजू आर्टिका ग्रामों के बीच चूना पत्थरों के उपलब्ध भंडारों के आधार पर प्रतिवर्ष 4 लाख मी० टन सीमेंट क्लिकर का उत्पादन करने के लिये जुलाई 1974 में दो वर्ष की वैधता वाला एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया था। उत्पाद के एक भाग का बंगला देश को संभरण किया जाना था। निगम के अनुरोध पर परियोजना क्रियान्वित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस से की वैधता अवधि 1 वर्ष अर्थात् 30–7–1977 तक के लिये बढ़ाई गई थी और समय बढ़ाने के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

मेघालय में तुरा में रेडियो स्टेशन

6032. श्री पी० ए० संगमा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय में तुरा में रेडियो स्टेशन खोलने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी हां।

(ख) तुरा में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये प्रावधान पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप की मूल योजनाओं में शामिल किया गया था। तथापि, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस प्रावधान को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूपांतर में नहीं रखा जा सका। इस क्षेत्र का वहां रेडियो स्टेशन स्थापित करने की संभाव्यता का पता करने की दृष्टि से सर्वेक्षण किया गया है। तुरा में मीडियम वेव ट्रांसमीटरों के संचालन के लिये फ्रीक्वेन्सियों का अंतर्राष्ट्रीय रूप से समन्वय भी कर लिया गया है। इसको छठी योजना के प्रस्तावों में शामिल करने का प्रयास किया जायेगा।

PLAN FOR HILL AREAS

6033. SHRI BALAK RAM : Will the Minster of PLANNING be pleased to state :

(a) whether there is a need for plan different from the plans prepared for the plains in the country for agricultural and industrial development of hill areas from geographical and climatic point of view; and

(b) if so, the details of such a plan and the extent to which Himachal Pradesh benefited therefrom ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DEAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government having hill areas or States which are entirely hilly, have been urged that while formulating Agricultural and other development programmes, they should take into consideration the specific physio-geographic conditions, resource endowments, infrastructure network, etc. of the region falling within their jurisdiction.

The main objectives are to intensify development of agriculture, horticulture, forestry and soil conservation. To accelerate the development of agricultural and tertiary sectors of the economy, basic infrastructure of power, irrigation, roads, marketing and credit facilities are strengthened. Emphasis is also laid on programmes relating to elementary education, drinking water supply, rural roads, rural health, etc. to reduce/eliminate wide disparities.

The pattern of Central Assistance is more liberal for Hill States. Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir also benefit from this pattern.

States which are partly hilly prepare separate sub-Plans for their hill areas in consonance with the local topographical, agro-climatic conditions and resources. Special Central Assistance is provided to supplement their efforts to implement these sub-Plans.

T. V. CENTRE AT SIMLA OR KASAULI

6034. SHRI BALAK RAM : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the people and the Government of Himachal Pradesh have strongly demanded that a T.V. Centre should be set up at Simla or Kasauli for the far-flung areas of the State;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the guidelines to be followed in setting up a T.V. Centre ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

(b) A T.V. Relay Centre is proposed to be set up at Kasauli during the Sixth Five Year Plan.

(c) Widest possible coverage consistent with technical feasibility and financial resources are the guidelines followed in setting up a T.V. Centre.

तिहाड़ जेल में 'मीसा' बंदियों को परिवार भत्ता

6035. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल में ऐसे राजनीतिक 'मीसा' बंदी कितने थे जो आपात स्थिति के दौरान परिवार भरण पोषण भत्ते के लिये उच्च न्यायालय में गये और अथवा जिन्होंने सरकार को अनुरोध किया ;

(ख) कितने बंदियों को परिवार भत्ता नहीं दिया गया और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली के ऐसे भूतपूर्व 'मीसा बंदियों' को परिवार भत्ता अदा करने का है जो अपने परिवार के लिये एकमात्र कमाई करने वाले व्यक्ति थे और जिन्हें पहले परिवार भत्ते नहीं दिये गये; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) 84।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 मामलों में परिवार भत्ता स्वीकृत किया गया है। शेष मामलों की वे छानबीन कर रहे हैं और शीघ्र ही उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा में बहाली

6036. श्री रामानन्द तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी कितने हैं और उनका ब्योरा क्या है जिन्हें आपात स्थिति के दौरान 'मीसा' में बंद कर दिया गया था और उनकी नजरबंदी के क्या कारण थे;

(ख) जब वे नजरबंद थे तो उनमें से कितने व्यक्तियों को सेवा से बर्खास्त किया गया/हटाया गया और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बीच उन सभी को सेवा में बहाल कर दिया गया है और उन्हें उनकी देय राशि अदा कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक सेवा में बहाल कर दिया जाएगा तथा उनकी सेवा में कोई व्यवधान डाले बिना अथवा उन्हें ड्यूटी पर मानते हुए उनकी देय राशि कब तक अदा की जायेगी; और

(ङ) क्या उन्हें समूची अवधि के लिये सेवा में व्यवधान डाले बिना पूरा वेतन दिया जायेगा, यदि हां, तो कब?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में 'मीसा' के अधीन निम्नलिखित कारणों से बन्द किया गया था :—

1. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ संबंध	1
2. आनन्द मार्ग के साथ संबंध	1
3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) के साथ संबंध	3
4. जासूसी	1
5. लोक व्यवस्था के प्रतिकूल गतिविधियां	6
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तथा कदाचार	10
7. अवैध विदेशी मुद्रा विनिमय गतिविधियां	1

(ख) से (ङ) सरकार ने निर्णय ले लिया है तथा इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं कि उन सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को तुरन्त सेवा में बहाल कर दिया जाए जिनको मीसा के अधीन नजरबन्द किया गया था अथवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमात-ए-इस्लामी, आनन्द मार्ग, कम्युनिस्ट पार्टी (मा० ले०) तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) की गतिविधियों में उनके भाग लेने के कारण आपात स्थिति के दौरान सेवा से हटाया गया/बर्खास्त किया गया था। सेवा से हटाए जाने की तारीख तथा सेवा में बहाल होने की तारीख के बीच की अवधि तथा उस अवधि को, जिसके दौरान सरकारी कर्मचारी 'मीसा' के अधीन अपनी नजरबन्दी के कारण निलंबित रहा, वेतन वृद्धि तथा पेंशन

के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर समझा जाना चाहिए और उसे वेतन के 50%के बराबर ऐसी अवधि के लिये निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।

जासूसी तथा अन्य आपत्तिजनक तथा अवैध गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों को सेवा में बहाल नहीं किया जायेगा।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में भर्त्ती की पद्धति

6037. **श्री रोबिन सेन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में भर्ती के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्योरा क्या है जिसके बारे में बताया गया है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की प्रक्रिया अपनाती है ;

(ख) वर्ष 1977 में आसनसोल सीतावनपुर, रविगंज के रोजगार कार्यालय के माध्यम से कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया और कितने श्रमिक भर्ती किये गये और उन श्रमिकों और कर्मचारियों की श्रेणी क्या है तथा उन्हें किन-किन कोयला खानों में भर्ती किया गया; और

(ग) वर्ष 1977 में कितने कर्मचारी और श्रमिक सीधे भर्ती किये गये और उनकी श्रेणियां क्या हैं तथा किन-किन कोयला खानों में भर्ती किये गये ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोआ में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

6038. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया है और उनके पुनर्वास का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या गोआ भूतपूर्व सैनिक संगठन (एक्स सर्विसमैन एसोसियेशन आफ गोआ) से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) गोआ में सभी भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पहली जनवरी, 1974 से, 65 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार दिया गया है। जिन भूतपूर्व सैनिकों के लिये अन्य प्रकार से पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) संघ शासित क्षेत्र गोआ में बसाए गए भूतपूर्व सैनिकों सहित, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) संघ शासित क्षेत्र गोआ में केन्द्र सरकार के कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के रिक्त स्थानों में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में 20 प्रतिशत तक का आरक्षण और संघ शासित क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के रिक्त स्थानों में $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी में $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आरक्षण।

(2) संघ शासित क्षेत्र सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिये तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी में 20 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया गया है।

(3) जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में और अन्य स्थानों पर विभिन्न ट्रेडों और व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की योजना है ।

गोआ में दूरदर्शन केन्द्र

6039. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिये, गोआ, दमन और दियु सरकार से या किसी अन्य दल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किससे और यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था;

(ग) इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है; और

(घ) इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) से (ग) जी, हां। गोआ के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि डाक तार विभाग द्वारा बम्बई और गोआ के बीच स्थापित किये जा रहे माइक्रोवेवलिंक का उपयोग करके बम्बई दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रम रिले करने के लिये गोआ में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया जाये। इस प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि गोआ में एक दूरदर्शन पुनः प्रसारण ट्रांसमीटर स्थापित करना तकनीकी रूप से संभव है। तथापि, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सरकार इस परियोजना को हाथ में नहीं ले सकी। यह स्थिति मुख्य-मंत्री को स्पष्ट कर दी गई है।

(घ) छठी योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजना तैयार करते समय उक्त प्रस्ताव को ध्यान में रखा जायेगा।

गोआ की गौंडा और कुम्बी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव

6040. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें "गौंडा" और "कुम्बी' जाति अथवा उस क्षेत्र के लोगों के किसी अन्य वर्ग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को कहा गया हो अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभ ऐसी किसी जाति अथवा वर्ग को देने को कहा गया हो; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का विशेष स्वरूप क्या है ? और वे कब प्राप्त हुए थे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) जब संघ शासित क्षेत्र के संबंध में संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां निर्दिष्ट की गई थीं तब गोआ, दमन और दीव के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। "कुम्बी" और "गौंडा" जातियों

अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना जाने के लिये पात्र नहीं पाई गई थीं। गोआ, दमन और दीव सरकार से और कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

दूरदर्शन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

6041. **श्री भगवत दयाल शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कर्मचारियों को जनवरी, 1976 से अब तक टेक्नीकल स्टाफ तथा प्रोग्राम स्टाफ को पृथक पृथक भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जनवरी, 1976 से अब तक दूरदर्शन के (1) तकनीकी कर्मचारियों तथा (2) कार्यक्रम कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में क्रमश: 4,46,259.55 रुपए और 1,12,599.45 रुपए की राशि दी गई।

(ख) सभी दूरदर्शन केन्द्रों में प्रचालन-कर्मचारियों की बहुत कमी है। शुरू में प्रत्येक केन्द्र के लिये कर्मचारी तदर्थ आधार पर मंजूर किये गये थे। उसके बाद प्रेषण समय के बढ़ने और "साइट" तथा 'साइट' उत्तरवर्ती दूरदर्शन सेवा के लिये पहले ही कार्यक्रम तैयार करने, आदि के कारण काम बहुत बढ़ गया है, परन्तु स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा स्टाफिंग पैटर्न को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण अतिरिक्त स्टाफ मंजूर नहीं किया जा सका। स्टाफ निरीक्षण यूनिट ने, जिसने अपना अध्ययन इस बीच पूरा कर लिया है, दूरदर्शन में 13 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी पाई है।

राज्यों में मारे गए हरिजन

6042. **श्री रशीद मसूद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में कुल कितने हरिजन मारे गए हैं ;

(ख) कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया है ;

(ग) सवर्ण जाति के कितने लोगों को उनमें अभियुक्त बनाया गया है;

(घ) कितने अभियुक्तों का अपराध सिद्ध हुआ है; और

(ङ) हरिजनों को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहने के लिये कितने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत कोकिंग कोल लि० के सुरक्षा बल द्वारा सिजुआ में हरिजनों और कर्मचारियों पर गोली चलाया जाना

6043. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में सिजुआ, धनबाद (बिहार) में भारत कोकिंग कोल लि० के सुरक्षा दल द्वारा चलाई गई गोलीबारी में मृत अथवा घायल सभी व्यक्ति हरिजन थे और भारत कोकिंग कोल लि० के कर्मचारी थे और यदि हां, तो उनके नामों और अन्य जानकारी का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या गोलीबारी के बारे में नियुक्त जांच आयोग ने गोलीबारी को अनुचित घोषित किया था और इसके लिय भारत कोकिंग कोल लि० के प्रबंधकों को दोषी ठहराया था; और

(ग) यदि हां, तो (i) गोली चलाए जाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और (ii) पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को रोजगार और धन के रूप में क्या मुआवजा दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा 15 नवम्बर, 1973 को (1974 को नहीं) सिजुआ में भा० को० को० लि० के कामगारों की एक भीड़ पर गोली चलाई गई जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति मारे गये थे :—

1. श्री सोमार भुइयां, (2) श्री पतरोनी भुइयां 3. श्री जगदीश रविदास, 4. श्री रामेश्वर भुइयां, 5. श्री चूल्हन भुइयां, 6. श्री शिव तिवारी।

निम्नलिखित व्यक्ति घायल हुए :—

1. श्री छोटन भुइयां, 2. श्री कासिम मियां, 3. श्री पंछूदास, 4. श्री बद्री सिंह, 5. श्री दशरथ दास, 6. श्री जयराम गोप, 7. श्री श्याम भुइयां, 8. श्रीमती मूंगिया भुइयानी, 9. श्रीमती रूक्मिणी राजबारियान।

मारे गये व्यक्तियों में से श्री शिव तिवारी को छोड़कर सभी हरिजन थे तथा घायल व्यक्तियों में श्री कासिम मियां, श्री बद्री सिंह तथा श्री जयराम गोप हरिजन नहीं थे शेष सभी हरिजन थे। मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों में से श्री शिव तिवारी को छोड़कर सभी भा० का० को० लि० के कर्मचारी थे।

(ख) व (ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा गोली चलाए जाने की जांच आयोग ने अनुचित बताया है। जब तक आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध हो तब तक भा० को० को० लि० में के० औ० सु० दल के तत्कालीन कमांडेंट जिनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि 24-9-1974 को समाप्त हो गयी थी, सेवा में नहीं रहे थे अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। उस समय के के० औ० सु० दल के सहायक कमांडेंट को उनके इंस्पेक्टर के स्थायी पद पर पदावनत कर दिया गया था। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई थी किन्तु यह कार्यवाही, पुलिस द्वारा उनके खिलाफ अविवेकपूर्ण तथा अत्याधिक गोलीबारी के लिये दर्ज मामले के फैसले तक स्थगित रखी गई है।

हताहत व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा गैर सरकारी विमान का उपयोग

6044. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल के चुनाव अभियान में व्यापार-गृहों के निजी विमानों का उपयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके लिये भुगतान करने की शर्तें क्या थीं; तथा उसका भुगतान जनता पार्टी ने किया या सरकार ने;

(ग) क्या चुनाव अभियान के दौरान सरकार ने प्रधान मंत्री की सुरक्षा, परिवहन, भोजन और आवास आदि पर कोई खर्च किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री जी ने हाल की गैर सरकारी यात्राओं के दौरान, निम्नलिखित क्षेत्रों में निजी विमान का उपयोग किया था :—

17–5–77	मद्रास––मदुरई
	मदुरई––तिरुची
	तिरुची––मद्रास
18–5–77	क्वायंबटूर––मद्रास
26–5–77	नई दिल्ली––झांसी
	झांसी––आगरा
	आगरा––बरेली
	बरेली––सरसवा
	सरसवा––नई दिल्ली
3–6–77	मद्रास––तिरूची
4–6–77	त्रिवेंद्रम––मद्रास

यह विमान जनता पार्टी ने किराये पर लिया था जिसके लिये उन्होंने 945 रु० प्रति घंटे की दर से भुगतान किया है। भारत सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया।

(ग) और (घ) जी नहीं, परन्तु सामान्य निजी सुरक्षा प्रदान की गई। राज्य सरकारों द्वारा प्रधान मंत्री जी के प्रति निजी शिष्टाचार दिखाये गये।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

6045. श्री आर० के० महालगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री को जून 1977 में राष्ट्रीय चरित्र विकास संगठन बम्बई की ओर से महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के विरुद्ध एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या आरोप लगाए गए थे; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है तथा कब ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह ज्ञापन अस्पष्ट था। इसका आशय महाराष्ट्र लोकायुक्त द्वारा महाराष्ट्र के कुछ मंत्रियों के विरुद्ध की गई आरोपों की जांच के बारे में उनकी किसी रिपोर्ट के संदर्भ से था।

(ग) इसे फाइल कर दिया गया था।

दूरदर्शन में अधिकारियों के सेवा-काल का बढ़ाया जाना

6046. श्री राम प्रसाद देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यक्रम अधिकारियों की सेवा निवृत्ति के बारे में 29 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 2150 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस अधिकारी का क्या नाम और पद है जिसकी सेवा बढ़ाए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) इस अधिकारी के ही नाम पर विचार किए जाने का क्या औचित्य है ; और

(ग) इस प्रकार की सेवा वृद्धि के मामलों पर विचार करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) श्री जी० के० माथुर, उप महानिदेशक, दूरदर्शन।

(ख) और (ग) विषय पर आदेशों के अनुसार, सेवा काल बढ़ाने के मापदंड ये हैं कि यह जन हित में होना चाहिए और इसके अलावा निम्नलिखित दो शर्तों में से एक का पालन होना चाहिए :—

(1) पद को संभालने के लिये अन्य व्यक्ति पर्याप्त परिपक्व नहीं है।

या

(2) निवर्तमान अधिकारी उत्कृष्ठ योग्यता वाला है।

श्री जी० के० माथुर के मामले पर इन मापदंडों के आधार पर विचार किया जा रहा है।

CEMENT AGENCIES IN AGRA AND MEERUT DIVISION

6047. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the agencies for cement given by Cement Corporation of India in Agra and Meerut Division during the last two years are at such places which are native places of the Directors of the Corporation or their near relations;

(b) whether two agencies have been allotted in a single town of Bulandshahr district while in many towns there is not even a single agency;

(c) the rules regarding allotment of cement agency to the general public and the procedure for giving applications therefor; and

(d) the places in Agra and Meerut Division where cement agencies are proposed to be allotted in the near future in order to remove scarcity of cement in that area ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) to (d) During the period October, 1975 to February 1977, the existing stockists of the Cement Corporation of India were not lifting even their normal quotas. As a result, the position of the workable orders of the factories of the Corporation became critical. To keep the production of the factories at optimum levels, the Corporation decided to appoint new stockists and considered the applicants who showed interest for their stockistship and met the requirements laid down and also deposited the security and advance for supply of cement. Advertisements in the Press inviting applications for stockistship were also issued. Whether an applicant belonged to the native place of a Director or of his relative was neither a qualification nor a disqualification in selecting stockists. However, an inquiry into this aspect reveals that only one stockist in Agra and Meerut Division *viz.*, M/s. Ashoka Traders, Kazimabad (Distt. Aligarh) belongs to the native place of a Director of the Corporation.

Two parties from Siyana, District Bulandshahr had approached the Corporation and completed the necessary formalities. In view of the surplus cement market then obtaining and shortage of orders with the factories of the Corporation, both the parties were appointed as stockists. No other application for stockistship from Bulandshahr District was received by the Cement Corporation.

There is at present no proposal under consideration of the Cement Corporation of India for appointment of cement stockists in the Agra and Meerut Divisions.

The criteria followed for appointment of stockistship by the Cement Corporation of India are as under :—

(i) Preference is given to Co-operative Societies, Ex-Defence personnel and unemployed graduates;

(ii) As a policy, the Corporation prefers to appoint smaller stockists in rural areas so that cement reaches even the interior regions;

(iii) While appointing stockists in the categories other than those mentioned above, due consideration is given to people having experience in cement trade and in allied business like building materials;

(iv) Potentialities for cement consumption of a particular area are also taken into consideration while appointing stockists; and

(v) Stockists are appointed mainly in four categories 'A' 'B' 'C' and 'D' having monthly quotas of 75, 50, 25 and 10 tonnes respectively. The last mentioned category is appointed for the surrounding areas of the factory where cement can be moved by trucks or even by bullock carts.

भारतीय वायु सेना में विमान दुर्घटनाएं

6048. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जून, 1977 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'इंडियन एयरफोर्स' शीर्षक से प्रकाशित एक पत्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और उसके बाद क्या कार्यवाही की है ;

(ग) गत पांच वर्षों में भारतीय विमान सेवा में विमान दुर्घटना की दर क्या है ;

(घ) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी विमान दुर्घटनाएं हुईं और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने उड़ान सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया था; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) इन सामान्य आरोपों की जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया। भारतीय वायु सेना में उड़ान संबंधी सुरक्षा और दुर्घटना-दरों के बारे में विभिन्न तथ्यों पर विचार किया गया है और यह पाया गया है कि गत पांच वर्षों के दौरान प्रति दस हजार घंटे की उड़ान की दुर्घटना-दरों में काफी कमी हुई है जो नीचे के ब्यौरे से देखा जा सकता है :—

वर्ष	प्रति दस हजार उड़ान-घंटों के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या
1972	20.7
1973	20.5
1974	13.6
1975	9.1
1976	5.5
1977 (15 जुलाई तक)	5.4

दुर्घटनाओं की दर में कमी से यह सिद्ध होता है कि विमान और इस पर सवार लोगों की जान की क्षति को रोकने के लिये पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। उड़ान सुरक्षा कार्यक्रम चलता रहा है और यह कार्यक्रम भविष्य में भी प्रभावशाली ढंग से चलता रहेगा।

राजनैतिक कैदियों को यातना देने में अन्तर्गस्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

6049. श्री के० ए० राजन
श्री कचरूलाल हेमराज जैन } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के बहुत से अधिकारी नक्सलवादी तथा अन्य राजनीतिक कैदियों को यातना देने में अन्तर्ग्रस्त थे;

(ख) क्या इस बारे में सरकार ने सभी राज्य सरकारों की कहा है कि वे ऐसे सभी अधिकारियों के नाम और इस बारे में उनके विरुद्ध आरोप केन्द्र को प्रस्तुत करें; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) : कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

6050. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) अहमदाबाद म अभी तक भी एक संपूर्ण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित न करने के क्या कारण हैं जबकि ऐसे केन्द्र अहमदाबाद से कम जनसंख्या वाले तथा कम महत्वपूर्ण कई अन्य नगरों में खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं ;

(ख) क्या उन्हें गुजरात राज्य सरकार तथा अथवा सार्वजनिक निकायों और संसद सदस्यों सहित अन्य लोगों से इस आशय के लिखित ज्ञापन और अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अहमदाबाद में या तो एक दूरदर्शन केन्द्र खोला जाय अथवा एक रिले स्टेशन चालू किया जाये जो बम्बई दूरदर्शन केन्द्र से कार्यक्रम पकड़कर रिले कर सके; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) संसाधनों की अत्याधिक कमी के कारण अहमदाबाद म पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका। तथापि, गुजरात राज्य में नाडियाड के निकट पिज दूरदर्शन ट्रांसमीटर जो "साइट" कार्यक्रम के अंग के रूप में पहले स्थापित किया गया था, को "साइट" कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी चालू रखने की अनुमति दी दे गई है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) अगली पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार करते समय अहमदाबाद के दावों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं के निर्माण के लिये लाइसेंस

6051. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **इलेक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने वर्ष 1968 से 1976 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्माण करने के लिये एक या अधिक व्यक्तियों अथवा पार्टियों को कोई लाइसेंस दिये थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ लाइसेंस किसी श्री एस० आर० जीवराज्का को दिये गये थे; और यदि हाँ, तो कितने और किसके द्वारा, और उक्त श्री जीवराज्का इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उस समय लाइसेंस प्राधिकारी एक तत्कालीन संयुक्त सचिव के कोई रिश्तेदार थे; और

(घ) क्या उपरोक्त लाइसेंसों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से उपयोग किया गया था तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

EMBEZZLEMENT IN DEPARTMENT OF DEFENCE CASH ACCOUNTS AND DEPARTMENT OF STORES

6052. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of cases which came to light in regard to embezzlement in the Department of Defence Cash Accounts and the Department of stores and financial irregularities committed in operational works from June, 1972 to June, 1977 with full details thereof;

(b) whether departmental and legal action has been taken by Government against the guilty officers and employees; and

(c) if so, the number of persons prosecuted and the number of cases still pending ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (c). The information is not readily available in a compiled form. The lower/subordinate authorities have powers to deal with minor cases at their level and, as such, all cases of embezzlement/loss of cash and stores are not reported to the Government. Collection of details in respect of each case will, therefore, take considerable time and effort. Details of cases involving loss of public funds and stores exceeding Rs. 5,000/- and Rs. 15,000/- in each case, respectively, due to theft, fraud or gross neglect, and Rs. 10,000/- and Rs. 50,000/-, in each case, respectively, due to other causes, detected and those regularised, are given separately in the Annual Appropriation Accounts of the Defence Services presented to the Parliament. The total value of all such losses category-wise, is also given in these Accounts. Serious financial irregularities committed in operational works are also mentioned in these Accounts.

भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा ओबराय होटलों को धन दिया जाना

6053. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या ओबराय होटलों (ओबराय चैन आफ होटल्स) ने भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री से 'एक्सपोर्ट एसोशियेशन आफ़ अमेरिका' के मोशन पिक्चरों के अवरुद्ध पड़े धन में से 52 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि देने का अनुरोध किया था क्योंकि यह धन मंत्री महोदय के पास अवरुद्ध पड़ा था;

(ख) क्या यह धन फ़िल्म वित्त निगम, इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन तथा चिल्ड्रन्स फ़िल्म सोसायटी के लिये निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या मार्च, 1975 में तत्कालीन संबंधित मंत्री ने अपने अधिकार से आपत्तियों के बावजद 35 करोड़ रुपए मंजूर कर दिये और यह धन ओबराय होटलों को दे दिया गया और इस धन को विदेशी बैंक में जमा कर दिया गया और जिस प्रयोजन के लिये यह धन मांगा गया था उसके लिये इसका प्रयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो यह धन किस विदेशी बैंक में, किसके नाम से तथा किस खाते में जमा कराया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख) : मैसर्स ओबराय होटल्स से मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसियेशन आफ़ अमेरिका के अवरुद्ध पड़े धन में से 5 करोड़ रुपए के ऋण के लिये आवेदन पत्र इस मंत्रालय म भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सचिवालय से फ़रवरी, 1976 को प्राप्त हुआ था।

इसकी कुछ समय तक जाच होती रही और नवम्बर 1976 में यह मंत्रालय इस बात पर रजामंद हुआ कि मैसर्स ओबराय होटल्स को 2.8 करोड़ रुपए का ऋण देने के बारे में फ़िल्म वित्त निगम और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा 1.2 करोड़ रुपए की संभाव्य मांग की व्यवस्था किये जाने के बाद विचार किया जाए। तथापि, कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव के लिये चन्दा इकट्ठा करना

6054. श्री निहार लास्कर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर जिला जेल के अधिकारियों ने कैदियों और उनके पास आने वालों को जनता पार्टी के कूपन बेचकर चुनाव के लिये जबरन चन्दा एकत्र किया था;

(ख) क्या कानपुर से प्रकाशित दिनाक 18-6-77 के दैनिक "जागरण" में जनता पार्टी के कूपन संख्या 264743 की फ़ोटो प्रति के साथ, जिस पर श्री राधेश्याम त्रिपाठी, अधीक्षक जिला जेल कानपुर, उत्तर प्रदेश को रबड़ की मोहर लगी हुई है, यह समाचार छपा था और उसके साथ जिला जेल, कानपुर के एक कैदी के हस्तलिखित पत्र को भी छापा गया था जिसमें यह आरोप थां कि श्री राधेश्याम त्रिपाठी ने उससे जबरन पांच रुपए लिये;

(ग) यदि हां, तो क्या संबंधित जेल अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) : उप महानिरीक्षक (कारागार), कानपुर मामले में जांच कर रहे हैं।

(ख) जी, हां श्रीमान्।

(ग) तथा (घ) : उप महानिरीक्षक (कारागार) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश सरकार की जाने वाली कार्रवाई के बारे में निर्णय करेगी।

कोयला खानों में ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों को नौकरियां देना

6055. श्री वसन्त साठे : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में बड़ी संख्या में श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से ही भर्ती किये जाते हैं और ये ठेकेदार विभिन्न प्रकार के कदाचार करते हैं तथा श्रमिकों का हक मारकर पनपते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार काम पर लगाए गए श्रमिकों का प्रतिशत कितना है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की खानों में ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों की भर्ती पर रोक लगाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क) व (ग) : कोयला खानों के सभी वर्जित वर्गों के काम में ठेका श्रमिकों की भर्ती बन्द कर दी गई है इसमें केवल कुछ खानों में कोयला व रेत की लदान करने व उतारने, पत्थर ड्रिफ्ट हटाने, पत्थर की कटाई करने तथा वाशरियों के विविध काम शामिल नहीं हैं। चूंकि यह काम आकस्मिक तथा रुक रुक कर होते हैं अतएव इनमें ठेका श्रमिकों की नियुक्ति के बारे में "केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड" पुनः जांच कर रहा है। गत दो वर्षों में ऐसे बहुत से कामगारों को कोयला कंपनियों द्वारा नियमित कर दिया गया है जिन्हें ठेकेदार ठेके पर काम में लगाते थे।

(ख) जिन कामों के लिये ठेका श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है वे आकस्मिक तथा सविरामी किस्म के होते हैं, इसलिए इन कामों के लिये नियुक्त किए गए श्रमिकों की संख्या में भी समय समय पर बहुत अन्तर होता रहता है। इसलिए कुल श्रमिकों की संख्या में ठेका श्रमिकों का प्रतिशत निश्चित नहीं है।

दुर्घटनाओं में मारे गये/अपंग हुए कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को रोजगार देना

6056. श्री वसन्त साठे : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोयला क्षेत्र (वेस्टर्न कोल फ़ील्डस) श्रमिक संघ ने अन्य बातों के अलावा यह भी माँग की है कि दुर्घटनाओं के फ़लस्वरूप मरने/अपंग होने वाले कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को नीति के तौर पर नौकरियाँ दने की व्यवस्था की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख) वेस्टर्न कोल फ़ील्डस कामगार यूनियन की ओर से कोई विशेष अभिवेदन नहीं मिला है जिसमें दुर्घटनाओं के फ़लस्वरूप मारे गए/अपंग हुए कर्मचारियों के नजदीकी संबंधियों को नौकरियां देने का प्रावधान रखने की मांग की गई हो। फ़िर भी, सैद्धांन्तिक रूप से कोल इंडिया लिमिटेड ने खान दुर्घटना में मारे गए कामगारों की विधवा, पुत्र अथवा पुत्री को रोजगार देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जहां तक व्यावहारिक है, लागू किया जा रहा है।

दूरदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये महिला, कनिष्ठ कर्मचारियों को प्राथमिकता देना

6057. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर दर्शन में कनिष्ठ कर्मचारी, विशेषत: महिला कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करने में

प्राथमिकता पा रहे हैं जबकि तकनीकी श्रेणियों के स्टाफ़ आर्टिस्ट जो कि कार्यक्रमों के मूल स्तम्भ हैं पूरी तरह उपेक्षित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों के मूल्य

6058. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रांम्पटन ग्रीवस लिमिटेड, बम्बई सीमन्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई हिन्दुस्तान ब्रौन बौवरी लिमिटेड, बंबई, जी० ई० सी० आफ़ इंडिया लिमिटेड आदि जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों के मूल्यों की जांच की है;

(ख) क्या जनरल मशीनरी मर्चेन्ट्स एसोसियेशन ने भारत सरकार से मई, 1977 से औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की शिकायत की है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। जनरल मशीनरी मर्चेन्टस एसोसियेशन ने मुख्य रूप से विद्युत मोटरों और स्विचगियरों की कीमत में वृद्धि के बारे में एक शिकायत भेजी थी जिसमें बाल बियरिंगों का सरसरी तौर पर हवाला दिया गया था। उनके पत्र में जिन कंपनियों के नाम दिये गये हैं, उनमें से मै० एन० जी० ई० एफ० लिमिटेड, बंगलौर सरकारी क्षेत्र में हैं और क्राम्पटन ग्रीवस और किर्लोस्कर इल्क्ट्रोनिक कंपनी भारतीय कंपनियां हैं।

(ग) उनकी शिकायतों की जांच करवाई गई थी। जहां तक विद्युत मोटरों का संबंध था, यह देखा गया था कि निर्माताओं ने अपनी कीमत में 4% से 18% तक की वृद्धि की है। हां, बढ़ती हुई कीमतें, अगस्त 1974 से सितम्बर, 1975 की अवधि की कीमतों से कम थीं, जिसके बाद कीमतों में तेजी से गिरावट आई थी। फिर भी सरकार ने उद्योग को मूल्य स्थिर रखने के लिये कहा है। जहां तक स्विचगियरों की कीमतों का संबंध है, एसोसियेशन ने दो निर्माताओं के नामों का उल्लेख किया था। दोनों निर्माताओं ने बताया है कि उन्होंने अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, जैसा कि शिकायत में अभिकथित है।

रूट नं० 770 पर बस सेवा में सुधार

6059. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसों की संख्या में वृद्धि करके तथा उन्हें अधिक बार चलाकर रूट नं० 770 पर बस सेवा को सुधारने के लिये यात्रियों द्वारा निरंतर मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस रूट पर कुशल निर्मित, और ठीक समय वाली बस सेवा किस प्रकार चलाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रूट पर यात्रियों के लिये बस सेवा की आवश्यकता का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और इस बारे में अन्य कार्यवाही क्या की जाएगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) बसों के रख रखाव में सुधार करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि नियमित और समय पर सेवाएं उपलब्ध की जा सकें ;

(ग) और (घ) : सभी बस रूटों पर नियमित रूप से यातायात सर्वेक्षण किये जाते हैं। परन्तु इस रूट पर शीघ्र ही नया सर्वेक्षण करने का विचार है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्यवाही की जायेगी।

दिल्ली में पता लगाये गये ट्रांसमीटर

6060. **श्री मनोरंजन भक्त**
श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री ओम प्रकाश त्यागी
श्री यशवन्त वोरोले
श्री एम० कल्याण सुन्दरम्
श्री पी० राजागोपाल नायडू
श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी दिल्ली के एक फार्म में एक किसान को दो अत्याधुनिकतम ट्रांसमीटर मिले थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन ट्रांसमीटरों को वहां गाढ़ने के प्रयोजन का पता लगा सकी है;

(ग) क्या ऐसा कोई साक्ष्य मिला है कि ये वहां जासूसी करने अथवा गप्तचर्या के लिये गाढ़े गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) 8-7-1977 को दिल्ली के गांव मदनपुर खादर के एक खेत में दो वायरलेस उपस्कर जिसमें एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर था पाये गये।

(ख) अभी तक जांच पड़ताल जारी है।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

अच्छी जल क्षमताओं वाले राज्यों में विद्युत् प्रजनन योजनायें

6061. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी जल क्षमताओं वाले राज्यों में विद्युत प्रजनन योजनाओं के वित्त पोषण के लिये केन्द्र में एक विशेष निधि बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में विद्युत की कमी

6062. श्री एस० एस० सोमानी: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा के निकट राणा प्रताप सागर में परमाणु रिएक्टर के बन्द हो जाने से राजस्थान म विद्युत की कमी हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या विद्युत की उपलब्धता में भारी कमी के कारण बिजली बोर्ड को विवश होकर राज्य में ऊर्जा की खपत में कटौती की घोषणा करनी पड़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) से (ग) कोटा के निकट राणा प्रताप सागर का परमाणु विद्युत केन्द्र नियोजित अनुरक्षण के लिये तीन महीने के लिये बन्द हो जाने से राजस्थान में विद्युत की उपलब्धता प्रतिदिन लगभग 2.5 से 3.0 मिलियन यूनिट कम हो गई है। बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र से राजस्थान को जितनी सहायता देना संभव है उतनी सहायता देने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने व्यवस्था की है। राजस्थान को मध्य प्रदेश से भी कुछ सहायता मिल रही है। मानसून शुरू होने से विद्युत् की मांग भी कम हो गई है तथा अधिकतम मांग के समय को छोड़कर, जबकि लगभग 30 से 40 मेगावाट की कमी रहती है तथा जब कभी आवश्यक होता है इस कमी को पूरा करने के लिये लोड शेडिंग करनी पड़ती है। राजस्थान अपनी विद्युत् की मांग को कुल मिलाकर पूरा कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत् की कोई नियमित कटौती लागू नहीं की गई है।

देश से प्रतिभा पलायन

6063. श्री ए० के० राय
श्री सुरेन्द्र विक्रम } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने अर्हता प्राप्त व्यक्ति, डाक्टर, इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविद् विदेशों में रह रहे हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, और

(ग) देश से प्रतिभावान व्यक्ति बाहर न जाएं इस उद्देश्य से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) ठीक ठीक आंकड़े ज्ञात नहीं हैं।

विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों का नाम दर्ज करने के लिये सी० एस० आई० आर० वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक प्रवासी भारतीय अनुभाग चलाता है। नाम पंजीकरण स्वैच्छिक है। रजिस्टर में उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 10,499 भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक 30 जून 1977 को विदेशों में थे, जिनमें से 31,472 वैज्ञानिक, 4,368 इंजीनियर और 612 प्रौद्योगिकीविद् और 2,047 चिकित्सक थे।

(ख) जी हां, सी० एस० आई० आर० के राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग में पंजीकृतों की स्थिति गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार थी :—

	पंजीकृतों की संख्या
1-1-75 को	9,425
1-1-76 को	9,708
1-1-77 को	10,190

(ग) विदेशों से योग्यता प्राप्त भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये भारत सरकार समय समय पर उपाय करती आ रही है। इन उपायों की सूची परिशिष्ट-I और परिशिष्ट-II में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी०-954/77**]

विद्युत प्रजनन उपकरणों का आयात

6064. श्री डी० पी० चन्द्र गौडा : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन विद्युत् संयंत्रों के चालू होने में उपकरण उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब हुआ है उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिये विद्युत् प्रजनन उपकरण आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश में विद्युत् उत्पादन उपस्करों के आयात पर सामान्य प्रतिबन्ध है, परंतु विशेष कारणों से आयात आवश्यक होने के विशिष्ट मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

इस समय ऐसी कुछ जल विद्युत् परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनके लिये उत्पादन उपस्कर आयात किये जा रहेहैं। कुछ प्रतिवर्ती (रिवर्सिबल) पम्प टर्बाइनों के आयात के लिये भी, जिनका निर्माण देश में नहीं होता है, प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। गैस टर्बाइनों, जिनका देश में निर्माण नहीं किया जाता, के आयात के लिये भी कुछ प्रस्ताव हैं।

किसी भी ताप विद्युत् परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये विद्युत् उत्पादन संयंत्रों के आयात के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल के माल डिब्बे और इंजन बनाने वाले कारखाने

6065. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल माल के डिब्बे और इंजन बनाने वाले कुल कितने कारखाने हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इन कारखानों में उनकी निर्माण क्षमता की तुलना में वास्तव में कितना निर्माण हुआ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में इन कारखानों की अलग-अलग संख्या कितनी है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) और (ग) देश में तेरह कारखाने रेल के माल डिब्बों का निर्माण करते हैं, इनमें से पांच कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं, तीन सरकारी प्रबंध के अधीन हैं और पांच गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। इनके अलावा रेलवे के तीन कार्यशालाएं भी रेल के माल डिब्बों का निर्माण करती हैं।

रेल मंत्रालय के अंतर्गत दो उत्पादन एकक रेल इंजनों का निर्माण करते हैं। इनके अलावा, तीन विद्यमान एकक, एक सरकारी क्षेत्र में और दो गैर-सरकारी क्षेत्र में, रेल-इंजनों का निर्माण करते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में उत्पादन क्षमता की तुलना में रेल के माल डिब्बों और रेल इंजनों का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	उत्पादन क्षमता	वास्तविक उत्पादन संख्या में		
	संख्या में	1974–75	1975–76	1976–77
माल डिब्बे (चार पहिए वाले)	29,815	10,958	12,176	11,981
रेल इंजन	380	189	197	216

GRANT OF PENSION TO INA FREEDOM FIGHTERS

6066. SHRI VAYALAR RAVI
SHRI N. SREEKANTAN NAIR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be to state:

(a) the total number of applications received from INA freedom fighters for political pensions, State-wise;

(b) the number of cases sanctioned so far and the reasons for delay in respect of remaining applications; and

(c) the steps taken to expediate the disposal of applications from Kerala ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) 29,180 applications for grant of pension from Ex-INA personnel have been received upto 30-6-1977. A statement showing state-wise figures is annexed.

(b) Upto 30-6-1977, pension has been sanctioned in 14,546 cases, 11,104 cases have been rejected, remaining 3,530 cases have been filed pending availability of acceptable evidence.

(c) No applications from Freedom Fighters of Kerala are pending scrutiny. However, 552 cases have been filed for want of adequate acceptable evidence.

THE NUMBER OF APPLICATIONS RECEIVED FROM EX-INA PERSONNEL FREEDOM FIGHTERS AS ON 30-6-1977 (STATE-WISE)

State and Number of applications received	
Andhra Pradesh	154
Assam	16
Andaman and Nicobar	17
Bihar	162
Chandigarh	42
Delhi	590
Goa	—
Gujarat	171

Himachal Pradesh	1462
Haryana	3175
Jammu and Kashmir	330
Karnataka	123
Kerala	2221
Meghalaya	3
Manipur	773
Maharashtra	787
Madhya Pradesh	167
Mizoram	2
Nagaland	2
Orissa	494
Pondicherry	51
Punjab	7639
Rajasthan	640
Tripura	6
Tamil Nadu	5425
Uttar Pradesh	4515
West Bengal	213
TOTAL :	29180

रूस से भारी पानी (हैवी वाटर)

6067. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या रूस की सरकार ने परमाणु संयंत्र के लिए गत वर्ष भारी पानी (हैवी वाटर) सप्लाई करने की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बातचीत का ब्यौरा क्या था और उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ।

(ख) सन् 1976 और सन् 1978 के बीच 200 मीटरिक भारी पानी की सप्लाई के लिये 3 सितम्बर, 1976 को मैसर्स तैक्सनाबाएक्सपोर्ट्, मास्को, सोवियत संघ के साथ एक करार किया गया था।

राज्यों में उपग्रह टेलीविजन कार्यक्रमों से लाभान्वित गांव

6067. **श्री के० प्रधान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उपग्रह टेलीविजन कार्यक्रमों से कितने गांवों को लाभ हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कार्यक्रम का अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) 1-8-1975 से 31-7-1976 तक किए गए उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग ("साईट") के दौरान, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में, चार चार सौ ग्रामों को कवर किया गया था। "साईट" की समाप्ति

के बाद यह निर्णय किया गया कि इस कार्यक्रम को उक्त प्रत्येक राज्य में स्थलीय ट्रांसमीटर लगाकर जारी रखा जाए। इस परियोजना से जो गांव लाभान्वित होंगे, उनकी संख्या इस प्रकार है:—

आंध्र प्रदेश (हैदराबाद के आस-पास)	1,600
बिहार (मुजफ्फरपुर के आस-पास)	1,600
कर्नाटक (गुलबर्ग के आस पास)	300
मध्य प्रदेश (रायपुर के आस-पास)	400
उड़ीसा (सम्बलपुर के आस-पास)	650
राजस्थान (जयपुर के आस-पास)	4,400
योग :	8,950

इस संख्या में "साईट" द्वारा कवर किए गए 40 प्रतिशत गांव शामिल हैं।

(ख) कार्यक्रम का अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का फ़िलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

6069. **श्री रोबिन सेन:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री महोदय को भूतपूर्व कोयला बोर्ड कर्मचारियों की वर्तमान सेवा शर्तों के स्थान पर कोल इंडिया लिमिटेड में सेवा शर्तों पर कोयला बोर्ड के भूतपूर्व कर्मचारियों से 22 जून, 1977 को टिप्पण प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) व (ख) जी हां। भूतपूर्व कोयला बोर्ड में लागू सेवा शर्तों के स्थान पर कोल इंडिया लिमिटेड की सेवा शर्तों को लागू करने के बारे में कोयला बोर्ड के कुछ कर्मचारियों की ओर से ईस्टर्न कोल फ़ील्डस् लिमिटेड के प्रबंधकों को सम्बोधित अभ्यावेदन की प्रतियां 8 जुलाई, 1977 को प्राप्त हुई हैं। चूंकि उन अभ्यावेदनों का संबंध उन कर्मचारियों पर कंपनियों में लागू सेवा शर्तों से है, अतः उन्हें विचार के लिये कोल इंडिया लि० को भेज दिया गया है।

POST ENTRUSTED TO DR. DHARMA TEJA

6070. SHRI RAGHAVJI :
SHRI HARI VISHNU KAMATH : } Will the Minister of HOME AFFAIRS pleased to state :

(a) whether Dr. Dharma Teja was absorbed in the service of the Government of India after his release from the jail;

(b) if so, the nature of duties entrusted to him and the post on which he is working at present; and

(c) whether cases filed against the wife of Dr. Dharma Teja were withdrawn during emergency; and if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS : (SHRI CHARAN SINGH) : (a) According to the records of the Department of Personnel and the information received from the other Departments so far, Dr. Dharma Teja was not absorbed in the service of the Government of India after his release from jail.

(b) Does not arise.

(c) The proposal to withdraw the case against Mrs. Ranjit Kaur Teja, wife of Shri Dharma Teja was initiated in December 1975 when the former Prime Minister asked the Law Minister to examine the request of Mrs. Teja to be allowed to return to India. The evidence against her was then examined and it was felt that the charges against her were not likely to succeed in court. The withdrawal of the case against her was decided on assessment of the evidence that was left against her after the conviction of Dr. Dharma Teja.

कोचीन पत्तन न्यास में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी

6071. **श्री के० ए० राजन :** क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) कोचीन पत्तन न्यास में श्रेणी एक और दो के कितने अधिकारी हैं; और

(ख) वर्ष 1975 से 1977 की अवधि में अधिकारियों के कितने नये पद बनाए गये ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ग I--89 वर्ग II—49

(ख) वर्ग I—19
वर्ग II --4

दो नए निकर्षकों पर आदमी लगाने के लिये अधिकांश वर्ग I पद सृजित किये गये और पत्तन के लिये एक नई कर्षनाव अधिगृहीत की गयी।

मुख्य पत्तनों पर माल उतारने चढ़ाने संबंधी सहकारी समितियां

6072. **श्री के० ए० राजन :** क्या **नौवहन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सब मुख्य पत्तनों में माल चढ़ाने उतारने संबंधी सहकारी समतियों की एक एजेंसी के अंतर्गत लाने के बारे में कोई निर्णय लिया है जैसा कि चटर्जी समिति के प्रतिवेदन में सिफ़ारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी क्रियान्विति कब की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट विचाराधीन है; निर्णय के लिये कार्यवाही की जा रही है लेकिन निश्चित तिथि का बताना संभव नहीं।

कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के अंतर्गत परिवीक्षकों का पंजीकरण

6073. **श्री के० ए० राजन :** क्या **नौहवन** और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड ने फ़ोरमैन और परिवीक्षकों को कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त सुझाव की पुष्टि की जानी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने बड़े पत्तनों में स्थायीकरण योजनाओं और संबंधित मामलों पर विचार करने के लिये समिति की सिफ़ारिशों की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया है। इस समिति ने कोचीन गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) योजना, 1959 के अधीन फ़ोरमैन और पर्यवेक्षकों के रजिस्ट्रेशन की सिफ़ारिश नहीं की। अतः, उनके रजिस्ट्रेशन के प्रश्न पर कार्यवाही नहीं की गई।

USE OF VEHICLES OF UMRED COAL MINE TO CARRY PERSONS TO ATTEND THE MEETING ADDRESSED BY SHRI SANJAY GANDHI

6074. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the General Manager Coordination of Western Collieries Limited Nagpur Shri A. B. Shah had sent a letter on his behalf to the Sub-area Manager, Umred, Silawara, Kamthi and others on 26th October, 1976 that trucks, jeeps etc. should be used for carrying persons to the meeting to be addressed by Shri Sanjay Gandhi; and

(b) whether bull-dozers and graders were also sent to Nagpur from Umred Coal Mine for construction of Sanjay Maidan and if so, the grounds on which these were sent and by what time action would be taken against the officer responsible for this and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Western Coalfields Limited have reported that no such letter was sent by Shri Shah.

(b) On the request of an M.P. of Nagpur, a grader was sent from Umrer Coal Mine for levelling a playground in a Harijan colony near Nagpur. This ground was used a few weeks later for a meeting addressed by Shri Sanjay Gandhi. An enquiry into the matter has been ordered and action will be taken against any officer found to have acted improperly.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEES

6075. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Official Language Implementation Committees have been set up in each Ministry and Department for the progressive use of Hindi; and

(b) whether such Committees have also been constituted in attached and subordinate offices where 25 or more employees, other than Class IV employees are working and if so, the percentage use of Hindi in correspondence, circulars etc., and the expenditure incurred annually on all the committees ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) These committees have been constituted in many such attached and subordinate offices. Information regarding the percentage of the use of Hindi in correspondence, circulars etc., in these offices, is not readily available and the result will not be commensurate with the time and labour involved in collecting the information.

As Official Language Implementation Committees, are Departmental Committees, no expenditure is incurred on them.

CREATION OF GAZETTED POSTS IN AIR AND DOORDARSHAN DURING EMERGENCY

6076. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the names of new gazetted posts created in Akashvani (AIR) and Doordarshan (Television) during the last one year of the emergency period; and

(b) the names of the permanent and temporary posts out of them ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) :

(a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) All the posts are temporary.

STATEMENT

GAZETTED POSTS CREATED IN AKASHVANI AND DOORDARSHAN DURING THE PERIOD APRIL 1976 TO MARCH 1977

S. No., Designation of the post & No. of Posts

AKASHVANI

1.	Deputy Director General, Regional	2
2.	Deputy Director of News	1
3.	Engineer-in-Charge	1
4.	News Editor	4
5.	Senior Correspondent	1
6.	Station Engineer	2
7.	Station Director	2
8.	Deputy Director Audience Research	4
9.	Supervisor (Dari)	1
10.	Sports Programme Organiser in the Cadre of Assistant Station Director	4
11.	Research Officer	1
12.	Assistant Station Director	6
13.	Correspondent	1
14.	Assistant Station Engineer	3
15.	Assistant News Editor	9
16.	Accounts Officer	1
17.	Reporter (Monitoring)	8
18.	Hindi Officer	1
19.	Assistant Engineer	5
20.	Programme Executive	10
21.	Section Officer	1
22	Farm Radio Officer	8
23	Producer (Folk Music)	1
	TOTAL :	77

S. No., Designation of the Post and No. of Posts	
DOORDARSHAN	
1. Director General	1
2. Addl. Director General	1
3. Chief Engineer	1
4. Deputy Director General	2
5. Deputy Chief Engineer	1
6. Director	3
7. Controller of Programmes	1
8. Planning Officer	1
9. Asstt. Planning Officer	1
10. Dy. Asstt. Controller of Programmes.	1
11. Senior Analyst	1
12. Public Relations Officer	1
13. Station Engineer	12
14. Inspector of Accounts	1
15. Junior Analyst	1
16. Section Officer	6
17. Sr. P.A.	2
18. Asstt. Station Director	10
19. Asstt. Station Engineer	18
20. Programme Executive	3
21. Assistant Engineer	18
22. Officer on Special Duty	5
23. Accounts Officer	2
24. Controller of Sales	1
25. Asstt. Controller of Sales	1
TOTAL :	95

FIRE ACCIDENTS IN DELHI

6077. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of major fire accidents in the Capital during the last three years and the number of fire accidents which were extinguished with the help of the men of the Delhi Fire Service;

(b) the number of persons killed in each fire accident; and

(c) the full details thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) to (c) Information is being collected and will be placed on the Table of the House, on receipt.

GAZETTED AND STAFF ARTISTES POSTS LYING VACANT IN AIR AND DOORDARSHAN

6078. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number and names of the sanctioned posts in gazetted and staff artistes categories which are still lying vacant in Akashvani (A.I.R.) and Doordarshan (Television); and

(b) the reasons therefor and the time by which these posts are likely to be filled ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) A Statement indicating the sanctioned gazetted posts lying vacant in Akashvani and Doordarshan, is attached.

As regards the vacant posts in the category of Staff Artistes, the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The posts have fallen vacant owing to retirements/promotions to the higher posts/ creation of new posts, etc. Action to recruit persons to fill up the vacant posts is already in progress and the vacant posts are likely to be filled up shortly.

Statement

GAZETTED POSTS LYING VACANT IN ALL INDIA RADIO/DOORDARSHAN

S.No.	Designation of the sanctioned post	No. of vacant posts	
		All India Radio	Doordarshan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Deputy Director General	—	1
2.	Additional Chief Engineer	1	—
3.	Director (Security)	1	—
4.	Superintending Engineer	1	—
5.	Station Director	11	—
6.	Senior Engineer	3	—
7.	Senior Administrative Officer	—	1
8.	Officer on Special Duty (personnel)	1	—
9.	Officer on Special Duty (Manual) (Station Directors' cadre)	—	1
10.	Officer on Special Duty (Station Directors' cadre)	—	1
11.	Station Engineer	13	8
12.	Assistant Station Director	33	12
13.	Deputy Assistant Controller of Programme (Assistant Station Directors' cadre)	—	2
14.	Assistant Station Engineer	102	16
15.	Assistant Station Engineer Civil/Electrical	3	—
16.	Administrative Officers	3	—
17.	Assistant Engineers	38	10
18.	Programme Executives	139	13
19.	Assistant Architect (Civil Construction Wing)	1	—
20.	Audience Research Officers	7	2
21.	Security Officer All India Radio, Calcutta	1	—
22.	Farm Radio Officers	4	—
	Total	362	67

RURAL ELECTRIFICATION SCHEME IN RAJASTHAN

6079. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the names of the areas in Rajasthan for which there is a programme to electrify the villages in 1977 under the rural electrification programme with Central assistance or with the assistance of some foreign organisations; and

(b) the detailed scheme therefor ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) and (b) The programme of rural electrification is formulated and executed by the State Electricity Boards. Central loan assistance is given to the Boards for implementation of the programme through the Rural Electrification Corporation Ltd. which has been set up in the Central sector. No foreign assistance is directly made available to the States for rural electrification programme.

The Corporation has sanctioned 115 rural electrification schemes of Rajasthan for a total loan assistance of Rs. 53.21 crores. These schemes envisage energisation of 77.502 irrigation pumpsets in 6,470 villages. These are being executed by the Rajasthan State Electricity Board in phases. The Board has intimated that it has a programme for electrification of 1,198 villages during 1977-78 under these schemes. Details of the Panchayat Samitis and the number of villages to be electrified in each of them, are Annexed.

[Placed in the Library. *See* No. L.T.—955/77]

पीठाक्यारी में ईस्टन कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा एक निजी भूमि पर खदान का काम शुरू किया जाना

6080. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोल फ़ील्डस् लिमिटेड के निरसा मुगीना के जोन के प्रबंधकों ने ग्राम, पीठाक्यारी, डाकखाना निरसा, धनबाद (बिहार) में श्री कलिपोद पांडे की भूमि में खदान का काम शुरू किया है;

(ख) क्या इस भूमि के लिये न तो कोई मुआवजा दिया गया और न कोई रोजगार ही दिया गया जबकि यह भूमि ही श्री पांडे की जीविका का एकमात्र साधन थी; क्या यह सच है कि वहां से ग्रामवासियों को हटाए बिना ही वहां विस्फ़ोट आरंभ कर दिये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप मकान को क्षति पहुंच रही है और लोग घायल हुए;

(ग) क्या निरसा-मुगीना जोन में ई० सी० एल० की कोलियरीज से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रभावित अधिकांश भूमि का अर्जन, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, मुंनिडीह के विदरीत, पंजीकरण द्वारा उचित रूप में नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ख) : प्राप्त सूचना के अनुसार जिला धनबाद के ग्राम पीठाक्यारी श्री काली पद पाण्डेय के लगभग 4.07 एकड़ में रकबे के 2 प्लाट हैं जिसमें से लगभग 2.36 एकड़ क्षेत्र की ईस्टर्न कोलफ़ील्ड्स लि० को कोयला खान के विकास के लिये जरूरत थी। इस क्षेत्र को श्री काली पद पाण्डेय की सहमति से प्रबंधकों ने ले लिया था। प्रबंधक अधिग्रहीत प्लाट का

मुआवजा दने के लिये तैयार थे जबकि श्री पाण्डेय पूरी 4.07 एकड़ भूमि का मुआवजा चाहते थे, इससे आगे बातचीत करने की आवश्यकता पड़ी। श्री पाण्डेय को रोजगार देने के प्रश्न पर भी प्रबंधक विचार कर रहे हैं।

कम्पनी के अनुसार कोयला खान मे यद्यपि विस्फ़ोट किया गया है किन्तु उससे समीपवर्ती गावों को कोई नुकसान अथवा किसी व्यक्ति को कोई चोट नही पहुंची है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

शादीपुर डी० टी० सी० कालोनी के निकट झुग्गी-झोपड़ी को हटाया जाना

6081. **श्री ज्योतिर्मय बसु:**
श्रीमती वी० विजयलक्ष्मी } : क्या **ग्रह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जुलाई, 1977 को शादीपुर डी टी० सी० कालौनी के निकट झुग्गी झौपड़ी के निवासियों को पुलिस कर्मचारियों ने तुच्छ बहाना बनाकर जबर्दस्ती और बेरहमी से हटा दिया था;

(ख) यदि हां. तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें ऐसा करने के लिये किसने कहा था?

ग्रह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) : 5–7–1977 को कठपुतली वालों के एक परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा होने के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर एस० एच० ओ० पटेल नगर, अपने स्टाफ़ समेत घटना स्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि 200 व्यक्ति एकत्र हुए हैं और कुछ पत्थर फ़क रहे हैं। पुलिस को देखकर झगड़ा करने वाले व्यक्ति घटना-स्थल से भाग गये। बताया जाता है कि तब एस० एच० ओ० ने उस स्थान पर रहने वाले कलाकारों को किसी अन्य स्थान पर जाने का आदेश दिया क्योंकि वे प्राय: झगड़ा करते रहते थे। परिणामस्वरूप कुछ वापस सुलतानपुरी चले गए जहाँ उन्हें अगस्त, 1976 में सफ़ाई अभियान के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्लाट आवंटित किये थे। बाकी थोड़ी दूर पर रेलवे लाइन की पश्चिम की ओर स्थिति पुल के नीचे एक छोटे भाग में चले गए। पुलिस महा-निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) द्वारा यह पता लगाने के लिये जांच का आदेश दिया है कि क्या पुलिस ने झुग्गियों को गिराया था तथा भूमि को खाली करने के लिये लोगों पर दबाव डाला था व जोर जबरदस्ती की थी।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना

6082. **श्री तुलसी दास दासप्पा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एयरोनटिक्स लिमिटेड में जिन अधि-कारियों पर उत्पादन संदाय अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते उनके उत्पादान की गणना करने के लिये मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है;

(ख) क्या इन दो उपक्रमों में इस संबंध में कोई अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने का है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : यह सच है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के जो अफसर उपदान भुगतान अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनके उपदान की राशि की गणना करते समय मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाता है, लेकिन हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड मे ऐसे ही अफसरों के मामलों में मंहगाई भत्ते को इस प्रयोजन के लिए मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाता।

इस मामले पर विचार किया जाएगा।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटिड में मंहगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय

6083. **श्री तुलसी दास दासप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या जिन अधिकारियों पर उपदान संदाय अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते उनके लिए मूल वेतन में मंहगाई भत्ता जोड़ कर उपदान की अदायगी की मंजूरी हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने दी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है और अनेक अधिकारी इस लाभ से वंचित हो गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

3 अगस्त, 1977 को होने वाली सदन की बैठक के लिये नरौरा में परमाणु बिजली घर का निर्माण

6084. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरौरा में निर्माणाधीन भारत के चौथे परमाणु बिजली घर का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के बहुत पीछे है जिसके फलस्वरूप इस बिजली घर से उत्पन्न होने वाली अत्याधिक आवश्यक बिजली अब शीघ्र उपलब्ध नहीं हो सकती;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ इंजीनियरिंग फर्मे रिएक्टर के सहायक पुर्जे समय पर सप्लाई करने में असफल रही हैं जिससे निर्धारित कार्यक्रम में विलम्ब तथा अनावश्यक घाटा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके पूरे तथ्य क्या हैं तथा इस परियोजना को पूरा करने में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सन् 1973 में परियोजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय ऐसा सोचा गया था कि नरौरा परमाणु बिजली घर के पहले और दूसरे यूनिटों के रिएक्टर क्रमशः सन् 1981 और 1982 के शुरू के दिनों में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, परियोजना के पहले यूनिट के सन् 1982 के अंत तक तथा दूसरे

यूनिट के सन् 1983 के अंत तक क्रांतिकता प्राप्त कर लेने की आशा है । क्रांतिकता प्राप्त कर लेने के कुछेक महीने बाद इनके पूरी तरह चालू हो जाने की आशा की जा सकती है।

(ख) क्रांतिकता की प्राप्ति में देरी होने के प्रमुख कारण हैं:--

(i) भू-स्वामियों के प्रतिरोध की वजह से परियोजना के लिए भूमि का अभिग्रहण करने में कुछ विलम्ब होना।

(ii) परियोजना स्थल के भूकम्पीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भवनों और उपस्करों संबंधी विश्लेषण और उनके अभिकल्पन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता।

(iii) शीतल जल का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकना संदिग्ध होने के कारण, शीतलन टावरों से युक्त संवृत शीतलन व्यवस्था के अपनाने के संबंधी निर्णय का देरी से लिया जाना, जिसकी वजह से उसकी सहायक व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होना।

(ग) तथा (घ) रिएक्टर के संघटकों का निर्माण करने वाली इंजीनियरी फर्में अब तक हुई देरी के लिए तथा उत्तरदायी नहीं हैं। रिएक्टर के अधिकांश संघटकों के निर्माण के लिए आर्डर दे दिए गये हैं। विभाग द्वारा प्राप्त किया गया कच्चा माल निर्माताओं को दे दिया गया है और संघटक तैयार किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है कि संघटकों का निर्माण वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार किया जाए।

'समाचार' के बारे में विशेषज्ञ समिति

6085. श्री किशोर लाल:

श्री हरि केश बहादुर: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "समाचार" के ढांचे का अध्ययन करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) इसके द्वारा अपने प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करने की आशा थी;

(ग) क्या इसमें कुछ विलम्ब हुआ और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की क्रियन्विति के लिए सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी): (क) समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

(ख) और (ग) सभी विचारार्थ विषयों पर सिफारिशें करने के लिए समिति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, किन्तु उसको उनमें से एक विचारार्थ विषय अर्थात "समाचार" के ढांचे पर अपनी सिफारिशें तीन हफ्ते के भीतर देनी थी । तथापि, जब समिति ने गवाहों से साक्ष्य लिए और समस्या का अध्ययन किया, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि एक विचारार्थ विषय को अलग करना संभव नहीं है क्योंकि वे सभी आपस में सम्बन्धित हैं।

अन्तर्निहित काम और समिति के सदस्यों की अन्य व्यस्तताओं को देखते हुए, कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं । तथापि, रिपोर्ट को यथा शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल में श्रमिक असंतोष

6086. **श्री कंवर लाल गुप्त**
श्री ओम प्रकाश त्यागी
श्री शंकर सिंह बघेला
श्री अनन्त दवे } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में श्रमिक असन्तोष है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) हड़ताल के कारण इस कम्पनी को कितना घाटा हुआ; और

(घ) इस स्थिति का मुकाबला करने तथा श्रमिक की कठिनाईयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) जी हां । बी० एच० ई० एल०, भोपाल में 14 जुलाई 1977 से 26 जुलाई 1977 तक श्रमिक अशांति थी।

(ख) सी 1 ग्रेड के कारीगरों द्वारा कम्पनी की पदोन्नति नीति के अन्तर्गत हकदार कारीगरों की काफी संख्या में पदोन्नति की बात को लेकर काम बन्द करो हड़ताल करने से 14-7-1977 को श्रमिक अशांति शुरू हुई। तदनन्तर हर तीन वर्ष में कर्मचारियों की पदोन्नति, सभी कर्मचारियों की मकान की व्यवस्था, अवकाश यात्रा रियायत का नकदीकरण, उन सभी कर्मचारियों की जिनके पास अपना वाहन है, अधिकारियों के बराबर सवारी भत्ता, सभी कर्मचारियों को चाहे वे बस्ती में रहते हों अथवा नहीं सवारी सहायता तथा कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को जिनके कार्य करने के घंटे 1974 में प्रति सप्ताह 41 घंटे से बढ़कर 48 घंटे कर दिये गये थे को प्रतिपूर्ति जैसी अन्य मांगें भी उठाई गई थीं।

(ग) काम बन्द करो हड़ताल के परिणामस्वरूप इस अवधि में उत्पादन में लगभग 5 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(घ) जिस तेजी से यह काम बन्द करो हड़ताल हुई और फैली है, उसके बावजूद भी भारत हैवी इलेक्ट्रिाकल्स लिमिटेड के प्रबंधक तत्काल बातचीत करने के इच्छुक थे, किन्तु उनके सामने यह कठिनाई थी कि बी० एच० ई० एल०, भोपाल में 20 अलग-अलग यूनियन काम कर रहीं थीं। सरकार इस स्थिति को राज्य सरकार के श्रम विभाग की जानकारी में लाई और परिणामों से समय-समय पर उन्हें अवगत कराती रही। उद्योग मंत्री ने राज्य के मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री से अनुरोध किया कि वे इस विवाद को हल करने में मध्यस्थता करें और उन्हें आश्वासन दिया कि पदोन्नयत नीति के बारे में श्रमिकों की मुख्य शिकायत पर ध्यान दिया जायेगा। सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा 19-7-1977 को अपनी एक संयुक्त परिषद् बना लेने के पश्चात् बी० एच० ई० एल० के प्रबंधकों ने विस्तृत बातचीत शुरू की और 26 जुलाई, 1977 को एक

समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 27 जुलाई, 1977 से काम फिर से सामान्य रूप से प्रारम्भ हो गया है और समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि उत्पादन में हुई हानि को 30 नवम्बर, 1977 तक पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से हर प्रकार का प्रयास किया जायेगा।

ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड की निरसा मुग्मा जोन के श्रमिकों में असंतोष

6087. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री ए० के० राय } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोल इण्डिया लिमिटेड की निरसा मुग्मा जौन में श्रमिकों के एक वर्ग में अभी हाल में बहुत असन्तोष उत्पन्न हुआ है।

(ख) क्या कुछ घटनाओं के कारण वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी श्री आर० पी० सह से लाल चन्दर नामक एक श्रमिक की मृत्यु के संबंध में स्थानीय पुलिस ने पूछताछ की थी ;

(ग) क्या यह सच है कि सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री लछमन सिंह के विरुद्ध कोई बात ध्यान में आई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ग), (घ) व (ङ) : ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्र संख्या 8 के क्षेत्रीय महा (प्रबंधक सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी नहीं) श्री लक्ष्मण सिंह के खिलाफ मंत्रालय को कुछ शिकायतें मिली थीं जिनकी प्रबंधकों तथा साथ ही साथ कोयला विभाग द्वारा जांच की गई। श्री लक्ष्मण सिंह की अब उनके वर्तमान पद से बदली करदी गई है।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/120-बी/34/80 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत निरसा पुलिस थाना की केस संख्या 26/3/76 के संबंध में पुलिस ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी श्री आर० पी० सिंह से पूछताछ की गई है। यह मामला श्री लाल चन्द राजाभर की 25-3-76 की हुई मृत्यु से संबंधित है तथा इसकी जांच चल रही है।

साम्भर झील में नमक का उत्पादन

6088. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नमक के उत्पादन में काफी कमी हुई है क्योंकि राजस्थान की साम्भर झील गत वर्ष बाढ़ग्रस्त थीं ;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी पूर्ण व्यवस्था नहीं की जिससे लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन हो; और

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में प्रत्याशित बाढ़ को रोकने के लिये कोई उपाय किये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) देश के कुल वार्षिक नमक उत्पादन का लगभग 3% औसतन उत्पादन सांभर लेक, राजस्थान में होता है। अतः 1976 में इस झील में आई बाढ़ से देश में नमक उत्पादन पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को केवल इसी सीमा तक समझ लिया जाना चाहिए।

(ख) देश में नमक का उत्पादन सौर वाष्पन (सोलरएवोपोरेशन) के माध्यम से किया जाता है जो अनुकूल मौसम, शुष्क और गर्म मौसम की लम्बी अवधि और सामान्य वर्षा पर निर्भर करता है। इस प्रकार जहां उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं वहीं मौसम सम्बन्धी परिवर्तनों के कुछ उतार चढ़ाव होना अवश्यम भावी है।

(ग) 1975 की बाढ़ के बाद बाढ़ नियन्त्रण के लिए किये जाने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय विद्युत्त एवं जल आयोग, उत्तर रेलवे, जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा राजस्थान सरकार के सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण (बी० एण्ड आर०)—विभाग— के प्रतिनधियों की एक विशेषज्ञ तकनीकी समिति स्थापित की थी ।

समिति की सिफारिशों पर सरकार ने गुढ़ा आयोग बाँध की ऊंचाई और बढ़ाने का निर्णय किया है ताकि जलाशय में झील के पानी बहाव के दबाव को भली प्रकार नियन्त्रित किया जा सके। परियोजना की अनुमानित लागत जिसमें रेल की पटरियों का फिर से बिछाना भी शामिल है करीब 385 करोड़ रुपये हैं। कार्यान्वयन का कार्य उत्तर रेलवे को सौंपा गया है जो इस समय सौंपे हुए कार्य की क्रियान्वित कर रहा है।

लघु उद्योगों द्वारा तेल सिट्रोनेला के आयात पर प्रतिबन्ध की मांग

6089. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आसाम में लघु उद्योग विदेशों से तेल सिट्रोनेला के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या इस देश नें तेल सिन्ट्रोनेला का उत्पादन श्रम प्रधान है जिसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है; और

(ग) इस बारे में सरकार का अतिम निर्णय क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) गोलाघाट, आसाम के लघु उद्योग संघ ने सिट्रोनेला तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निवेदन किया है ।

(ख) जी, हां।

(ग) इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल पालिसी फार ए० एम०-1978 के अनुसार सिट्रोनेला तेल (आयल) के आयात पर पहले से ही प्रतिबन्ध लागू है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष 1975 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण; वाणिज्यिक पोत परिवहन (पोत परिवहन कार्यालय प्रपत्र) संशोधन नियम, 1976 और मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन अधिसूचनायें

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1975 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए। संख्या एल० टी०—896/77]

(2) (एक) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्यिक पोत-परिवहन (पोत परिवहन कार्यालय प्रपत्र) संशोधन नियम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र म अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० नि० 1005 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 897/77]

(3) नागालैंड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 22 मार्च, 1975 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आसाम के उपवर्जित क्षत्रों के लिए मोटरयान नियम, 1942 (नागालड संशोधन नियम, 1977) जो दिनांक 16 मई, 1977 के नागालैंड सरकार अधिसूचना संख्या टीपीटी/एमवी/105/76 म प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 898/77]

(दो) आसाम के अपवर्जित क्षत्रों के लिये मोटरयान नियम, 1942 (नागालैंड संशोधन नियम, 1977) जो दिनांक 27 मई, 1977 के नागालैंड सरकार अधिसूचना संख्या टीपीटी/एमवी/27/75 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये : देखिए सं० एल० टी० 898/77]

(4) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम 1976 जो दिनांक 7 जनवरी, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसई०सीई० 6 (8)/74-टीपीटी/171 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संख्या एफ 2(14)/71–टीपीटी/185 जो दिनांक, 7 जनवरी, 1977 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तरी क्षेत्र परमिट योजना के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन सम्बन्धी परिवहन पारस्परिक समझौते में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) दिल्ली मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 20 जनवरी, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईसीई 3 (29)/75—टीपीटी/697 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) उपयुंक्त मद (4) (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपयुंक्त मद (4) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 898/77]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वर्ष 1975–76 का प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह न माने जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन और अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय सर्तकता आयोग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह न माने जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 900/77]

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 533 (ङ) जो दिनांक 20 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 1977 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 478 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 938 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) दूसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 939 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) दूसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 942 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 901/77]

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : महोदय, कार्यसूची की मद संख्या 4(1) (i) उल्लिखित केन्द्रीय सर्तकता आयोग के प्रतिवेदन को सदस्यों में परिचालित किया जाना चाहिए क्योंकि हाल में पेश किये गये लोकपाल विधेयक के संदर्भ में इस का बहुत महत्व है। मद संख्या 4(1)(ii) में आयोग की सिफारिशें न मानने के कारण बताये गये ह। मैं समझता हूं कि यह सिफारिशें भूतपूर्व सरकार द्वारा नहीं मानी गई थी। क्या मंत्री महोदय इस बारें में कोई रोशनी डाल सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : परिचालित करने में आप को कोई आपत्ति नहीं होगी।

SHRI CHARAN SINGH : I am merely laying on the Table. If my hon. friend has any doubt, he may ask a question, I will reply.

अध्यक्ष महोदय : मैंने निदेश दिया है कि इसे परिचालित किया जाना चाहिए। हम इसे शीघ्रतिशीघ्र परिचालित करेंगे।

वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षायें आदि

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मशीनी औजार विकास परिषद के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 902/77]

(2) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 903/77]

(3) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 904/77]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 905/77]

(दो) (क) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 906/77]

(तीन (क) टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(5) उपर्युक्त मद (4) (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 907/77]

(6) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सीमेंट (गुण प्रकार नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 178 (ड०) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 908/77]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (17वां संशोधन नियम), 1944

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : महोदय, मैं श्री एच० एम० पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 538(ङ) जो दिनांक 22 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 539 (ङ) जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 946 जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 909/77]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा

(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1944 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 945 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 910/77]

आवश्यक वस्तु अधिनियम ,1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा अधिसूचना सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 491 (ङ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) सा० सां० नि० 529 (ङ) दिनांक 18 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 491 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(तीन) कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1977 जो दिनांक 18 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 530 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) उपर्युक्त मद (17) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 911/77]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा 2 अगस्त, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 जुलाई, 1977 को पास किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन से सहमत हुई है ।

(दो) कि राज्य सभा 2 अगस्त, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 1977 को पास किए गए पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(तीन) कि राज्य सभा 2 अगस्त, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 1977 को पास किए गए चाय (संशोधन) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हथकरघा कपड़े के जमा हो जाने से उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में

श्री प्रसन्न भाई मेहता : (भावनगर) : महोदय, मैं वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"करोड़ों रुपए के मूल्य के हथकरघा कपड़े के जमा हो जाने और सूत, कृत्रिम रेशम के धागे, रंजकों तथा अन्य रसायनों जैसी आवश्यक सामग्री के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप बुनकरों के समक्ष उपस्थित आर्थिक संकट से, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गए हैं, उत्पन्न गम्भीर स्थिति के समाचार"

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अध्यक्ष महोदय : विगत सितम्बर/अक्तूबर मास के दौरान वस्त्रों के सम्बन्ध में उपभोक्ता मांग में मंदी का आना वस्त्र बाजार की सर्वविदित बात है । इस पृष्ठभूमि को देखते हुए राज्यों में हथकरघा वस्त्र की विद्यमान स्टाक स्थिति को असामान्य नहीं कहा जा सकता । आशा है कि जैसे ही मौसमी मांग को, विशेष रूप से ओनम, पूजा और दिवाली त्यौहारों की मांग को पूरा करने के लिए अगले कुछ सप्ताहों में खरीदारी मौसम शुरू हो जाएगा, बाजार में फ़िर से तेजी आ जाएगी ।

2. यह उल्लेखनीय है कि हथकरघा वस्त्र की बिक्रिया पर हाल ही में मार्च/अप्रैल 1977 के दौरान 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी गई थी ताकि राज्य अपने संचित माल को निकाल सकें । उनसे प्राप्त हुए अनुरोधों के आधार पर भारत सरकार ने तमिलनाडु, केरल तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों को कुल मिलाकर 5 करोड़ रु० के ऋण भी मंजूर किए जिससे शीर्ष सहकारी समितियों प्राथमिकता समितियों के हथकरघा उत्पाद खरीद सकें। बहुत से राज्यों से सूचना मिली है कि छूट देने के परिणाम स्वरूप माल की तेजी से निकासी हुई है । उदाहरणार्थ, तमिलनाडु

से सूचना मिली है कि फ़रवरी 1977 में उनके पास जो 20 करोड़ रु० का माल जमा था उसमें से 18 करोड़ रु० के माल की बिक्री हुई । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल तथा केरल की सरकारों ने भी भारी मात्रा में बिक्री होने की सूचना दी है और उन्होंने बताया है कि उनकी स्टाक स्थिति सामान्य है । केवल आन्ध्र प्रदेश ने भारी मात्रा में माल इकट्ठा होने की सूचना दी है जो अनुमानतः 10 करोड़ रु० का है । विशेष छूट अवधि के दौरान 6 करोड़ रु० के स्टाक की निकासी हो जाने के बावजूद यह स्थिति है । हमें सूचना मिली है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने शीर्ष संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र से भी माल की खरीद की पेशकश की है बशर्ते एकाकी बुनकर सहकारी समितियों के सदस्य बन कर अपना माल बिक्री के लिए, प्रस्तुत कर तथा सहकारी समितियों के लिए काम करना जारी रखे । जहां तक हमारी बात है केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत हाथ में लिए गए विशेष विकास कार्यक्रम के अलावा हम ने शीर्ष विपणन समिति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण काफ़ी बढ़वा दिया है और ये 3 करोड़ रु० से बढ़ कर 4.50 करोड़ रु० हो गया है । इससे शीर्ष समिति को प्राथमिक समितियों से और अधिक माल उठा सकने में समर्थ हो जाना चाहिए ।

3. 1976–77 मौसम में रुई के उत्पादन में गिरावट के कारण विगत कुछ समय से सूत की कीमत बढ़ रही हैं । हमने रुई तथा मानव निर्मित रेशायार्न का भारी मात्रा में आयात करने के लिए व्यवथा की है; घरेलू प्राप्यता में और भी वृद्धि करने के लिए विकेन्द्रित क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यार्न के निर्यात की मनाही कर दी गई है । हाल ही में हमने राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सहकारी तथा निजी मिलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है । इस बात पर सहमति हो गई है कि वे शीर्ष समितियों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से मिल से चलते समय की कीमतों पर हथ करघा बुनकरों को बड़ी मात्रा में यार्न उपलब्ध कराएंगे । उन्होंने यह भी वायदा किया है कि आवश्यकता पड़ने पर वे यार्न डिपो खोलेंगे ताकि बुनकरों को सीधे बिक्री की जा सके ।

4. विस्कोस फ़िलामट यार्न के कत्तिन और उसके प्रयोक्ता अपनी स्वेच्छिक व्यवस्था जारी रखने पर सहमत हो गए हैं जो वितरण तथा कीमतों को कवर करेगी । कत्तिन इस बात पर भी सहमत हैं कि मार्च, 1977 के अन्त तक बकाया निकलने वाली सप्लाइयों को अगले दो महीनों में निपटा दिया जाएगा । घरेलू प्राप्यता बढ़ाने के लिए विस्कोस फ़िलामेंट यार्न का निःशुल्क आयात करने की अनुमति दे दी गई है ।

5. रंजक तथा रसायन सामग्री के मामले में, जैसा कि सुविदित है, पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ जाने से विश्व बाजार के अनुरूप पिछले दो वर्षों में रंजक सामग्री की कीमतें भी बढ़ती रही हैं । जनवरी तथा जून 1977 के बीच थोक कीमतों के सूचकांक में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वे सामान्यतः प्रयोक्ताओं द्वारा खुले बाजार में खरीदे जाते हैं । राज्य सरकारों और शीर्ष समितियों को वस्त्र आयुक्त द्वारा अवसूचित किया गया है कि वे स्वदेशी विनिर्माताओं को सुपुर्दगी अनुदेशों के साथ दीर्घावधि आधार पर पक्के आर्डर दें और इस मामले में स्वदेश विनिर्माताओं को भी उपयुक्त रूप से बता दिया गया है ।

6. क्रास रील्ड हैंक यार्न पर उत्पादन शुल्क और हथकरघा वस्त्रों पर प्रोसेसिंग शुल्कों के सम्बन्ध म चालू वर्ष के बजट में दी गई छूट/रियायत में भी एक और हथकरघा बुनकरों

को यार्न की लागत पर तथा दूसरी ओर हथकरघा उत्पादों की विक्रय-क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

7. हथकरघा क्षेत्र में जनता धोतियों तथा साड़ियों के उत्पादन की योजना अब 11 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र द्वारा क्रियान्वित की जा रही है । योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा मार्च 1978 तक 10 करोड़ मीटर के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जून 1977 के अन्त तक उत्पादन का स्तर 2 करोड़ मीटर तक पहुच चुका है। इस योजना को जहां भी शुरू किया गया है वहां यह बुनकरों का खास तौर से जैसे-तैसे जीवन निर्वाह करने वाले बुनकरों को एक वरदान सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इससे उन्हें काम का मिलना सुनिश्चित हो गया है और उनकी आमदनी में सुधार हुआ है ।

8. जैसा कि सदस्यों को मालूम है, हथकरघा क्षेत्र में ढांचा सम्बन्धी कुछ स्वाभाविक कमजोरियां हैं और वस्त्रों की मौसमी मांग होने से उसमें और भी कमजोरी आ जाती है । हमने इस क्षेत्र के केन्द्रीय योजना आबंटन को दुगना कर दिया है, गत वर्ष यह 10 करोड़ रु० से भी कम था जो चालू वर्ष में 20 करोड़ रु० कर दिया गया है । इस क्षेत्र में उत्पादन आधार तथा विपणन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए हमने कुछ उपाय किए हैं ताकि उसे सुनिश्चित तथा स्थायी आधार पर आधारभूत कच्चा माल मिल सके और वह बाजार के उतार-चढ़ाव का मुकाबला कर सके ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : महोदय, हथकरघा बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र की समस्याएं एक दिन में पैदा नहीं हो गई । अभी हाल में हथकरघा बुनकरों की दिल्ली में एक गोष्ठी हुई थी, जिस का उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया था और शायद वाणिज्य मंत्री उसके अध्यक्ष थे । उस गोष्ठी का उद्देश्य बुनकरों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना था ।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछना क्या चाहते हैं । नियमों के अनुसार आप प्रश्न पूछ सकते हैं भाषण नहीं दे सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : महोदय मेरा एक निवेदन है । कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति में इस ध्यान आकर्षण के लिए 5 सदस्यों को 40 मिनट का समय देने का निर्णय किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : : मेरा मार्गनिर्देश नियम करते हैं । नियमों में केवल प्रश्न पूछने की व्यवस्था है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : : फ़िर उन्हें बदलना होगा ।

श्री पी० के० देव : (कालाहोडी) : मेरा निवेदन है कि यह परम्परा है :

SHRI JANESHWAR MISHRA (Allahabad) : It means that the procedure which was being followed in regard to call attention before prior to assuming office by you was incorrect.

अध्यक्ष : मैं केवल नियमों से मार्गदर्श प्राप्त करता हूं और नियमों में केवल एक प्रश्न पूछने की व्यवस्था है ।

श्री श्यानन्दन मिश्रा : (बेगूसराय) : महोदय तारांकित प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न पूछना और बात होती है तथा ध्यान आकर्षित का प्रश्न पूछना और बात होती है। दोनों में काफ़ी अन्तर है । ध्यान आकर्षित का प्रश्न पूछने में विषय का बिस्तार करना होता है, इस

लिए एक परम्परा बन गई है कि ध्यान आकर्षण का अनुपूरक पूछते समय विषय पर प्रकाश डाला जाता है ।

श्री डी० एन० तिवारी : (गोपालगंज) : सदस्यों के अधिकार को आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता । अब तक प्रत्येक लोक सभा में सदस्यों को प्रश्न का विस्तार करने की अनुमति जाती रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है । आप बार-बार खड़े हो रहे हैं । कृपया अपने स्थान पर बैठिए । नियम 197 (2) के अनुसार वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा । किन्तु कार्यसूची में जिन सदस्यों का नाम है, वे एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि इसका इस सभा सदस्यों के अधिकार से सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले वक्तव्य को तीन मिट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए और शेषवक्ताओं को दो-दो मिनट का समय लेना चाहिए इस तरह कुछ आधे घंटे का समय इस मद पर लगना चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते : आइंसट्रीन के सापेक्षता सिद्धान्त के अनुसार समय भी निरपक्ष नहीं होता . . . . . (व्यवधान)

श्रीमती वी० विजयलक्ष्मी : (शिव काशी) : अध्यक्ष महोदय अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहती हूं । यदि आप इन नियम-विनियमों के बारे में इतने सख्त हैं तो फिर हमें हथकरघा बुनकरों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक या दो घंटे का समय दें ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के हित के लिए ही नियम बनाए जाते हैं ताकि प्रत्येक विषय पर चर्चा की जा सके ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको तीन मिनट का समय दिया जाता है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : श्रीमान, मैं तीन मिनट में अपने विचार कैसे प्रकट कर सकता हूं । यह संभव नहीं है कम से कम से कम पांच या सात मिनट का समय दीजिए ।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : श्रीमान नियमानुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए 30 मिनट का समय अवश्य दिया जाना चाहिए ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : आपात स्थिति के दौरान मूल्य बढ़ गए । और सुनियोजित वस्त्र उद्योग ने इसका लाभ उठाया है और रेशा धागे की सप्लाई रोक दी । इससे बुनकरों को धागा उपलब्ध नहीं हुआ और इसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान उनके करघे बेकार पड़े रहे । अब समस्या बड़ी गंभीर है । भूतपूर्व सरकार ने इस उद्योग की ओर ध्यान नहीं दिया है । किन्तु अतीत में की गई लापरवाही पर दोषारोपण करने से समस्या हल नहीं होगी । आशा है कि मंत्री जी पटसन उद्योग, रुग्ण सूती वस्त्र मिलों को अपने अधिकार में लेने, कृत्रिम

सिल्क बुनकरों को कृत्रिम रेशमी धागे की सप्लाई करने तथा खाने के लिए तेलों के अधिक मूल्य में कमी करने जैसे नाजुक मामलों को हल करने की ओर विशेष ध्यान देंगे । इन समस्याओं को हल करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय उद्योग मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय को मिल कर काम करना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने धागों, रसायनों तथा अन्य साधनों की सप्लाई के लिए क्या कदम उठाए हैं ।

श्री मोहन धारिया : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता में शरीक हूं । हमने कुछ अल्पावधि उपाय किए हैं तथा दीर्घावधि उपायों के लिए भी योजना बना रहे हैं । यह सही है कि धागा उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है । हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करें । हमें उत्पादकों से भी सहयोग मिल रहा है । इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग तथा वस्त्र उद्योग के काम में आने वाले रेशों के लिए एक राष्ट्रीय समन्वित नीति बनाने की आवश्यकता है और इस दिशा में हमने कार्यवाही भी शुरू कर दी है ।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : 24 रेशा धागा बुनने वाली मिलों के अतिरिक्त 115 सूती धागा बुनने वाले एकक भी कार्य कर रहे हैं । जब इतने एकक रेशा धागे का उत्पादन कर रहे हैं तो फिर इनकी इतनी कमी क्यों चल रही है । क्या यह कमी कृत्रिम है या वास्तविक ? तमिलनाडु को बारीक रेशमी धागे की बहुत मात्रा में आवश्यकता है । अब वस्त्र आयुक्त, बम्बई तथा हथकरघा विकास आयुक्त, नई दिल्ली को कहा जा रहा है कि वे इस राज्य की इस आवश्यकता को पूरा करें और समुचित मूल्य पर उन्हें बारीक रेशमी धागा उपलब्ध करें ; इस समय बारीक रेशमी धागे के मूल्यों तथा वितरण के सम्बन्ध में कोई सांविधिक नियम नहीं है । इसकी नियमित सप्लाई के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ? मैं जानना चाहती हूं कि क्या मिलें कम उत्पादन कर रही हैं या वास्तव में इसकी कमी है । यदि अधिक धागे का उत्पादन किया जाएगा तो इससे हमें जो विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है वह कम हो जाएगी ।

क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ? क्या सरकार शिवरमन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार रखती है ? जब तक इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा तब तक हथकरघा क्षेत्र के साथ न्याय नहीं होगा ।

श्री मोहन धारिया : जहां तक मानव निर्मित रेशा उद्योग में उत्पादन का सम्बन्ध है, हम उन्हें उनकी पूरी क्षमता को उपयोग में लाने के लिए सभी प्रकार का यथा संभव सहयोग देंगे । हम ऐसी वस्तुओं का अधिक आयात नहीं करना चाहते जिनका कि हम अपने देश में उत्पादन कर सकते हैं । जहां तक वितरण व्यवस्था का सम्बन्ध है, मानव निर्मित धागों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को हमने यह नहीं कहा है कि वे स्वेच्छा समझौते के अनुसार काम करें ।

तमिलनाडु के विकास आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि वह सितम्बर, 1977 से वितरण की जिम्मेदारी संभालेंगे ।

हथकरघा उद्योग के लिए उन्होंने जो अतिरिक्त राशि की मांग की है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

शिवरमन समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने की मांग की गई है । दुर्भाग्य से शिवरमन समिति ने विद्युत करघे और संयुक्त क्षेत्र को एक जैसा ही समझा है । ऐसा नहीं

हो सकता । विद्युत करघा उद्योग की विकेन्द्रीकृत उद्योग है । इसलिए मैं प्रथम संरक्षण हथकरघा उद्योग को दूंगा ।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : : कहा गया है कि शिवरमन समिति ने हथकरघा तथा विद्युत करघा उद्योग को एक समान समझा है । किन्तु प्रतिवेदन से पता चलता है कि रंगीन साड़ियों का निर्माण हथकरघा क्षेत्र को करना चाहिए ।

मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जब तक सरकार धागे की नियमित सप्लाई के लिए कोई कानून नहीं बना देती तब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जनता धोतियों तथा साड़ियों का निर्माण विद्युत करघा उद्योग द्वारा किया जा रहा है ।

श्री मोहन धारिया : जहां तक आरक्षण के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह नीति बनाई जा चुकी है कि इन आरक्षणों का सख्ती से कार्यान्वित किया जाएगा । इसके कार्यान्वयन की जिम्मदारी राज्य सरकारों पर है । यदि यह शिकायत मिलती है कि तमिलनाडु सरकार इसे कार्यान्वित नहीं कर रही है तो मैं राज्य सरकार से इस बारे में बातचीत करूंगा ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : (चित्तूर) : आन्ध्र प्रदेश में कई स्थानों पर बुनकरों द्वारा सत्याग्रह चल रहा है । कहा गया है कि तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, केरल सरकार को 5 करोड़ रुपये दिए हैं जब कि आन्ध्र प्रदेश को इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है । आन्ध्र प्रदेश से 10 करोड़ रुपये का कपड़ा भी नहीं उठाया गया है । इस बारे में मंत्री महोदय क्या कर रहे ह ? क्या उन्होंने इसके लिए कोई योजना तैयार की है ? बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ? इनकी कठिनाइयां स्थायी रूप से हल की जानी चाहिए। आरक्षण की कोई निश्चित नीति होनी चाहिए ।

श्री मोहन धारिया : उस समय हथकरघा उद्योग के लिए अतिरिक्त धन की मांग केवल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल ने की थी । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस तरह की कोई मांग नहीं की किन्तु फिर भी मैं वहां की सरकार से बात चीत करूंगा और देखूंगा कि उनकी सहायता के लिए क्या किया जा सकता है । दीर्घावधि उपायों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं ।

डा० हेनरी आस्टिन : : वस्त्र उद्योग को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । इस धंधे में कार्य कर रहे लोगों में से 70 प्रतिशत लोगों की स्थिति विद्युत ही दयनीय है । कन्नौर जिले में क्रेप नामक कपड़े का उत्पादन होता है, जिसकी देश में ही नहीं वरन् विदेशों में भी बहुत मांग है । अस्थायी तौर पर कदम उठाए गए हैं । किन्तु स्थिति अभी भी गंभीर है । ओनम त्योहार आ रहा है और वहां के लोग इस अवसर पर नए कपड़े पहनते हैं किन्तु जब उनके पास क्रय शक्ति नहीं होगी तो वे लोग कपड़े कैसे खरीदेंगे ।

रसायनों तथा अन्य वस्तुओं की काला बाजारी होने के कारण भी यह स्थिति और खराब होती जा रही है । कहा गया है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को सूती धागे के निर्यात के लिए कहा गया है और देशी उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है । किन्तु काला बाजारी को रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे ।

आप खादी पर 20 प्रतिशत की छूट देते हैं । किन्तु हथकरघे पर आप केवल त्योहारों

के अवसरों पर ही छूट देते हैं। इस तरह का भेदभाव क्यों किया जाता है खादी की तरह हथकरघा उद्योग भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भी निर्धन लोग काम पर लगे हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि करोड़ों रुपए के मूल्य का हथकरघे का कपड़ा जमा हुआ पड़ा है तथा बुनकरों तथा इस उद्योग में लगे लोगों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्या सरकार दीर्घावधि उपायों के अतिरिक्त अल्पावधि उपाय भी कर रही है ?

श्री मोहन धारिया : इस बारे में हमने हथकरघों द्वारा तैयार कपड़े पर भी 20 प्रतिशत की छूट दी है। किन्तु खादी और हथकरघे में जो अन्तर है, उसे आपको भूलना नहीं चाहिए। कताई मिलों द्वारा तैयार किए गए धागे का उपयोग हथकरघा द्वारा किया जाता है। किन्तु खादी में हाथ का बुना धागा उपयोग में लाया जाता है। यह रोजगार प्रधान होता है और इसमें मशीन का कम उपयोग होता है।

जहां तक क्रेप के कपड़े का सम्बन्ध है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय में आयात करने वाले देशों ने यह पाबन्दी लगा दी है कि वे क्रेप या क्रेप से बने कपड़े का आयात नहीं करेंगे। हमने वस्त्र निगरानी संघ में इस पाबन्दी के विरुद्ध मामला उठाया है और उसने हमारे देश के पक्ष में निर्णय दिया है। लेकिन यह दिसम्बर के अन्त तक होगा। हम व्यापार और प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से अच्छे करार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : (अम्बलापुरम) : आन्ध्र प्रदेश में वस्त्रों का भंडार जमा हो जाने के कारण कई बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। उस क्षेत्र में लगे अधिकांश लोग निर्धन हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में अधिकांश बुनकर मुसलमान हैं। आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में अधिकांश बुनकर निर्धन हैं। सरकार को इन लोगों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। धागा, रसायन आदि उपलब्ध करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह हथकरघा उद्योग में काम आने वाली वस्तुओं की वसूली करके उन्हें उत्पादकों को समुचित मूल्य पर बेचे। सरकार हमारे राज्य को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठा रही है ? जमा हुए स्टाक को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहन धारिया : आन्ध्र प्रदेश की समस्या के बारे में मैं वहां के प्रतिनिधियों से बात-चीत करूंगा और फिर देखेंगे कि हम कहां तक उनकी सहायता कर सकते हैं। सरकार विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है।

इसके पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 10 मिनट म० प० तक के लिये मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 10 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after such at ten minutes past Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS'

पांचवां प्रतिवेदन

श्री रामचन्द्र कदनापल्ली: (कासरगोड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाईन के निर्माण के लिये वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन करने के बारे में वक्तव्य।

STATEMENT REGARDING CHANGE IN THE FINANCIAL ARRANGEMENTS FOR THE CONSTRUCTION OF SHAHADARA-SAHARANPUR RAILWAY LINE

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : शाहदरा से सहारन पुर तक की पुरानी छोटी लाइन के स्थान पर, जो 1970 से बन्द कर दी गई थी, एक नई बड़ी लाइन के निर्माण-कार्य को, अगस्त 1973 में संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई रेल मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की पूरक मांगों के जरिए, संसद का अनुमोदन प्राप्त हो गया था। यह अनुमोदन इस आधार पर किया गया था कि इस लाइन को चलाने के लिए एक निगम बनाया जाएगा जिसके लिए धन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय द्वार संयुक्त रूप से की जाएगी और बड़े आमान की इस लाइन के निर्माण तथा इसे चलाने का खर्च केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लाइन के निर्माण पर होने वाले खर्च के लिए अभी तक 2.15 करोड़ रुपए दिए हैं। इस परियोजना के लिए और अधिक धन देने में उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि हावड़ा-आमता, हावड़ा-शियाखला और जाखापुरा-बांसपानी लाइनों के मामले में, जिनका निर्माण-कार्य भी इसी आधार पर शुरु किया गया था कि इनके निर्माण पर होने वाला 50 प्रतिशत खर्च सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा, एक संशोधित वित्तिय व्यवस्था पहले ही स्वीकार कर ली गई है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारें इन परियोजनाओं के लिए केवल भूमि की व्यवस्था ही करेंगी। इसी आधार पर सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि इस परियोजना पर होने वाला खर्च भी रेल मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा दी गई 2.15 करोड़ रुपए की रकम का विनियोग इस परियोजना के लिए भूमि और लकड़ी के स्लीपरों पर होने वाले खर्च के रूप में कर दिया जायेगा। इस रेलवे लाइन को चलाने के लिए संयुक्त निगम बनाने का विचार भी छोड़ दिया गया है और जब यह लाइन बन कर तैयार हो जाएगी, तब इसे उत्तर रेलवे के भाग के रूप में चलाया जाएगा। व्यवस्था में किए गए परिवर्तन के बारे में मैं इस बयान के द्वारा सदन को सूचित कर रहा हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति परिषद की बठक

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मुझे 26 जुलाई को एक तार संदेश मिला था जिसमें मुझे यह कहा गया था कि लक्षद्वीप परामर्शदात्री परिषद की बैठक, जो आज शुरू होनी थी में भाग लेने के लिए मुझे 27 जुलाई को कोचीन होते हुए करवती पहुंचना था। ऐसी परम्परा है कि इस प्रकार के संघों की दिल्ली से बाहर की बैठक में संसद सदस्यों को नहीं बुलाया जाता जबकि संसद का अधिवेशन चल रहा हो। अतः ज्योंही मुझे तार मिला मैं गृह मंत्री से मिला और मैंने इस

बारे में सूचना दी। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले पर विचार किया जाएगा। इसके बाद मुझे गृह मन्त्री जी से यह सूचना मिली कि बैठक के स्थगित होने की सम्भावना है। लेकिन मुझे अब सूचना मिली है। कि बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी अर्थात बैठक आज होने वाली है। अतः मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे वास्तविक स्थिति के बारे में वक्तव्य दें।

(दो) उत्तर प्रदेश में गंगा और घाघरा का जल स्तर बढ़ जाने, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बाढ़।

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur) : I want to draw the attention of the House to the recurring problem of floods in the country. Every year the Government has to spend crores of rupees on relief measures to help the flood-affected people. But this not going to solve the problem. This is clear from the fact that this year again practically the whole of Northern India including Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Bihar and West Bengal are facing serious flood situation. Therefore, what is needed is that the Government should formulate a long-term programme for flood control.

So far as Uttar Pradesh is concerned, vast areas of Jaunpur, Ballia and Ayodhya are inundated. If the maize and rice crops are destroyed in Jaunpur, the area will be faced with a famine. Therefore, it is high time, Government took some concrete steps to deal with the situation. Apart from providing some immediate relief to the affected some long-term planning is also required.

Let the Minister of Agriculture and Irrigation come out with a statement giving details of the flood situation in Northern States and we should get an opportunity to express our views in this regard on the basis of which a long-term scheme for flood control should be formulated.

SHRI D. G. GAWAI (Buldhana) : Sir, One point of order. The discussion on the report of scheduled castes and scheduled tribes commissioner is being discontinued daily. The discussion should be held continuously.

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(तीन) **मंगलौर सिटी और मंगलौर ताल्लुक में हाल की बाढ़ों से हुई तबाही**

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मैं सदन का ध्यान मंगलौर शहर और मंगलौर ताल्लुके में हाल में लगातार और जोरदार वर्षा से आई बाढ़ के कारण लोगों की दुःखद स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। लगभग 1100 लोग बेघरबार हो गये हैं। 160 से 175 घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं और 40 मकान पूरी तरह नष्ट हो गये हैं। अधिकांश मकान हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों के हैं। लोग अपने कपड़ों तथा आवश्यक वस्तुओं से वंचित हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को चुप होकर नहीं बैठना चाहिए। सरकार शीघ्र ही प्रधान मंत्री सहायता कोष तथा केन्द्र से वित्तीय सहायता देने के बारे में वक्तव्य दे।

(चार) विभिन्न राज्यों की पटसन मिलों में बड़े पैमाने पर छंटनी, बन्द, अवैध ताला बन्दी जबरन छुट्टी से उत्पन्न गंभीर स्थिति।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं तथा श्री सोमनाथ चटर्जी विभिन्न राज्यों की 15 से अधिक पटसन मिलों में बड़े पैमाने पर छंटनी, बंदी, अवैध तालाबन्दी, जबरी छुट्टी से उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में, जिसके कारण 60,000 मजदूर प्रभावित हुए हैं, सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, कानपुर की जे० जे० पटसन मिल ने तालाबन्दी कर दी है, जिससे 5,000 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। इतना ही नहीं अनेक पटसन मिलें मजदूरों और सरकार को डरा रही हैं, कि वे कच्चे पटसन की कमी का झूठा बहाना बनाकर मिल बन्द कर देंगे।

3 जुलाई को जब वाणिज्य मंत्री कलकत्ता आये थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी पटसन मिलें बन्द नहीं होंगी जैसा कि मिल मालिकों का अनुमान है। यह तब तक नहीं होगा जब तक कि कच्चे माल की वास्तविक रुप से कमी नहीं होगी। उन्होंने राज्य सरकार से एक समिति बनाने का भी अनुरोध किया था। यह समिति बना दी गई है तथा इसकी पहली बैठक में भारतीय जूट मिल संगठन यह सिद्ध नहीं कर सका कि जूट की वास्तव में कमी है। जूट मिल मालिकों और संगठन का यह सदैव का रवैया रहा है कि जब भी जूट की नई फसल का मौसम शुरू होता है वे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे बाजार में जूट का मूल्य कम हो जाए।

यह लाखों कर्मचारियों और देश के पूर्वी भाग की वित्त व्यवस्था का प्रश्न है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि एक वक्तव्य दिया जाए तथा इस समस्या के हल के लिये ठोस कदम उठाए जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। अब आगे मत कहिए।... (**व्यवधान**)।

अनसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें तथा 22वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

MOTION REGARDING TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : Mr. Deputy Speaker, the report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner is being discussed in a piece-meal way. This discussion should be completed in this very session. It should not be postponed for the next session.

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा इसी सत्र में ही समाप्त की जायगी--(**व्यवधान**)।

SHRI V. TULSIRAM (Peddapalli) :

The Chief Minister of Uttar Pradesh in his statement has said that atrocities were prepetrated on Harijans during the Congress regime and now no atrocities are being prepetrated on them. I strongly refute his statement. Recently there have been some incidents in different States in which Harijans were killed and atrocities were committeed on them.

I had given a calling attention notice on the atrocities on Harijans in Andhra Pradesh and elsewhere. But that has not been admitted by the Speaker. No time could be found for discussing this matter. It is regrettable that while the House can discuss other matters, it can not find time to discuss this important problem of Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The people want the Janata Government to do something constructive and positive for their welfare and for the welfare of the poor and the downtrodden and not to remain content with criticising Shri Sanjay Gandhi and Smt. Indira Gandhi day in and day out.

AN HON. MEMBER : Talk about the Harijans.

SHRI V. TULSERAM : I am talking about the Harijans, just now I pointed out Belchi incident..... (*Interruption*)

It is being said that during the Congress regime ghastly atrocities were committeed on Harijans. But it is not a fact. There is no use criticising Mr. Sanjay Gandhi and Smt. Indira Gandhi. People want that the Janata Party should do something for the welfare of the people. The incidents of ghastly atrocities have increased substantially during the last 3 months. In fact the incidents in the past 3 months have far exceeded those which had taken place during the last 30 years..... (*Interruption*)

You can not please the people merely by discussing unnecessary topics here. If you discuss Mr. Sanjay Gandhi and Smt. Indira Gandhi day in and day out, you will be making Heros of them..... (*Interruption*)

I, therefore, urge upon the Minister to take concrete steps with a view to safeguarding the lives and property of Harijans and ensure their welfare.

*SHRI HARISHANKAR MAHALE (Malegaon) : The previous Government made tall claims about their concern for Harijans but had not laid the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the last seven years. This shows how they had been misleading the Harijans all these years.

The responsibility for the atrocities and excesses which are being committed against Harijans falls on the previous Government to a great extent. I will, however submit that mere discussion on the reports will not serve any purpose. What is required is their implementation. I hope that the Janata Government will implement the recommendations expeditiously.

According to 1971 census, the number of people belonging to the Scheduled Tribes was 12 crores; the Adivasis numbered four crores. 70 percent of these people are landless and 90 percent of them live below the poverty-line. All of them live on forest land and are doing odd jobs. Now the forests are being cleared and as a result, the very existence of those tribals has been threatened. I would suggest that Government should took into this problem and provide adequate means of employment to them.

There should be two separate Commissions, one for the scheduled Castes and the other for the scheduled tribes. Separate Ministries should be established to look after their welfare, both at the Centre and the States. Special departments should be set up to look after their education, employment, training etc.

Financial assistance should be given to the tribals and Harijans engaged in small crafts. More industries should be located in the rural areas so that opportunities of employment would be created for them. Land reform should be expedited, long term and interest-free loans should be made available to them to start dairy-farming etc.

Housing Societies should have atleast 30 percent members belonging to scheduled tribes. Boarding Houses should be established in big cities for students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Reservation in Services should be strictly adhered to. A machinery should be evolved so that the implementation of the recommendations of the Commissioner for scheduled Castes and Scheduled Tribes would be assured. People's representatives should be included in that machinery from block levels onwards. Only then proper implementation of these reports can be ensured.

श्री हुकम राम (जालोर) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन 7 वर्ष के बाद चर्चा के लिये सभा पटल पर रखे गये हैं। इससे पता चलता है कि भूतपूर्व सरकार ने इन 30 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये कुछ नहीं किया वे अब तक इन लोगों को केवल मौखिक सांत्वना ही देते रहे हैं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : प्राय: जब कोई सदस्य सभा में अपना पहला भाषण देता है तो उसके भाषण में व्यवधान नहीं डाला जाता।

श्री हुकुम राम: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिय सेवाओं में आरक्षण केवल सरकारी विभागों में ही हैं। सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, न्यायपालिका और यहां तक कि लोक सभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। अत: प्रतिवेदन पर विचार किया जाने के इस

*मराठी में दिये गये भाषण के हिन्दी अनुवाद का संक्षिप्त अंग्रेजी रूपांतर।

Summarised translated version based on Hindi translation of the Speech delivered in Marathi.

वार्षिक मंत्र पाठ से यह समस्या हल नहीं होगी। आयुक्त द्वारा अनुच्छेद 338 के अधीन की गई सिफ़ारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए।

कहा जाता है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। वे अच्छे व्यक्तित्व वाले नहीं होते।

राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या के बारे में गलत आंकड़े दिए हैं। गृह मंत्री ने वे आंकड़े स्वीकार कर लिये हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन आंकड़ों की जांच की जाए।

बहुधा कहा जाता है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते और वे अच्छे व्यक्तित्व वाले भी नहीं होते। इस संबंध में उन्हें कुछ ढील दी जानी चाहिए। और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपेक्षित स्तर तक आ सकें।

प्रतिवर्ष पहली जनवरी को विद्यमान सभी राज्य सेवाओं और अखिल-भारतीय सेवाओं में रिक्त स्थानों का पता लगाना चाहिए और फ़िर उनकी प्रतिशतता निकाली जानी चाहिए। उसके तुरन्त बाद प्रतियोगी परीक्षाएं ली जानी चाहिए। मुझे आशा है कि जनता सरकार के शासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित कोटा शीघ्र भरा जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का स्थान और श्रेणी और अधिक सुदृढ की जानी चाहिए। आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से लिए गए कार्यालय जिन्हें पिछड़े वर्गों के कल्याण महानिदेशक के अधीन राखा गया था, वापस आयुक्त के अधीन कर दिए जाने चाहिए।

जहाँ तक आरक्षण का संबंध है, इसे संविधान के अनुच्छेद 335 के रूप में पठित संविधान के अनुच्छेद 16, खंड 4 के अन्तर्गत प्रत्याभूत किया गया है। यदि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सख्या के बारे में कुछ कमी या त्रुटी हो तो उसे संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड 4 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि किसी वर्ग विशेष की प्रतिशतता पूरी नही है तो इसके बारे में लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नही है। इस कार्यकारी प्रधिकार से सभी कमियां दूर की जा सकती हैं। लेकिन सरकार ने इस अनुच्छेद का कभी प्रयोग नहीं किया है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

जहाँ तक लोक सेवा आयोग का संबंध है ,किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना था लेकिन उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में लोक सेवा आयोग में वरीयता का क्या मूल्य रह गया है? यदि किसी स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाये और यदि लोक सेवा आयोग जो नागरिक सेवाओं में अधिकारों का संरक्षक है, वह ही इसकी परवाह न करे तो इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है?

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में भय और आशंका की भावना विद्यमान है। इसे दूर करना होगा। यदि यह कार्य करके उनमें विश्वास की भावना पैदा की जाये तो सरकार को दलित लोगों का समर्थन मिल सकता है।

SHRI D. G. GAWAI (Buldhana) : The description of harrowing atrocities and excesses which have been perpetrated on the Harijans in Bihar and other parts of the country can infuriate anyone. One would be constrained to think that it is a sin to be born as a Harijan. It is a slur on our country. It is doubtful if all the concessions, reservations in services and legislatures which are now available to Harijans will be able to remove the

stigma of untouchability with which they are born. So long as they are Harijans, this stigma will remain with them and no amount of money, position and power can wipe it out. I would, therefore suggest that the word 'Harijan' should not be used further.

It is regrettable that in this age in which we live today such incidents of atrocities against Harijans are still taking place. Harijans are being made victims of the atrocities and greed of Caste Hindus. The Harijans say that the Government is not providing protection to them. They are wrong they should face this evil themselves. We should not tolerate all this and we must not look towards Government for rescue and help. It is high time that we must unite ourselves in order to face such excesses and atrocities. If atrocities are committed against us we must pay back in the same coin. We must not lose our confidence and self respect. We will have to remove the word "Harijan" (*interruption*)

There are about 12 crores Scheduled Castes and Scheduled Tribes people in the country. They are loyal to the nation. Not only this, they are even ready to make any sacrifice for the nation. But the nation does not care for their welfare. Our leader Dr. Ambedkar founded our Constitution, but today you do not spare, even the Constitution. You have distorted it.... (*interruptions*)

We do not want that the country should be divided. We want unity in the country.. .... (*interruption*). As long as there is reservation and untouchability in the country, this evil of casteism will not go.

The tall claims which the previous Government had made about ameliorating the lot of Harijans had no basis. Even the provisions made under 20-point programme of Smt. Indira Gandhi were all farce and did not benefit Harijans. I, however, hope that the new Janata Government will be able to abolish the evil of caste system and bring prosperity to Harijans.

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV (Pratapgarh) : The problem of Harijans is very grave and complex. During the last 30 years of congress rule, they were subjected to untold atrocities and they were deprived of even constitutional safeguards. The quota reserved for them in services had not been fulfilled even today in any grade. The previous Government had paid no attention to the recommendations of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Article 45 of the Constitution provides for compulsory free education to the children below 14 years of age, but nothing has been done. As a result the boys of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are still illiterate and backward.

The policy and attitude of the previous Government in this regard is very well indicated by the fact that the quota reserved for these backward people had not been fulfilled on the grounds of suitability and lack of merit. Therefore, I would suggest that such scheduled castes and scheduled tribes candidates as have passed university examination in first or second class might be directly appointed and the quota reserved for them should be filled in that manner.

The present Government should also pay some attention towards providing land to those scheduled castes people who are landless and poor. Housing Colonies should be set up with a view to providing them residential accommodation.

Malacious propaganda is being made through press that recently there has been an increase in the atrocities against Harijans. In fact, there has been fall in the number of incidents of atrocities against them since the Janata Party has taken over. If necessary, even MISA can be used against the offenders, who commit atrocities against Scheduled

Castes and Scheduled Tribes people. The Home Minister should bring forward some legislation of the MISA type to check atrocities against them.

The previous Government had set up a Commission in 1953 for the upliftment of backward classes under the chairmanship of Shri Kaka Kalkar, but no action was taken on their recommendations. Now the Janata Government should try to implement those recommendations.

श्री **पी० ए० संगमा** (तुरा) : गत माह की 15 तारीख को आदिम जातियों के आयुक्तों के समक्ष भाषण देते हुए गृह मंत्री ने यह कहा था कि भारत में आदिवासियों की घोर उपेक्षा हुई है। मेरे विचार से आदिवासियों, अनुसूचित जातियों की न केवल घोर उपेक्षा ही हुई है बल्कि उनका अत्याधिक शोषण भी किया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी तथाकथित सुरक्षा के बावजूद आदिवासियों की दशा बद से बदतर हो गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की दशा तो और भी शोचनीय हो गई है।

जहाँ तक संचार व्यवस्था का संबंध है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम और नागालैण्ड को छोड़कर और कोई राज्य रेल से जुड़ा हुआ नहीं है। वहाँ लोग आधे पेट रह रहे हैं। उनकी दशा में सुधार करने के लिये गंभीरता से कदम नहीं उठाए गए। शिक्षा और छात्रावृत्तियों पर व्यय किया गया रुपया बेकार चला गया। सरकार ने मेरे राज्य के स्कूलों का स्तर सुधारने के लिये कोई प्रयन्त्न नहीं किया। न ही वहाँ अच्छे स्कूल कालेजों की स्थापना ही की गई है। मेरे राज्य में लड़कों तथा लड़कियों के लिये छात्रावास व्यवस्था नहीं है। समूचे नागे पाहड़ी जिले में एक सरकारी स्कूल है। सभी स्कूलों को गांव वाले अपने योगदान से चलाते हैं। अतः सरकार समूची समस्या पर गंभीरता से विचार करे। गलत आयोजन और नीति ही के कारण हम अब तक पिछड़े हुए हैं। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता अच्छी संस्थाओं की स्थापना करने की है। सुरक्षा की बजाए उनके स्तर को उठाया जाए जिससे वे अन्य लोगों से प्रतियोगिता कर सकें। हमें लगता है कि आरक्षण और सुरक्षा के नाम पर हमारा शोषण किया गया है। अतः सरकार पूरी स्थिति पर और विशेषकर शिक्षा की निति के संबंध में विचार करके उचित कदम उठाए।

श्री **पी० के० देव** (कालाहांडी) : मैं सदन का ध्यान उड़ीसा की भट्टारस जाति की ओर दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का जनजाति सूची में उन्हें भट्टारस कहा जाता है, उड़ीसा में उन्हें भट्टादास कहा जाता है। यह अंतर इस क्षेत्र के मद्रास प्रेसीडेंसी के कारण अधिकारियों के द्वारा सही उच्चारण न किये जा सकने के कारण हैं। इस उच्चारण दोष के कारण कालाहांडी के भट्टारस घाटा उठा रहे है। सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है। सरकार को इस गलती को ठीक करना चाहिए जिससे उड़ीसा के भट्टारस लोग संवैधानिक लाभों से वंचित न रहें। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का भी एक निर्णय है। अतः एक जिले से दूसरे जिले के बीच जातियों में भेदभाव न किया जाये। इस असंगति को एक कार्यकारी आदेश के द्वारा दूर किया का सकता है। गृह मन्त्री इस स्पकष्टीकरण को तुरन्त जारी करें जिससे उड़ीसा के भट्टारस भी उचित लाभ उठा सकें।

जब भी सदन को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्या का पता चलता है तब एक ही प्रश्न हमारे सामने उठता है और वह यह है कि हमने निदेशक सिद्धान्त 46 के बारे में क्या किया है? बहुत सी जनजातियां समाप्त होने की स्थिति में हैं। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।

एक अन्य प्रश्न यह है कि यह आरक्षण कब तक चलेगा? संविधान में 10 वर्ष की व्यवस्था की गई थी और इस व्यवस्था के अनुसार 1960 में इसे समाप्त हो जाना चाहिए था परन्तु अब इसे वर्ष 1981

तक बढ़ा दिया गया है। जनजातियों की सूची बढ़ती ही जा रही है। यदि हम वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पा सकें, उतना अच्छा होगा।

नए बौधों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाये। परन्तु यदि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है तो उन्हें वर्गहीन और जातिहीन समाज की आकांक्षा करनी चाहिए।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : REPORT OF THE COMMISSION OF INQUIRY INTO THE DISAPPEARANCE OF NETAJI SUHASH CHANDRA BOSE.

श्री समर गुह (कन्टाई): मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने संबंधी जाँच आयोग के प्रतिवेदन (1974) पर जो 31 दिसम्बर, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री चरण सिंह जी राष्ट्र भक्त एवं नेताजी के प्रशंसक हैं। महान् नेता सुभांष चन्द्र बोस के प्रति राष्ट्रीय दायित्व को निभाने में गत तीस वर्षों में कुछ नहीं किया गया। आशा है मंत्री महोदय इस दायित्व को पूरा करेंगे।

गत वर्ष जब हम जेलों में बंद थ, ब्रिटिश सरकार ने 'द ट्रांसफर आफ पावर' शीर्षक के अन्तर्गत अत्यन्त गोपनीय कागज़ों का प्रकाशन किया था तथा उसके छठे खण्ड में नेताजी के बारे में सनसनी खेज रहस्योदघाटन किए गए हैं। शायद उस समय हम सब आपात स्थिति के कारण भयभीत थे और इसी कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रलेख की ओर राष्ट्र का ध्यान नहीं गया अन्यथा देश में इस बात को लेकर राजनीतिक उथल पुथल हो जाती कि भारत के महानतम नायक और क्रांतिकारी की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में नहीं हुई है जबकि हम एक बार नहीं दो बार उन्हें मरा घोषित कर चुके हैं।

उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद् के गृह सदस्य सर आर एफ़ ० मुडी ने 23 अगस्त, 1945 को वायसराय के निजी सचिव सर जेकिन्स को एक नोट लिखा था जिसमें नेताजी के इलाज के संबंध में गृह विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ हुई चर्चा का उल्लेख था। यह नोट 23 अगस्त, 1945 का है। जबकि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त को हुई मानी जाती है।

भारत के गृह विभाग के अत्यंत गोपनीय कागजातों से पता चलता है कि नेताजी का आजाद हिन्द फ़ौज पर बड़ा प्रभाव था तथा विदेशों के भारतीय समुदाय में उनका बड़ा आदर था। अपने देश में भी उन्हें महान् और आदरणीय भारतीय राष्ट्रवादी माना जाता था। इसी दस्तावेज में नेताजी के इलाज पर विस्तृत प्रकाशा डाला गया है। विसकाउण्ट फ़ील्ड मार्शल वेवल इस प्रलेख को लन्दन ले गये थे तथा लन्दन में 25 अक्तूबर, 1945 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई।

गुह मंत्री (श्री चरण सिंह) : सम्भव है कि नेताजी की कथित विमान दुर्घटना में मृत्यु की खबर भारत सरकार को 23 अगस्त तक न मिली हो।

श्री समर गुह : मैं इस बात का उत्तर बाद में दूंगा। मतलब साफ जाहिर है। इसका अर्थ है कि भारत सरकार के पास ऐसी जानकारी थी कि नेताजी पर दबाव डाला जा रहा है और शायद वह उस समय रूस में थे और यह दिखाना चाहते थे कि वहां उनका स्वागत किया गया है और अब उन्हें तंग न किया जाए।

कथित वायुयान दुर्घटना का समाचार टोकियो रेडियो द्वारा दिए जाने पर फील्ड मार्शल वेवल की क्या प्रतिक्रिया हुई ? उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया अपनी डायरी में लिखी थी जो "वेवल जनरल" के नाम

से प्रकाशित हुई है। उन्होंने लिखा है कि यदि जापानी यह कहते है कि सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में हुई है तो मुझे उस पर अत्याधिक संदेह है। यह उनके भूमिगत होना चाहने पर कही गई बात लगती है। वेवल ने पुनः 21 सितम्बर को, एक मास बाद अपनी डायरी में लिखा कि जापानियों के अनुसार सुभाषचन्द्र बोस सिंगापुर में निश्चित रूप से मारे गयें परन्तु मुझे तब तक संदेह रहेगा जब तक इसकी पुष्टि न हो जाए।

लार्ड माउंटबैटन की डायरी में यह रहस्योद्घाटन किया गया है कि 'चीन में नियुक्त सैनिक गुप्तचर निदेशक ने माउण्टबैटन को तार द्वारा यह सूचना दी कि बोस वायुयान से बर्मा जा रहा है। चीनियों ने इस गुप्त जापानीं समाचार को बीच में सुन लिया।

यहां मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चुंगकिंग में स्थित ब्रिटिश खुफिया विभाग चांग काई शेक तथा ब्रिटिश सरकार के संबंध ब्रिटिश खुफिया सैनिक अधिकारी, जो चुंगकिंग में नियुक्त था, के साथ थे। डायरी में आगे कहा गया है कि जब बोस वायुयान से जा रहे थे तो चीनियों ने जापानियों का यह गुप्त संदेश सुना जिसमें उन्होंने बोस से अपने साथियों से अलग होने को कहा गया था। सेना आसूचना के निदेशक का संदेह है कि नेता जी दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में नहीं थे। वह बचकर स्याम (थाईलैण्ड) चले गए थे।

माउन्टबैटन की डायरी में लिखा गया है कि लगता है कि बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु की घटना मनगढन्त है और जापानियों ने भारत में बोस की मृत्यु की खबर झूठमूठ फैला दी। जापानियों ने एकबार कहा कि बोस की मृत्यु फारमोसा में हुई और दूसरी बार उन्होंने कहा कि बोस की मृत्यु जापान में हुई। दोनों खबरें सत्य नहीं हो सकती।

खोसला आयोग के समक्ष एक और रिपोर्ट आई थी। मैक आर्थर ने माउन्टबैटन, जो सिंगापुर के प्रभारी थे, को तार भेजा था जिसमें कहा गया था कि 'बोस फिर बचकर निकल गया है।' बोस को जीवित या मृत्यु गिरफ्तार करो' आदेश के साथ दो अन्वेषण दल ब्रिटिश सरकार के पास भेजे गए थे। यह आदेश माउन्टबेटन द्वारा दिया गया था। दो दल भेजे गए थे, एक सैगौन तथा दूसरा तोक्यो। मेरे पास सभी कागजात मौजूद हैं। यदि कोई देखना चाहता है तो, देख सकता है।

मैं 1946 में बक्सर जेल में था। दिसम्बर, 1945 में मुझ बक्सर जेल से दमदम जेल स्थानान्तरित कर दिया गया था। गांधी जी हमें जेल में देखने आए। किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें विश्वास है कि नेताजी जीवित हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कोई राख दिखा दे तब भी मैं विवशस नहीं करता कि सुभाष जिन्दा नहीं है। उनका विश्वास था कि मुझे विश्वास है कि सुभाष जिन्दा है और छुपे हुए हैं।

मैं उनके साहस और देशभक्ति की सराहना करता हूं। परन्तु भारतवासी तलवार के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर जब शाहनवाज, सहगल और बहुत से अन्य लोग गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधीजी के मन में यह बात बैठानी चाही कि नेताजी संभवतः मर गये है तो गांधी जी ने कहा "इसके विपरीत आप जो कुछ कहेंगे मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं लेकिन मेरा मन नहीं कहता है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जीवित हैं।"

उन दिनों पण्डित नेहरू ने सार्वजनिक सभाओं में कहा था कि मैं भी नेताजी के मौत के समाचार में विश्वास नहीं करता। शिकागो ट्रिब्यून के कैनेडियन पत्रकार श्री एल्फ्रैड बाग, सरदार बलदेव सिंह, पण्डित नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस से मिले थे। उसने एक फोटो दिखाया और बताया कि विमान के कथित

दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अर्थात् 18 अगस्त, 1945 के बाद वह साइगोन के पास दलात स्थान के निकट नेताजी से मिले थे। उसने वह फोटोग्राफ दिखाया और वह फोटो समाचार पत्रों में छपा था। वह व्यक्ति नेताजी को मिला नहीं था। उसने मांग की थी कि बोस को गिरफ्तार किया जाए और युद्ध अपराधी माना जाए। अतः इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि उस पर आवरण डालने के लिये यह कहानी बनाई गई थी।

सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि नेताजी रूस पहुंच गए थे। ब्रिटिश सतर्कता विभाग की रिपोर्ट है कि गांधी जी और नेहरू जी को मचूरिया से नेताजी ने कुछ गोपनीय सूचना भेजी थी और यह तथ्य उनके रिकार्ड में है।

1951 में पण्डित जी ने आजाद हिन्द सरकार के प्रचार मंत्री एस० ए० अय्यर को जांच करने के लिये टोकियो भेजा था। जब अय्यर वापस आये तो उन्होंने पण्डित जी को अपनी रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई थी। बड़ा आश्चर्य है कि पण्डित जी ने उस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंग को दबा दिया।

(श्री सोनु सिंह पाटिल पीठासीन हुए।) *(Shri Sonu Singh Patil in the chair)*

1962 में नेताजी के बड़े भाई के एक पत्र के उत्तर में पण्डित जी ने स्वयं लिखा है कि आपने मुझसे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु का प्रमाण भेजने के लिए कहा है। मैं कोई निश्चित और सीधी रिपोर्ट नहीं भेज सकता। मृत्यु के एक महीने पहले, अमिय बोस के पत्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि "मैं आपसे सहमत हूं कि नेताजी की मृत्यु के प्रश्न का अन्तिम रूप से निपटारा करने के लिये कुछ किया जाना चाहिए।" इसका यही अभिप्राय है कि स्वयं पण्डित जी को भी इस बात का विश्वास नहीं था कि नेताजी मर गये हैं।

जब न्यायमूर्ति खोसला नेताजी की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष थे तो उन्होंने प्रकाशन विभाग की ओर से भूतपूर्व प्रधान मंत्री की जीवनी लिखी। जब वह मेरे साथ ताईवान गए तो वहा से भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह के लिये तोहफा लाए और उन्हें दिया।

सबसे बुरी बात उन्होंने यह की कि उन्होंने सदन पर अपने प्रतिवेदन पर चर्चा होने से पूर्व 'नेताजी के अन्तिम दिन' नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक सारे प्रतिवेदन का लगभग शब्दशः प्रकाशन था। जब सदन ने प्रतिवेदन पर विचार या उसे स्वीकार नहीं किया था, उससे पूर्व उन्होंने मुद्रणालय में सभी गुप्त कागजात दे दिये। कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा किया है और वह गिरफ्तारी से बच रहे हैं।

इस पुस्तक में अधिकाशतः अपमानजनक बातें कहीं गयी हैं। हमने देश के तथा जापान, ताईवान, अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों के 38 कागजातों का सूची पेश की है। सरकार ने केवल 5 कागजात पेश किये हैं। इसी प्रकार अमरीका और ब्रिटिश गुप्त फाइलें जो भारत सरकार के कब्जे में है और जिन्हें खोसला आयोग के समक्ष पेश किया जाना था, उसके बारे में 'गुम' या 'नष्ट' लिखा गया। हमने श्री खोसला से कहा कि वे श्री यूनुस को उनके समक्ष पेश होने के लिये कहें ताकि हमें पता चल सके कि किन परिस्थितियों में फाइलें गुम या नष्ट हुई लेकिन श्री खोसला ने उन्हें आयोग के समक्ष पेश होने के लिये नहीं कहा। ताईवान सरकार जिसने जांच करवाई थी, के पास बहुमूल्य सामग्री है। पण्डित जी ने 1946 में चांग काई शेक को जांच करवाने के लिये अनुरोध किया था। ताईपेह के मेयर ने जांच की थी। ताईपेह के मेयर ने बताया कि विमान दुर्घटना का कोई प्रमाण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इस प्रस्ताव के लिये दो घंटे नियत किये हैं। एक घंटा बीत गया है। तो क्या सरकार समय बढ़ाने के लिये राजी है? दूसरे, क्या सभा समय बढ़ाने के लिये मान जायेगी?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा का समय दो घंटे और बढ़ाया जाय।

डा० सुब्रामण्यिम स्वामी : मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप इसे अगले सत्र में रख सकते ह।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मेरा सुझाव है कि इसे अगले सत्र के लिये स्थगित कर दिया जाये।

श्री समर गुह : यह बात तो सिद्ध हो गई है कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मरे। इसलिए आप इस संबंध में नये सिरे से जांच कर सकते हैं। ? **(व्यवधान)**

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : या तो हम दो घंटे के लिये समय बढ़ा लें या यदि गृह मंत्री नये सिरे से जांच करने के लिये राजी हो जायें तो इस सुझाव को सभा सर्वसम्मति से मान लेगी।

श्री चरण सिंह : मैं नये सिरे से जांच कराने के विरुद्ध नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने सहयोगियों से पूछे बिना कोई आश्वासन नहीं दे सकता। सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह एक बड़ा गंभीर और राष्ट्रीय महत्व का मामला है। हम इसे अगले सत्र के लिये स्थगति नहीं कर सकते। हमें दो घंटे का समय बढ़ाकर इस पर आज ही निर्णय ले लेना चाहिए।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) *(Mr. Speaker in the chair)*

यह एक गंभीर मामला है और हमें इसी सत्र म इस पर चर्चा करनी चाहिए। सरकार को इसके लिये दो घंटे का समय निकाल लेना चाहिए। ताकि श्री समर गुह के भाषण के बाद अन्य सदस्य भी बोल सकें। उसके बाद सरकार अपना निर्णय ले और सभा में उसकी घोषणा करे।

श्री चित्र बसु : हमें समय बढ़ाकर इसी सत्र में इस मामलें को निबटाना चाहिए।

श्री चरण सिंह : मेरा सुझाव है कि चर्चा में समय नष्ट करने के बजाए, श्री समर गुह तथा अन्य मित्रों को वह सब जानकारी जो उनके पास है वह सरकार के पास भेज दें। हम उस पर विचार करने के बाद निर्णय ले लेगें।

डा० कर्ण सिंह : हमें इसी सत्र के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये दो घंटे का समय निकाल लेना चाहिए ताकि सभी सदस्य अपने अपने विचार व्यक्त कर सकें। उसके बाद सरकार इन विचारों का अध्ययन करे और अपना निर्णय दे।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन कल आपके समक्ष रखा जायेगा। कार्य मंत्रणा समिति ने आपका मध्याह्न भोजन काल समाप्त कर दिया है और हमने एक घंटा और बढ़ा दिया है। अतः हमें सोमवार तक बिना मध्याह्न भोजन काल के 7 बजे तक बैठना होगा। हम फिर भी संभवतः इस सूची में दर्ज समस्त कार्य पूरा नहीं कर सकेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : एक दिन और बढ़ाइए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका फैसला सभा करेगी कि हमें सत्र को एक दिन के लिये बढ़ाना चाहिए या नहीं। अब श्री समर गुह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री समर गुह : मैं एक ऐसा तथ्य बताना चाहता हूं कि जिससे विमान दुर्घटना के सारे सिद्धान्त का परीक्षण हो जाएगा। अगस्त के महीने में हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। यह सर्वविदित है कि विमान हमेशा हवा के रुख के विपरीत उड़ान भरता है। यदि कोई दुर्घटना हुई होती तो वह विमान पट्टी के उत्तरी सिरे पर होती। लेकिन प्रत्येक जापानी गवाह का कहना है कि विमान दुर्घटना जापानी मन्दिर के निकट हवाई अड्डे के दक्षिणी सिरे में हुई। मौसम विज्ञान अधिकारी ने सरकारी रिकार्ड देना चाहा लेकिन न्यायमूर्ति श्री खोसला ने प्रतिवेदन स्वीकार करने से मना कर दिया।

बैठक के अंतिम दिन एक गवाह आया और उसने कहा कि विमान दुर्घटना 1944 में विमान के उतरते हुए हुई, 1945 में नहीं। उसने कहा कि मैं ऐसे 10 या 15 गवाह पेश कर सकता हूं जो मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे कि विमान दुर्घटना 1945 में नहीं बल्कि 1944 में हुई।

नेताजी राष्ट्रीय समिति के सचिव की ओर से मैंने आयोग की बैठक एक दिन बढ़ाने की अपील न्यायमूर्ति खोसला से की लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया।

शपथ लेकर झूठे साक्ष्य देने के कई उदाहरण हैं। लड़ाई के दिनों में "ब्रिटिश काउण्टर इन्टेलीजेन्स आर्गेनाइजेशन" नामक एक संगठन था। जिसका मुख्यालय लंदन में था। हालांकि श्री खोसला ने स्वीकार किया है कि उनके समक्ष सी० एस० आई० डी० सी० प्रतिवेदन नहीं था। लेकिन भारत सरकार के एक अधिकारी ने उनको अपना वह प्रतिवेदन लिखने से पूर्व यह प्रतिवेदन दिखाया था। उस प्रतिवेदन को आयोग के समक्ष पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आयोग के समक्ष कई कागजात थे परन्तु उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। उन्होंने केवल 5 जापानी साक्षियों पर विश्वास किया जिनमें से चार का दावा था कि उन्होंने उसी विमान में यात्रा की जिसमें नेताजी ने की थी। और पांचवें व्यक्ति का दावा था कि एक डाक्टर की हैसियत से उसने नेताजी की चिकित्सा की थी।

पांच गवाहों के साक्ष्य के आधार पर श्री खोसला इस निर्णय पर पहुंचे कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई। उनके प्रतिवेदन में यह कहानी है कि 11 अगस्त को अर्थात् वास्तविक आत्मसमर्पण से चार दिन पूर्व नेताजी को यह सूचना दी गई कि वे आत्म समर्पण करने वाले हैं। नेताजी तब मलाया में थे। और उनसे सैगोन जाने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उन्होंने मना कर दिया और वे सिंगापुर चले गये। वहां उन्होंने आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों और अधिकारियों की 6 महीने की अग्रिम अदायगी देने के लिये आजाद हिन्द बैंक से काफी धन निकलवाया था। 15 अगस्त, को तोक्यो के एक विशेष दूत कर्नल सकाई ने नेताजी से भेंट की। वह उनसे एकान्त में मिले थे। 16 अगस्त को उन्होंने बैंकाक जाने का निर्णय किया और बैंकाक में नेताजी ने जनरल इसोक तथा कर्नल टाग जो एफ० एम० तरौची के मुख्यालय के विशेष दूत थे, से एकान्त में बातचीत की। 17 तारीख को नेताजी सैगोन पहुंचे और जनरल इसोग से एक और भेंट की।

17 तारीख की शाम को 5 बजे नेताजी तोक्यो जाने वाले विमान से सैगोन से बैठे। ताइपेह से होकर जाने की बजाए वह केन्न से होकर जाना चाहते थे और ताइपेह में विमान दुर्घटना हुई और अनुमान है कि उसी में उनकी मृत्यु हुई।

प्रारंभ से अंत तक पूरी कहानी विषमताओं और परस्पर बिरोधी बातों से भरी पड़ी है। ऐसा लगता है कि यह कहानी गढ़ी गई है। उदाहरण के तौर पर सबका कहना अलग अलग है कि विमान किस तरह का था।

जनरल इसोडा ने कहा है कि यह एक पुराना बमवर्षक विमान था जबकि तीसरे व्यक्ति ने इसे क्षतिग्रस्त विमान बताया।

जहां के तुरेन के पहुंचने के समय का संबंध है, जापानी गवाहों ने भिन्न भिन्न समय बताया है। इसके अतिरिक्त दो और दिलचस्प रिपोर्टहैं। एक तो यह है कि श्री अल्फ्रेड वेंग ने पंडित नेहरू को सूचना दी थी कि विमान दुर्घटना के कुछ दिन बाद उसे नेताजी सैगोन के एक गांव में मिले। जगदीश कोदसिया जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ने खोसला आयोग को बताया कि जिस दिन विमान दुर्घटना हुई उस दिन नेताजी मेरे साथ सैगोन के निकट बिशप आफ डेलाट के गिरजाघर में थे। श्री कोदसिया ने यह बात पंडित नेहरू और शास्त्री जी को भी बताई थी। लेकिन श्री खोसला ने इस पर पहलू की जांच की कोशिश नहीं की।

तईहोकु विमान दुर्घटना के संबंध में भी किसी ने कहा है कि यह एक विस्फोट था जबकि अन्य लोगों ने कहा कि जहाज का पिछला पहिया उड़ गया था। क्षतिग्रस्त विमान के बारे में गवाहों के भिन्न भिन्न साक्ष्य हैं।

जहां तक विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप हताहत हुए व्यक्तियों का संबंध है, जापानी गवाहों के अनुसार विमान में 13 अथवा 14 व्यक्ति थे। विमान दुर्घटना में कर्मीदल के सभी सदस्य, जिनकी विमान चलाने के समय आवश्यकता पड़ती है, नेताजी और जनरल शेदेई की मृत्यु हो गई लेकिन बाकी यात्री बच गए। विमान दुर्घटना के बारे कोई सरकारी जांच नहीं कराई गई यहां तक कि साधारण जांच तक नहीं कराई गई। क्यों? इसलिए कि विमान ध्यवस्त हुआ ही नहीं।

एक अन्य विचित्र बात यह है कि कथित दुर्घटना के बाद कोई भी व्यक्ति नेताजी को लेने अथवा अस्पताल में देखने नहीं गया। केवल एक कैप्टन नागातोयों शाहनवाज आयोग के समक्ष बयान देने आया और जनरल शेदेई को भी कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि जनरल शेदेई की मृत्यु नहीं हुई।

नेताजी की मृत्यु का समय भी ठीक ठीक मालूम नहीं। कोई कहता है कि उनकी मृत्यु 8 बजे हुई और कोई कहता है कि 9 बजे अथवा 11 बजे हुई। यह भी कहा गया है कि उनके मृत शरीर को ताबूत में रखा गया और उसे सील बंद कर दिया गया। ताबूत न खोला जाए इस बारे में कड़े निर्देश दे दिये गए। दो दिन बाद कुछ संरक्षक आए और ताबूत को शमशान ले गए। उन्हें कड़े निर्देश दिए गए कि ताबूत को न तो खोला जाए और नही उस पर फूल चढ़ाये जायें। क्या इस बात पर कभी विश्वास किया जा सकता है कि ताबूत को मट्टी में डाल दिया गया। इस सब कार्यवाही के दौरान केवल मेजर नागतोंमो के अतिरिक्त कोई अन्य जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं था।

जहां तक उनकी मृत्यु की तिथि का संबध है, कर्नल हबीबुर्रहमान ने कई बार अपना साक्ष्य बदला है। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि नेताजी का शवदाह संस्कार 22 अगस्त को हुआ। एक सप्ताह बाद टोकियो में उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को हुआ। और ब्रिटिश जांच दल के समक्ष कहा कि 21 अगस्त को हुआ और बाद में कहा कि दाह संस्कार 23 अगस्त को हुआ। 6 फोटो लिए गए। नेताजी के शव का एक भी चित्र होता तो सारे विश्व को यकीन आ जाता कि उनकी मृत्यु हो गई है। कर्नल हबीबुर्रहमान का एक चित्र है, जिसमें वह तथाकथित शवटिका के पास बैठे हैं जिसमें कि तथाकथित आस्तियां पड़ी हुई हैं। एक और चित्र भी है जिसका कुछ सिर पैर नहीं दिखाई देता।

आयोग के समक्ष हम अत्याधिक सामग्री पेश कर सकते हैं। कर्नल हबीबुर्रहमान ने अमरीका और इंगलैंड के विभिन्न जांच प्राधिकारियों के समक्ष 6 अथवा 7 वक्तव्य दिए हैं। उन्होंने कुछ लिखित वक्तव्य भी दिए हैं। उसने कुछ ऐसे वक्तव्य भी दिए जो परस्पर विरोधी थे। कर्नल हबीबुर्रहमान ने एक लिखित वक्तव्य में कहा कि नेताजी ने अपनी मृत्यु से पहले राष्ट्र के नाम एक वक्तव्य दिया था। लेकिन शाहनवाज खान आयोग के समक्ष उसने कहा कि विमान दुर्घटना के तुरन्त बाद वह मूर्च्छित से पड़े थे। अतः वह ऐसा कैसे दे सकता है?

श्री हबीबुर्रहमान उस घड़ी को लाए जिसे विमान दुर्घटना के समय नेताजी पहने हुए थे। वह आयातकार घड़ी थी। नेताजी का एक भी चित्र ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने आयातकार घड़ी पहनी हो। लेकिन अनौपचारिक वार्ता के दौरान उन्होंने सत्यता उगल दी और कहा कि यह सब मनगढ़न्त कहानी है। उसने अपने कमांडर के आदेश का पालन किया है। उसने अपने सर्वोच्च कमांडर के आदेश का पालन करते हुए वही काम किया जो उससे करने के लिये कहा गया था। यह प्रस्ताव लाने का मेरा उद्देश्य गृह मंत्री और इस सदन के सदस्यों की अन्तर्रात्मा को जगाना है ताकि हम अपने राष्ट्रीय आन्दोलन और स्वतंत्रता युद्ध के महान नेता के प्रति अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाये।

मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बारे में नये सिरे से जांच करने के लिये तीन सदस्यीय आयोग स्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थानापन्न प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं?

श्री समर गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये; अर्थात् :—

"कि यह सभा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने संबंधी जांच आयोग के 1974 के प्रतिवेदन पर, जिसे 3 सितम्बर, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सरकार से अनुरोध करती है कि वह निम्नलिखित शक्तियों सहित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने के रहस्य की पुनः जांच करने के लिये तीन व्यक्तियों का एक आयोग गठित करे। :—

(क) जहां कहीं आवश्यक हो 18 अगस्त, 1945 से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने संबंधी परिस्थितियों के अतिरिक्त जांच की जाये;

(ख) अपवादात्मक महत्व के मौखिक साक्ष्यों का फिर से रिकार्ड रखा जाये;

(ग) भारत सरकार के पास जो गोपनीय सरकारी दस्तावेज हैं, और जिन्हें पहले के जांच आयोगों को उपलब्ध नहीं किया गया, उनकी समीक्षा की जाये;

(घ) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने से संबंधित वाह्य दस्तावेजों की जांच की जाये और ऐसे दस्तावेज जापान, तैवान, ब्रिटेन, अमरीका चीन तथा सोवियत संघ की सरकारों से प्राप्त किये जाएं;

(ङ) शाह नवाज समिति तथा खोसला आयोग के समक्ष आये सभी लिखित तथा मौखिक साक्ष्यों पर पुनः विचार किया जाये।"

श्री शशांक शेखर सान्याल (जांगीपुरा) : इस तथ्य को कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु नहीं हुई है, खोसला आयोग की निराधार बदली हुई है और आदेश देकर लिखवाए हुए प्रतिवेदन से बदला नहीं जा सकता।

सुभाष चन्द्र बोस के बारे में बातचीत करते समय मैं अपने मनोभावों को नियंत्रित नहीं रख सकता। उस समय नेताजी ने मुझे गोपनीय बातें बताई और मैं उनका तब तक रहस्योद्घाटन नहीं कर सकता जब तक नेताजी का आदेश नहीं आता। मैं उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

जांच आयोग जो स्थानापन्न प्रस्ताव का महत्वपूर्ण अंग है, से मैं सहमत नहीं हूं। मैं जांच आयोग नहीं चाहता।

1946–47 में, जब कांग्रेस के उच्च नेताओं ने हमारे चुनाव घोषणा पत्र के विरुद्ध देश के बटवारे का षडयंत्र रचा था, मुझे और शरत बोस को कांग्रेस के नेताओं से अलग कर दिया गया क्योंकि हम बंटवारे के विरुद्ध थे। गांधी जी ने बंटवारे का षडयंत्र रचा था तो अन्य नेता भी बंटवारे के पक्ष में हो गए थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कुछ समय तक इसका परीक्ष रूप से विरोध करते रहे थे। भोपाल के नवाब श्री जवाहरलाल नेहरू को सिंगापुर ले गये जहां लार्ड माउंटबेटन ने श्री नेहरू को बाताया कि स्काटलैण्ड यार्ड ने सुभाष को न तो मृत घोषित किया है और ना ही सदा के लिये लापता घोषित किया है। लार्ड माउंटबेटन ने फिर कहा यदि यह बात सही है और यदि सुभाष भारत में वापस आ गया तो क्या प्रधान मंत्री तुम बनोगे या सुभाष चन्द्र बोस ? संकेत स्पष्ट था और डोलायमान नेता बंटवारे के लिये सहमत हो गये। उन्होंने यह बात बंगाली पत्रिका "युगवाणी" में बहुत पहले ही लिख दी थी। उसका किसी व्यक्ति ने प्रतिकार भी नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि ग्रीष्मकाल के एक दिन जब मैं शरत बोस के साथ था, 20 या 21 वर्ष की एक अमरीकी पत्रकार युवती आई और उसने हमें बताया कि हम पत्रकार इस महा-द्वीप और अमेरिका में भी यह विश्वास नहीं करते कि सुभाष मर गया है और उस युवती ने इस तथ्य को अपनी पुस्तक में भी लिखा है, जिसका प्रतिकार नहीं किया गया।

यह कहानी कि कर्नल हबीबुर्रहमान विमान दुर्घटना के समय सुभाष बोस के साथ थे, निराधार प्रतीत होती है। उसके शरीर अथवा हथेली पर छोटे से निशान के अलावा जलने का एक भी निशान नहीं है। महात्मा गांधी को भी कर्नल रहमान की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ था। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि सुभाष उस समय, उस स्थान पर और उस अवस्था में जैसा कि बताया गया है, नहीं मरे। यदि सुभाष मर गया होता तो भारत जीवित नहीं रहता। यदि सुभाष जीवित है तो भारत भी जीवित रहेगा।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 4 अगस्त, 1977/3 श्रावण, 1899(शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 4th August, 1977/Sravana 13, 1899 (Saka).